

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च 1983

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 24 मार्च 1983

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(14)33
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)53

सदन में रिश्तता तथा गौरव को बनाए रखने का मामला उठाना	(14)57
विभिन्न विशयों का उठाया जाना—	
(1) राज्य नेत्रहीनों को रोजगार देने संबंधी।	(14)60
(2) ओला वृष्टि से हुई हानि संबंधी।	(14)61
(3) ढाणी लछमन, थाना लोहारू के श्री प्रताप सिंह के लापता होने संबंधी।	(14)61
(4) पुलिस स्टेशन, पिंजौर में बालमीकी गिरफ्तारी तथा मृत्यु संबंधी।	(14)61
समितियों की रिपोर्टस पे रोजना—	
(1) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की उन्नीसवीं रिपोर्ट	(14)62
(2) ऐस्टीमैटस कमेटी की पन्द्रहवीं रिपोर्ट	(14)62
(3) कमेटी आन गवर्नमेंट अयोरेंसिज की चौदहवीं रिपोर्ट	(14)62
(4) कमेटी आप दिन वैलफेयर आप रिडयूल्ड कास्टस एंड रिडयूल्ड ट्राइब्ज की आठवीं रिपोर्ट	(14)62
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(14)62

सरकारी संकल्प—	
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऋण पर लिये जाने वाली अधिकतम राशि संबंधी।	(14)63
बिलज—	
(1) दि हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमेंट बिल, 1983	(14)78
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
श्री मंगल सैन द्वारा	(14)95
दि हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमेंट बिल 1983 (पुनरारम्भ)	(14)95
बैठक का समय बढ़ाना	(14)103
(2) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 1983	(14)103
बैठक का समय बढ़ाना	(14)112
दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 1983 (पुनरारम्भ)	(14)112
बैठक का समय बढ़ाना	(14)119
दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 1983 (पुनरारम्भ)	(14)119

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 24 मार्च 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर -1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Girls Killed or Committed Suicide

***110. Sh.Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of cases registered about the girls who were killed or who committed suicide in connection with dowry disputes during the calendar year 1982 together with the names of police stations where the said cases were registered in the State;

(b) the names of persons, if any, arrested in connection with the cases, as referred to in part (a) together with the names of the Police Station; and

(c) the number of cases which are in Courts together with the number of cases out of those which have been decided so far alongwith the nature of the decision taken in each case ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a), (b) and (c): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a)				(b)		(c)	
Names of Police Station	No. of cases registered about the girls who were killed in connection with dowry disputes during 1982	Number of cases registered about the girls who committed suicide in connection with dowry disputes during 1982	Total of Columns (ii) & (iii)	Names of persons arrested in connection with the cases referred to in columns (ii) & (iii)	Number of cases out of those mentioned in column (iv) which are in Courts (i.e. challans of which have been sent to Courts	Number of Cases out of those mentioned in column (vi) which have been decided alongwith the nature of decisions	
DISTRICT AMBALA							

Sadar Ambala	1	1	2	1	Smt. Tej Bai W/o Khem Chand	FIR No. 186 dated 9-9-82 U/S	2	Accused acquitted
				2	Madan Lal S/o Brij Lal	302 IPC		
				1	Surinder Kumar	FIR No. 108 dated		
				2	Kishor Kumar	26-5-82		
				3	Vinod Kumar S/o Ram Rakha	U/S 306 IPC		
				4	Maya Davi			
Ambala City	1		1	1	Kali Ram S/o Atma Ram	FIR No. 496 dated 27-10-82		
				2	Sunder Lal S/o Kali Ram	U/S 302 IPC		
				3	Jaywanti w/o Kali Ram			

Sadar Yamuna Nagar		1	1	1	Ram Kumar S/o Raghunath	FIR No. 22 dated 15- 2-82 U/S 306 IPC	1	
				2	Somi M/o Ram Kishan			
Jagadhri		1	1	1	Kulwant Singh S/o Gujbachan	FIR No. 287 dated 12-10-82 U/S 306 IPC	1	
DISTRICT KURUKSHETRA								
Radaur	1		1	1	Brij Mohan S/o Raghubir Dass	FIR No. 54 dated 2-5- 82 U/S 302 IPC	1	
Shahbad	1		1	1	Judgish S/o Ram	FIR No.		1-Accused

					Lal	143 dated		accuitted
				2	Kasturi Lal S/o Ram Lal	5-6-82 U/S 302/307/ 306 IPC		
				3	Ucha Rani W/o Jagdish			
				4	Asha Rani			
City Kaithal		2	2	1	Sulekh Chand S/o Baini Parsad	FIR No. 2 304 dated 21-7-82	2	1-Accused accuitted
				2	Santosh D/o Baini Parsad	U/S 306 IPC		
				3	Nirmal d/o Baini Parsad			
				4	Baini Parsad S/o Shri Ram			
				5	Bharpia Deiv W/o			

					Baini Parsad			
				1	Tek Chand Father in law	FIR No. 306 dated 22-7-82	2	1-Accused accuitted
				2	Padam Kumar S/o Tek Chand	U/S 306 IPC		
				3	Mange Ram S/o Tek Chand			
				4	Hukami Devi W/o Tek Chand			
DISTRICT KARNAL								
Assandh		2	2	1	Rajender S/o Roshan Lal	FIR No. 84 dated 16- 2-82 U/S 306/34 IPC		
				1	Ajmer r/o Jamala	FIR No.	1	1-Accused

				2	Chatru R/o Jamala	315 dated 20-9-82 U/S 306/201 IPC		accuitted
Samalkh a		1	1	1	Narain Dutt S/o Sohan Lal	FIR No. 175 dated 28-9-82		1-Accused accuitted
				2	Sona Devi W/o Sohan Lal	U/S 306/34 IPC		
DISTRICT JIND								
Sadar Jind		1	1	1	Mange Ram (Husband)	FIR No. 96 dated 15- 8-82 U/S	1	1-Accused accuitted
				2	Ram Dhari	306 IPC		
				3	Raja Ram			
				4	Smt. Ghoghdi D/o			

					Mange Ram			
				5	Rameshwari W/o Mange Ram			
Uchana	1		1	1	Sat Pal S/o Abhey Ram	FIR No. 130 dated 9-10-82	1	
				2	Rattan w/o Sat Pal	U/S 302		
				3	Shashi S/o Dalip	IPC		
				4	Ram Kala S/o Bhola			
				5	Balbir Singh			
				6	Sewa S/o Hari Ram			
				7	Bholla S/o Jug Lal			
				8	Inder S/o Barshola			

				9	Kartara S/o Neki			
				1 0	Bhula S/o Jag Lal			
				1 1	Ajmer S/o Amrit			
				1 2	Harli S/o Mathura			
				1 3	Mange S/o Barshola			
DISTRICT ROHTAK								
Bahadurg arh	2	1	3	1	Jai Gopal S/o Atma Ram	FIR No. 73 dated 2-3- 82 U/S 302 IPC	2	1-Accused convicted and awarded life imprisonm

							ent
				2	Pawan Kumar S/o Lakhmi Chand		
				3	Lakhmi Chand S/o Parmeshwar		
				4	Daya Devi W/o Lakhmi	FIR No. 212 dated 15-7-82 U/S 302 IPC	1-Accused accuitted
				1	Vinod Kumar S/o Ramji Dass	FIR No. 378 dated 12-11-82	
				2	Lajwanti W/o RamjiDas	U/S 306 IPC	
				3	Kailash D/o Ramji Dass		

Sadar Rohtak	1		1	1	Rameshwar S/o Chand Ram	FIR No. 107 dated 28-7-82 U/S 302 IPC	1	
				2	Chand Ram S/o Phulla			
				3	Balram S/o Bhalla Ram			
				4	Ram Chander S/o Chand Ram			
				5	Amrit S/o Phoola			
				6	Inder Chand S/o Ram Sarup			
				7	Jagat Singh S/o Mawasi			
				8	Hawa Singh S/o Teka			

				9	Hukam Chand S/o Ram Sarup			
				1 0	Hawa Singh S/o Rup Chand			
				1 1	Dhara Singh			
				1 2	Bhim singh S/o Mawasi			
				1 3	Bani Singh S/o Ram Pat			
Kalanaur	1		1	1	Sita Ram S/o Dharam Singh	FIR No. 125 dated 20-11-82	1	
				2	Ram Singh	U/S 302 IPC		
				3	Om Prakash S/o Ram Singh			

				4	Sumer S/o Ram Singh		
				5	Dhanno w/o Ram Singh		
				6	Kartar Singh S/o Sita Ram		
				7	Rattan Singh S/o Sita Ram		
Civil Lines Rohtak	1		1	1	Ashok Kumar S/o Sardari Lal	FIR No. 314 dated 5-12-82	
				2	Veena d/o Sardari	U/S 302 IPC	
				3	Krishana w/o Sardari		
Jhajjar	1		1	1	Kharati Lal S/o	FIR No.	

					Chaman Lal	223 dated 21-12-82		
				2	Ram Piyari w/o Chaman Lal	U/S 302 IPC		
				3	Kamlesh d/o Chaman Lal			
Sampla		1	1	1	On enquiry case found false No accused arrested	FIR No. 75 dated 30- 6-82 U/S 306 IPC		
DISTRICT GURGAON								
Nuh		1	1	1	Surinder Kumar	FIR No. 27 dated 6-2-		
				2	Om Parkash	82 U/S 306 IPC		
DISTRICT FARIDABAD								

NIT Faridabad	1		1	1	Jagmohan R/o Faridabad	FIR No. 163 dated 1-5-82 U/S 302 IPC	1	
				2	Daya Wanti R/o Faridabad			
DISTRICT SONEPAT								
Ganaur	1		1	1	Subhash S/o Banwari Lala	FIR No. 127 dated 12-9-82	1	
				2	Smt. Basanti W/o Banwari Laal	U/S 306/302		
				3	Prem Chand S/o Banwari Lal	IPC		
DISTRICT HISSAR								
Narnaund	2		2	1	Dilbag Singh S/o Chandgi	FIR No. 37 dated 6-2-	2	1-Accused acquitted

				2	Ram Paul S/o Chandgi	82 U/S 302 IPC		
				3	Ramji Lal S/o Chandgi			
				4	Bhartu S/o Chandgi			
				1	Dharam Lal S/o Rup Chand	FIR No. 81 dated 20- 4-82 U/S		1-Accused acquitted
				2	Rup Chand S/o Mangal	302 IPC		
Barwala	2		2	1	Jagdish S/o Jora	FIR No. 105 dated	2	
				2	Jora S/o Ram Singh	26-5-82 U/S 302 IPC		
				3	Sat Paul S/o Jora			
				1	Shripal S/o	FIR No. 90		

					Ghanshyniya	dated 22-4-82 U/S 306/302 IPC		
				2	Chander Pal			
				3	Remeshwar			
				4	Mewa			
Sadar Hansi	1	1	2	1	Satbir S/o Ami Chand	FIR No. 95 dated 7-6-82 U/S 302 IPC	2	
				2	Parvati D/o Ami Chand			
				3	Ami Chand			
				4	Mohinder			
				5	Bhuru			
				6	Krishan			
				7	Rajender			

				1	Ishwar Singh	FIR No. 32 dated 11- 2-82 U/S		1-Accused acquitted
				2	Balwant Singh S/o Gopi Ram	306 IPC		
City Hisar	1		1	1	Rohtash S/o Raghunath	FIR No. 975 dated 20-10-82		
				2	Ram Piyari W/o Raghunath	U/S 302 IPC		
DISTRICT SIRSA								
Kalanwali	1		1	1	Inder Paul S/o Siri Chand	FIR No. 85 dated 21- 5-82 U/S	1	
				2	Sahib Ram S/o Siri Chand	302 IPC		
				3	Smt. Bimla w/o Sahib Ram			

Rania	1		1	1	Kashmir Singh S/o Saket Singh	FIR No. 117 dated 30-5-82	1	
				2	Surjeet Kaur w/o Saket Singh	U/S 302 IPC		
City Sirsa	2		2	1	Dhan Raj	FIR No. 192 dated 10-7-82	2	
				2	Rama Devi w/o Dhan Raj	U/S 302 IPC		
				3	Mohan Lal S/o Dhan raj			
				4	Sham Lal S/o Dhan Raj			
				5	Bahal Chand S/o Raj			
				6	Daropati W/o			

					Mohan Lal			
				7	Dhami w/o Sita Ram			
				1	Tilak Raj S/o Sunder Dass Inderwati W/o Sunder Dass	FIR No. 233dated 21-8-82 U/S 302 IPC		
DISTRICT BHIWANI								
Loharu	1	1	2	1	Banwari S/o Daya Ram	FIR No. 73 dated 30- 9-82 U/S 302 IPC	1	
				2	Bhullan Devi w/o Daya Ram			
				3	Krishan Devi d/o Daya Ram			

				4	Daya Ram S/o Gurdial		
				5	Anant Ram S/o Bhagwana		
				6	Chandgi S/o Gurdial		
				7	Deep Chand S/o Ramji Lal		
				8	Hari Singh S/o Chandgi Ram		
				9	Ram Singh S/o Chandgi Ram		
				1 0	Tulsi Ram s/o Gurdial		
				1	Radhey Sham S/o		

				1	Ganpat			
				1	Jai Paul S/o Kanhiya Ram R/o Nekipur	FIR No. 66 dated 2-9- 82 U/S 306 IPC	1	
City Bhiwani		1	1	1	Pawan Kumar S/o Hem Raj	FIR No. 327 dated 16-9-82	1	
				2	Hem Raj S/o Lachman Dass	U/S 306 IPC		
				3	Parmeshwari w/o Hem rAj			
				4	Shakuntala w/o Ram Karan			
Dadri		1	1	1	Satbir Singh s/o Bhola Ram	FIR No. 241 dated		

				2	Kandia w/o Bhola Ram	24-9-82 U/S 306 IPC		
Bahal		1	1	1	Ram Bharat S/o Chattar Singh	FIR No. 112 dated 18-11-82		
				2	Siri Ram S/o Chattar Singh	U/S 306 IPC		
				3	Lado w/o Ram Bhagat			

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के पटल पर जो स्टेटमेंट खी है उसमें नारनौल की एक लड़की गीता, जिसका तेज प्रकाश एडवोकेट के साथ विवाह हुआ था और जिसको जानबूझ कर कुएं में फेंक दिया गया था, उसका जिक्र नहीं है। गुनाहगारों को पकड़ लिया गया है लेकिन इसमें इसका जिक्र नहीं है आप रिकार्ड चैक कर के कन्फर्म कर लें कि स्टेटमेंट में इसका नाम क्यों नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकद्दमे चले थे और अक्यूज्ड थे, वे सारे के सारे एक्विट हो गए हैं बड़ी हैरानी की बात है और दहेज की बिनाह पर लड़कियों को मारने की एक सोशल प्रॉब्लम है। दहेज के लालची अपनी बहुओं को मार देते हैं और बाद में एक्विट हो जाते हैं क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि कानून में कोई खामी है या पुलिस तनदेही से इन्वैस्टीगेशन नहीं करती जिसकी वजह से ये अक्यूज्ड छूट जाते हैं ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप बड़े काबिल वकील हैं और जानते हैं कि इस किस्म के केसिज बहुत कम कामयाब होते हैं क्योंकि आम तौर पर मौके की भाहरादत नहीं होती, भाहरादत की बड़ी भारी दिक्कत पैदा आती है। फिर भी सारे ही अपराधी नहीं छूटते। आपने स्टेटमेंट देखी होगी, एक केस में सजा भी हुई है और कुछ केसिज अदालत में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस किस्म की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और

ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। जहां तक नारनौल के केस का ताल्लुक है इस केस की डिटेल्स इस वक्त मेरे पास नहीं है। डाक्टर साहब सैप्रेट नोटिस दे दें, इसका जवाब उनके घर पर भिजवा दिया जायेगा

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, जिन केसिज के बारे में लोगों को भाक है कि इन्वैस्टीगेशन ठीक नहीं हुई है, क्या मुख्य मंत्री महोदय उन की इन्वैस्टीगेशन दोबारा करवायेंगे ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, बहन जी वकील हैं, इन्हें मालूम होगा कि जो आदमी सैडन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से छूट जाते हैं, उनके बारे में इन्क्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप को किसी केस में संदेह है तो लिख कर भिजवा दें जिसे भी आप चाहेंगी, इन्क्वायरी के लिए लगा देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, 1982 में टोटल 42 केसिज हैं जिनकी डिटेल्स मुख्य मंत्री महोदय ने दी है। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह नहीं समझते कि डाउरी डिस्प्यूट की वजह से लार्ज नम्बर आफ केसिज बढ रहे हैं और इन केसिज पर एंटी डाउरी एक्ट के तहत एक इन लिया जाए ? अगर आप एक्ट के तहत एक इन लेंगे तो कुछ कमी हो सकती है। क्या सरकार एंटी डाउरी एक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि दूसरे प्रांतों के मुकाबले में हरियाणा प्रांत में कम केसिज हैं, लेकिन फिर भी सरकार की पूरी कोशिश आ रही है कि इनको रोका जाये। जब कभी सरकार के नोटिस में ऐसा मामला आता है तो बाकायदा क्लास वन आफिसर मौके पर जाकर एन्क्वायरी करता है और सरकार के पास रिपोर्ट करता है। सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेती है। इसके अलावा एंटी डाउरी एक्ट को लागू करने की पूरी कोशिश आ रही है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो सूचना रखी है, इस पर उन्होंने सांपला के बारे में कहा है “On enquiry, case found false. No accused arrested” स्पीकर साहब, मैं इस केस के बारे में जानता हूँ। मैं सांपला में गया था और मेरी एस0पी0 से बात हुई थी। मैं मुख्य मंत्री जी से अयोरेंस चाहता हूँ कि क्या इस मामले की डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) से दोबारा जांच करवाने की कृपा करेंगे, क्योंकि 9 महीने के बाद उस लडकी की हत्या कर दी थी ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इस केस की डिटेल इस तरह से है —

“मुकद्दमा नं0 75, दिनांक 30.6.82, धाराधीन 302/201 भ0द0सं0 थाना सांपला जिला रोहतक।

यह मुकद्दमा श्री दयाचन्द पुत्र सूरत सिंह वासी मदाना कलां थाना बेरी के ब्यान पर दर्ज किया गया। उसने बताया कि उसकी लडकी की भादी प्रका 1 पुत्र होि 1यार सिंह जाट बासी कसरेटी, थाना सांपला के साथ चार वर्ष पूर्व सम्पन्न हुई थी। कमला के माता पिता उसके ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरा करने में असमर्थ थे जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। जांच पड़ताल पर लगाये गये आरोप सिद्ध न होने के कारण मुकद्दमा में अखराज रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।”

इस केस की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन अगर डा0 साहब चाहते हैं कि डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) इंक्वायरी करें तो वे लिख कर दें, करवा लेंगे और अगर कोई बात ऐसी पाई गई तो चालान कर देंगे।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, डा0 साहब ने सवाल पूछा था जिसका मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। इन केसिज में जो एक्यूजड बरी हो गये हैं, इनके बारे में एक सैल बना दें। अगर कमियां रह गई हों वह उनकी छानबीन करे क्या मुख्य मंत्री महोदय इस प्रकार का सैल बनाने के लिए विचार करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था क क्लास वन आफिसर जांच करता है, मौके पर जा कर बाकायदा इंक्वायरी करता है। सी0आई0डभ0 भी इंक्वायरी करती है

और सख्त से सख्त एकान लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कानून को आप अच्छी तरह से समझते हैं जब तक मौके की भाहादत न हो तो कोई बात नहीं बनती। आप जानते हैं कि जब कोई आदमी खुदको पी करता है या करने की कोशिश करता है तो उसकी गवाही नहीं होती, वह हमारे सामने बड़ी भारी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ठीक किया जाये।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सभी आनरेबल मैम्बर्ज जानते हैं कि ऊंचे घरानों में मंगनी के समय टिकके के रूप में पैसे लिए जाते हैं और उसी वक्त दहेज लेने के पैसे तय कर लेते हैं। इस तरह के केसिज को रोकने के लिए क्या मुख्य मंत्री महोदय कोई योजना बनाएंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस दहेज की लानत को सारे का सारा समाज मिलकर ही दूर कर सकता है, एक आदमी के दूर करने की बात नहीं है। सरकार कितनी ही सख्ती कर ले, जब तक लोग अपने दिल से, मन से इस लानत को खत्म करने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक यह लानत खत्म नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय डा० साहब ने नारनौल की एक लडकी गीता के केस के बारे में पूछा था, उस वक्त मेरे पास डिटेल नहीं थी। अब मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यह केस नारनौल थाने में

5.1.82 को आई0पी0सी0 की धारा 306 के तहत दर्ज हुआ था और इसकी तफती 1 जारी है।

चौधरी भागमल: स्पीकर साहब, इस स्टेटमेंट में अम्बाला सिटी, यमुनानगर और जगाधरी के तीन केसिज हैं। क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इनकी क्या पोजी 1न है और किस स्टेज पर हैं ?

चौधरी भजन लाल: अम्बाला का एक मुकदमा नं0 186 है जो दिनांक 9.9.82 को दफा 302 के तहत दर्ज किया था। इसकी डिटेल् इस प्रकार है—

“श्रीमती कविता धर्मपत्नी सती 1 कुमार वासी ग्राम लावरसा ने, जबकि उसको गम्भीर अवस्था में पी0जी0आई0 में दाखिल करवाया गया, ब्यान दिया कि दिनांक 9.9.82 को उसकी सास तेजबाई और उसके देवर मदन लाल ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर उसको जलाया है क्योंकि उसके माता पिता उनकी दहेज की और अधिक मांग को पूरा न कर सके थे। श्रीमती कविता का भारीर जलने से हुए जख्मों के कारण पी0जी0आई0 में मृत्यु हो गई। दोनो दोशियों को दिनांक 9.10.82 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा मुकदमा का चालान 22.10.82 को अदालत में दे दिया गया था। जिसमें दोशी दिनांक 17.1.83 को अदालत द्वारा बरी किये जा चुके हैं।”

श्री रोान लाल: स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की तरफ से दहेज विरोधी आंदोलन चलाने का कोई विचार है ? अगर कानून काम नहीं देता तो क्या ऐसी कम्पेन चलायेंगे जिससे इस प्रकार के केसिज कम हों ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह सभी जानते हैं कि टिक्का सैरेमनी पर काफी रकम दी जाती है इसको किसी तरह से बंद करना चाहिए। जहां तक प्रचार की बात है, अपोजी उन आपको पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो टिक्का के मौके पर और भादियों पर दहेज की एकजीबि उन करते हैं, इस पर पाबन्दी लगाई जाये।

श्री अध्यक्ष: सरकार को दिखाकर थोड़े ही टिक्का लिया जाता है।

चौधरी भजन लाल: अब तो दिखावा रहा ही नहीं, चुपचाप देते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए मजबूरी जाहिर की है कि कानून ऐसा है कि मौके पर गवाह होते नहीं हैं और गवाह न होने से और कानूनी अड़चन से वे छूट जाते हैं मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उस मजबूरी, लाचारी और बेबसी को ठीक करने के लिए वे कोई

नया कानून लाने का विचार रखते हैं ताकि दहेज के भूखों को दण्ड दिया जा सके ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत दहेज प्रथा के विरुद्ध बहुत तेजी से अभियान चलाया हुआ है। जहां तक कानून का ताल्लुक है। सै उन जज, जो फांसी की सजा दे सकता है और उम्र कैद कर सकता है। अगर उसके सामने भी किसी आदमी की गोली मार दी जाये और मौके की भाहादत न हो तो सै उन जज भी सजा नहीं दे सकता। स्पीकर साहब आप तो वकील रहे हैं आपको सारी बातों का ज्ञान है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने तो यह पूछा है कि जो आपकी मजबूरी है, उस मजबूरी को ठीक करने के लिये नया कानून बनायेंगे।

Mr. Speaker: This has been replied to Next. Question.

Setting up of Industries in Villages

***125. Ch. Kundan Lal:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of industries set up in the villages during the period Janata Party was in power in the State;

(b) the number of industries, out of those referred to in part (a) above, which are functioning at present; and

(c) whether it is in the notice of the Government that the above said industries are sick, if so, the details of the steps taken to make these industries in the villages viable units ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a) 2129. Industries were set up in the villages under Rural Industries Scheme.

(b) Out of 2129, 1572 are functioning at present.

(c) Yes, district wise diagnostic study of sick and closed units is being undertaken.

चौधरी कुन्दन लाल: स्पीकर साहब, जैसा कि मिनिस्टर महोदय को भी मालूम है कि जींद जिले में मेरा हल्का सबसे पिछडा हुआ है। सफीदों सब डिवीजन भी है। क्या मंत्री महोदय वहां पर इंडस्ट्री की कोई स्कीम चालू करैंगे ताकि वहां पर ज्यादा इंडस्ट्री लग सकें ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, अब रूरल एरिया में इंडस्ट्री लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भुरू में ज्वायंटली चार आदमियों को लोन दिया जाता था उनमें किसान, बैकवर्ड क्लास, हरिजन और बिजनैस कम्युनिटी को होना जरूरी था। फिर बाद में दो कम्युनिटीजह के लिए लोन देना भुरू कर दिया था। अब इस क्लाज को उडा दिया है, केवल हरियाणा को बोनाफायडी होना चाहिए चाहे वह किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, यानी अकेला आदमी लोन ले सकता है। हम हर किस्म

की फैसेलिटी देते हैं। अगर वे किसी आदमी के बारे में बतायेंगे तो उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे।

श्री राम बिला । भार्मा: स्पीकर साहब, भाई कुन्दन लाल जी ने बडा अच्छा सवाल पूछा है कि जनता राज में 2129 रूरल इंडस्ट्रीज सैट अप की गई थीं जिनमें से अब 1572 चल रही हैं। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में सी पार्ट में बताया है कि जिला वार बीमार बंद इकाईयों की जांच का कार्य किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिलेवार बीमान बंद इकाईयों की क्या तादाद है ?

श्री लछमन सिंह: भिवानी में 15, फरीदाबाद में 4, गुड़गांव में 44, हिसार में 7, जींद में 3, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र में 12, महेन्द्रगढ में 4, रोहतक में 21, सिरसा में 3, सोनीपत में 9 सिक यूनिटस हैं। कुल 132 हैं।

श्री भागी राम: मंत्री महोदय ने बताया है कि 2129 रूरल इंडस्ट्रीज जनता राज में लगी लेकिन अब वे 1572 रह गई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये कम कैसे हुई, बढी क्यों नहीं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल निराधार बात है, जनता राज में जितनी लगी थीं उनमें से 1572 चल रही हैं, उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा इकाइयां बढी हैं। स्टेट के अंदर इस समय 12 हजार 15 रूरल इकाईयां चल रही हैं। ये जो

बंद हुई हैं ये जनता पार्टी की राज की बंद हुई हैं। उसका कारण यह है कि उस टाइम पर चार कम्युनिटी के व्यक्तियों को लोन दिया जाता था। चार कम्युनिटी के लोग इकट्ठा कैसे बिजनेस चला सकते हैं। आज के जमाने में तो सगे भाई भी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। ये कोई पोलिटिकल लोग तो है नहीं कि मुखतलिफ एरिया के इकट्ठे हो जायें। इसलिए चौधरी भजन लाल जी की सरकार आने के बाद एक आदमी को लोन देना भुरू किया है। ऐसा करने से बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। आठ उस गुना इंडस्ट्रीज बढी है। 12 हजार से ज्यादा इकाईया लगी हैं। जनता राज के टाइम की क्लोज हुई है लेकिन इस जमाने में जो लगी हैं वे चल रही हैं।

मास्टर राम सिंह: स्पीकर साहब, जिला कुरुक्षेत्र इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत बैकवर्ड हैं। मेरे हल्के रादौर मे इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स काफी दिनों से मंजूर हुआ है। वहां जमीन भी एक्वायर हो चुकी है लेकिन वह इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स भुरू नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह कम्पलैक्स कब तक चालू हो जाएगा ?

श्री लछमन सिंह: यह सवाल तो अलग है लेकिन मैंने अगले महीने पहले हफते में रादौर जाने का प्रोग्राम बना रखा है, वहां जाकर देखेंगे कि कहां पर वह इन्डस्ट्रियल कम्पलैक्स हैं जो भी इनकी मुक्ति कलात हैं, उन्हें हल करने की पूरी कोशिश है।

करेंगे। जिस किस्म की भी वहां पर इंडस्ट्री लग सकती है वहां लगाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती चंद्रावती: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 12 हजार इंडस्ट्रीज में से हरियाणा वित्त निगम से सॉफ्ट लोन जिसका ब्याज एक परसेंट है और एक लाख से पांच लाख तक लोन मिल सकता है, उस स्कीम के तहत कौन कौन सी इंडस्ट्री ने लोन लिया था जो आज सिंक हो गई है ?

श्री लछमन सिंह: हरियाणा फाइनेंशियल कार्पोरेशन नए एक लाख देती है और न ही पांच लाख देती है। सिर्फ 25 हजार की लिमिट है और वह भी इंडस्ट्री के लिए देती है। उसकी टर्म लोन की कंडीशन नहीं है। बल्कि वरकिंग कैपिटल पर देती है यानी प्रचेजिज, मशीनदारी और बिल्डिंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

डा० भीम सिंह दहिया: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट्स सैट अप की गई थीं उनमें से हाल में कितनी चल रही हैं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर दे देता हूँ -

	जो सैट अप हुई थी	जो हाल में चल रही हैं
--	------------------	-----------------------

अम्बाला	1099	1016
भिवानी	753	584
फरीदाबाद	908	850
गुड़गांव	1127	1060
हिसार	888	802
जीन्द	734	642
करनाल	982	886
कुरुक्षेत्र	771	660
महेन्द्रगढ़	1219	1207
रोहतक	1970	1892
सिरसा	795	718
सोनीपत	1151	1046

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने श्री कुंदन लाल जी के सवाल के जवाब में यह बताया है कि इंडस्ट्रीज लगाने में इतनी सहूलितयें दी हैं कि कोई भी अकेला आदमी अब इंडस्ट्री

लगा सकता है। क्या अब आटे की चक्की या तेल निकालने का कोहलू या किसी दूसरी किस्म की इंडस्ट्री लगाने पर कोई पाबंदी है या नहीं अगर है तो किन किन आर्टमज पर पाबंदी है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, कुछ आर्टमज पर भारत सरकार की तरफ से पाबंदी लगी हुई है और कुछ आर्टमज पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा हुआ है। जैसे लोहे का सामान बनाने के बारे में। एक तरफ तो यह क्वे चन करते हैं कि इंडस्ट्रीज क्लोज क्यों हो रही हैं, क्यों फेल हो रही हैं, इस बात पर भी आब्जैक्शन करते हैं और दूसरी तरफ ऐसा सवाल पूछते हैं कि बैन क्यों किया हुआ है। जैसे आटे की चक्की के बारे में इन्होंने पूछा है पहले यह बताएं कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। 10 टन होगी या 100 टन होगी। पहले वे यह बतायें फिर हम देख लेंगे। हम उनको कन्सैशन देने पर विचार कर लेंगे। वैसे भारत सरकार की तरफ से इस बारे में बैन लगा हुआ है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 2129 इंडस्ट्रीज जनता पार्टी के राज के दौरान लगाई गयी थीं, उनमें से अब 1572 काम कर रही हैं और 557 फेल हैं यानी 26 प्रतिशत के करीब फैल्योर हैं। क्या यह बात ठीक है कि उन इंडस्ट्रीज के फेल होने का कारण यह है कि जो उनकी प्रोड्यूसड गुडज हैं, उनको बेचने का सरकार ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं कर सकी है ? दूसरी बात जैसे मंत्री महोदय ने यह बताया है कि एक से ज्यादा कोई मिलकर काम नहीं कर सकते।

इसलिए यह फेल हुई हैं, क्या इस बात को देखते हुए वे कोआप्रे इन महकमे को वाईड अप करने की सोच रहे हैं।
(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: This is no question (Interruptions)

Sh. Lachman Singh: Sir, I can give the reply.
(Interruptions)

Mr. Speaker: How can the Industries Minister wind up the cooperation department ?

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब 26 प्रति 11त फ़ैल्यारे वाले सवाल का जवाब तो दे दें।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह तो उस थोडे पीरियड की बात है जब जनता पार्टी के राज में ये इंडस्ट्रीज लगायी गयी थीं। ये इंडस्ट्रीज फेल होने को एक कारण इनमें 4 आदमियों का कम से कम होना जरूरी था। उसके बाद सरकार ने इस बारे में विचार किया। उस वक्त 4 की पालिसी के तहत जो इंडस्ट्रीज लगी थी जहां पर ट्रांसपोर्टे इन का अरेंजमेंट ठीक नहीं था। इसके अलावा इंडस्ट्रीज लगाने वालों के पास पूरी नो हाऊ भी अवेलेबल नहीं थी और कई चीजों की मार्किट भी अच्छी नहीं थी। बहुत सी ऐसी आइटम्ज भुरु कर दी गई जिनकी मार्किट बिल्कुल भी नहीं थी। स्पीकर साहब आपको याद होगा पिछले सालों में जब मोम की बात हाउस में चलती थी तो बहुत ज्यादा आक्वार्ड पोजी इन सरकार की होती थी। मैं यह बात ईमानदारी

से बताना चाहता हूँ कि जब से मैं इस महकमे का मिनिस्टर बना हूँ तब से एक भी एप्लीके इन मोम के कोटे की नहीं आयी है, हमारे पास यह कोटा अभी भी सरप्लस पडा है। इस कोटे को कोई भी ले ले। बे एक सारे के सारे हमारे अपोजी इन के भाई, यह कोटा ले लें क्योंकि इस बारे में अब कोई बैन नहीं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इंडस्ट्री की पोजी इन मार्किट पर डिपेंड करती है। (व्यवधान व भांरा)

डा० ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी डिस्ट्रिकटवाईज इंडस्ट्रीज की संख्या दी है और यह बताय है कि अम्बाला में 1200 के लगभग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और कुछ वहां पर फेल्यारे भी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जगाधारी में उनके डिपार्टमेंट के पास कितनी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब यह सवाल तो रूरल इंडस्ट्रीज का है। इस हाउस में अगर हमारे माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज काहं पर रजिस्टर्ड हैं तो उनको सैपरेट नोटिस देना होगा फिर मैं सब कुछ बता दूंगा क्योंकि आपको भायद पता होगा कि कुल 39000 के करीब इंडस्ट्रीरज रजिस्टर्ड हैं। इस समय इनकी सारे हरियाणा में ब्रेक अप जो है, वह हमारे पास नहीं है।

Attack on Police person in District Kurukshetra

***240. Ch. Sahab Singh Saini:** Will the chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some police officer/personnel in district Kurukshetra were attacked by sme persons during the period from December 1982 to February 1983.

(b) whether it is also a fact that the persons refered to in part (a) above were equipped with fire arms etc. at the time of the said attck;

(c) whether it is a fact that any of the persons responsible for attacking the said police personnel were issued fire arm licences during the last one year; and

(d) if the answers to part (a) to (c) above are in the affirmative, whether the Government proposes to cancel the fire arm licenses of the persons referred to in part (c) above ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं

(घ) प्र न ही नहीं उठतां

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा में जो एस0आई0 पीटा गया था। वह कैथल में एक मुकदमें में भाहादत देकर वापिस पेहवा आकर बस स्टैंड पर एक ढाबे पर खान खा रहा था कि वहां पर कुछ असामाजिक लोगों ने उसको बुरी तरह पीटा ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, साहब सिंह जी ने बात कही हैं, यह बिल्कुल ठीक है कि हजूरा सिंह जो सन 1979 में पेहवा में लगा हुआ था उसको कुछ आदमियों ने पीटा था। उसने वहां पर एक नथ्था सिंह नाम के व्यक्ति का जब वह वहां पर ए0एस0आई0 था धारा 325 के अधीन चालान किया था। उसकी वजह से बदले की भावना से वहां पर कुछ आदमियों ने हजूरा सिंह को पीटा। उस बारे में एक मुकदमा 5 आदमियों के खिलाफ दर्ज किया गया। तफती के दौरान यह पाया गया कि वहां पर केवल 4 आदमी थी। एक उनको फादर जो था, वह मौके पर नहीं था। 25 जनवरी को यह वाक्या हुआ और 26 जनवरी को उनको अरैस्ट कर लिया गया। उनकी बाद में हाई कोर्ट से जमानत हुई है। हम उस केस को जल्दी ही अदालत में पे टा करने जा रहे हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब मुख्य मंत्री महोदय ने जो बडा ही अनफार्चुनेट वाक्या बताया है, उसके बारे में मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सब इन्सपैक्टर यह अलेंज करता है कि उसको पांच आदमियों ने बदले की भावना से पीटा है लेकिन

इंक्वायरी होने पर केवल 4 पाये जाते हैं क्या यह बात ठीक है कि
पिटने वाले सब इंस्पैक्टर की पिस्तौल भी छीन कर ले गये थे ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, यह बात ठीक इन्होंने कही हैं कि वे पिस्तौल भी छीनकर ले गये थे लेकिन वह पिस्तौल भी बरामद की ली गई है और उनके खिलाफ सरकार पूरे तौर पर कार्यवाही कर रहे हैं

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने यह एडमिट किया है कि वे लोग पिस्तौल भी छीन कर ले गये। क्या यह बात भी ठीक है कि पिस्तौल मुल्जिमों के कब्जे से बरामद हुई है, क्या मुख्य मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पिस्तौल भी मुल्जिमों के कब्जे से बरामद कर ली गई है और उनके खिलाफ आर्म्ज एक्ट के तहत बाकायदा केस रजिस्टर किया गया है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि हजूरा सिंह सब इंसपैक्टर ने किसी को फौजदारी के मामले में पकडने की कोशिश की और उस रंजि की वजह से हजूरा सिंह को उन मुलजिलों ने बुरी तरह से पीटा। क्या यह भी तथ्य है कि जिस हस्पताल में वह एडमिट होना चाहता था, उसको वहां पर एडमिट नहीं किया गया और दूसरे अस्पताल में ले जाया गया ? उसने यह भी कहा कि उसके साथ यह ज्यादाती हो रही है, क्या यह बात भी ठीक है कि राजनैतिक दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वह 1979 में पेहवा में लगा हुआ था। यह बात की बात नहीं है। यह तू पुरानी बात है। उस समय की रंजि 1 की बिनाह पर पीटा गया है। वे लोग किसी कत्ल के मुकद्दमें में भाहादत देने के लिए पेहवा आये थे। एक ढाबे पर वह एस0आई0 खाना खा रहा था, वहीं पर वे भी खाना खाने के लिए आ गये और उनकी आपस में कुछ कहा सुनी हो गई। वहां पर उन्होंने हजुरा सिंह की मारपीट करने की कोशिश की और उसका रिवाल्वर छीन लिया। उनके खिलाफ धारा 332, 392 और 353 के अधीन केस दर्ज किया गया था। अदालत में हम वह केस जल्दी ही देने जा रहे हैं। जहां तक इसमें राजनैतिक दखल की बात है, यह बिल्कुल गलत है कि किसी किसम का इस मामले में राजनैतिक दखल है। किसी भी मैम्बर ने इस बारे में कोई बात नहीं की है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह राज्य में कानून और व्यवस्था का मामला है। प्रांत में जो ईमानदार पुलिस अफसर हैं, उनके साथ इस प्रकार से ज्यादाती हो रही है। जो ईमानदार पुलिस अफसर हैं, उनको बदला जा रहा है और उनको डिस्करेज किया जा रहा है, इसलिये मैं स्पीकर साहब, मांग करता हूं कि इस मामले पर हाफ एन आवर डिस्कान अलाउड की जाये।

11.00 बजे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये

मास्टर रिाव प्रसाद: मुख्य मंत्री महोदय ने पार्ट सी का जवाब नहीं में दिया है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या जागरी सिंह के नाम पिस्तौल का लाइसेंस है और उसके लडकों के नाम भी राइफल का लाइसेंस है और क्या इस असले को वापिस लेने की सरकार को रिा करेगी ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उसके लडकों के नाम कोई असला नहीं है। जागीर सिंह के नाम जो रिवाल्वर का लाइसेंस है वह आज से नहीं है बहुत पहले से है और वह इंक्वायरी में दोशी नहीं पाया गया इसलिए उसका असला वापिस लेने का सवाल नहीं है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस किस्म की घटनाएं बढ रही हैं। क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐंटी सो गल एलीमेंटस से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की पोजी गन जितनी हरियाणा में अच्छी है उतनी किसी भी प्रांत में अच्छी नहीं है। साथ वाले प्रांत का जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। अगर माननीय सदस्य किसी और प्रांत में जाकर ला एण्ड आर्डर की पोजी गन देखें तो उन्हें पता लग जाएगा कि हरियाणा में पोजी गन कितनी अच्छी हैं

डा० भीम सिंह दहिया: अध्यक्ष महोदय, श्री राम बिलास भार्मा ने पूछा था कि इस पुलिस अफसर को किसी खास हस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात उनके नोटिस में आई है और अगर आई है तो जिस डाक्टर ने उस अफसर को दाखिल नहीं किया उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में नहीं आई है और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है भी नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस केस के बारे में दो तीन चर्चाएँ सारे हरियाणा में सुनी जाती हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय इन चर्चाओं के बारे में रोशनी डालेंगे ? (1) जो पांचवाँ आदमी है वह इस वाके में शामिल था लेकिन किसी राजनैतिक दबाव में आकर उसको इंकवायरी से निकाला गया है और अब वह दनदना रहा है वह आर्म्ज लाइसेंस रखे हुए है और ऐसी ऐप्रीहेन्शन है कि इस पुलिस अफसर का नुकसान न हो जाए। (2) यह जो कांड हुआ है यह किसी राजनैतिक आदमी के इतारे पर हुआ है। (3) अब यह केस किस स्टेज पर है और गवाहान पर तो कोई दबाव नहीं डाला जा रहा जिससे कि वे गवाही न दें ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसके पास लाइसेंस भुदा हथियार

है उसको उस हथियार का मिसयूज नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी आदमी अगर किसी को मारने की धमकी देता है या लाइसेंस भुंदा हथियार का मिसयूज करता है तो वह हथियार उसके पास नहीं रहने दिया जाएगा और उसके खिलाफ ऐक्टान लिया जाएगा। जहां तक दूसरी बात का सवाल है कि किसी राजनैतिक दबाव से तो कोई गडबड नहीं की जा रही है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चारों मुलजिमान को पकड कर अन्दर बंद किया गया था और हाई कोर्ट से उनकी जमानत हुई है। उनका चालान बनकर तैयार हो चुका है और बाकायदा चालान पे किया जाएगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह केस पेहवा चुनाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ कन्सर्ड है। यह अफसर पेहवा में लगा हुआ था और जो साहब उस समय सत्ता में नहीं थी उनके नाजायज दबाव में यह अफसर नहीं आता था। इस अफसर का रि तेदार जो उस समय पेहवा के एम0एल0ए0 थे उनका स्पोर्टर था। इसका बदला लेने के लिए उसको परे तान करने के लिए

.....

श्री अध्यक्ष: इसमें मुझे इंवाल्व क्यों करते हैं ?

श्री मंगल सैन: मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पेहवा के एम0एल0ए0 की बात कर रहा हूं। अच्छा मैं उसको यहीं पर छोडता हूं और मैं इस तरह पूछ लेता हूं। क्या मुख्य मंत्री

महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जो पांचवा आदमी निकाला गया है जिसके पास पिस्तौल थी और वाकई उस वाक्य के समय भी वह पिस्तौल लिए हुए था। उस इलाके के विधायक के दबाव में आकर उसका नाम हटाया गया है ?

चौधरी भजन लाल: डा० साहब चक्कर देकर सवाल पूछते हैं। (हंसी) मैं बताना चाहता हूँ कि इस बारे में न तो स्पीकर साहब ने कुछ कहा और न ही सरदार प्यारा सिंह ने कहा। स्पीकर साहब, यह वाक्य इत्फाक से ही हुआ था। एस०आई० बस स्टैंड पर ढाबे पर रोटी खा रहा था। वे भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने पी रखी थी क्योंकि भाम का टाईम था। उनमें आपस में तू-तू, मैं-मैं हो गई और उनका झगडा हो गया। स्पीकर साहब यह बात अचानक हो गई। इसके पीछे किसी की साजि । नहीं है और न ही किसी गनुाहगार आदमी को बख्शा जाएगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह सरकार इतनी कमजोर है कि अपने अफसर को प्रोटेक्टान भी नहीं दे सकती। कितनी अजीब बात है कि पुलिस अफसर का पिस्तौल छीनकर चले गये।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, चार आदमी थे वे और वह पुलिस अफसर अकेला था। पिस्तौल उसके पास था। वह अकेला क्या कर सकता था।

श्री निहाल सिंह: मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि पांचवा आदमी इंकवायरी से निकाल दिया गया और इस ग्रुप के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है। दूसरे ग्रुप को डर है कि कहीं वे आदमी कोई नुकसान न कर दें क्योंकि इस सब इंसपैक्टर को संबंध दूसरे ग्रुप से है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी हालत में इस आदमी के लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, यह बात हाउस में नहीं कही जा सकती कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा। मुकद्दमा कोर्ट में चल रहा है। अगर वह आदमी कोर्ट में चला जाए तो ठीक बात नहीं होगी। सरकार हर आदमी की रक्षा करती है। अगर एक सिपाही के साथ भी कोई गलत बात होती है तो डी0आई0जी0 आई0जी0 इंकवायरी करते हैं और यह तो एस0आई0 हैं तो इसके साथ भी कोई ज्यादाती नहीं होने दी जाएगी और किसी भी गुनाहागार को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री रो न लाल आर्य: क्या मुख्य मंत्री जी बातने की कृपा करेंगे कि सब इंसपैक्टर का जो रिवाल्वर मिला वह किस जगह से प्राप्त हुआ ?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, जागीर सिंह पर पहले 307 का केस चल रहा था और उसके दानों लडके भी

इस केस में इन्वाल्ड थे। इनके पास आर्म्ज का लाईसैंस है और यह जो सब इंस्पैक्टर के साथ झगडा हुआ यह लोकल विधायक की भाह पर हुआ था। क्या ऐसी हालत में उनके लाईसैंस जब्त करने पर सरकार विचार करगी ?

चौधरी भजन लाल: मुझे पता नहीं कि उस पर 307 का केस था या नहीं लेकिन अगर 107 या 151 का केसी भी उसके ऊपर होगा तो उसके पास असला रहने का सवाल नहीं है।

Concessions to the Farmers of damaged crops

***145. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total area of cultivable land irrigated by canals and tubewells in the State during the years 1980-81 and 1981-82 separately;

(b) the crops damaged during the years 1980-81 and 1981-82 upto 50% in the land mentioned in part (a) above irrigated by canals and tubewells separately; and

(c) whether the Government has given any concession in the assessment and collection of water rate of the above referred to crops; if not, the reasons thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ाम ार सिंह सुरजेवाला):

(ए) नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचित किया गया कुल क्षेत्र इस प्रकार है :-

नहरें:-

1980-81 = 1839636 हैक्टरज

1981-82 = 1912666 हैक्टरज

नलकूप:-

1980-81 = 46160 हैक्टरज

1981-82 = 16160 हैक्टरज

(बी) उपरोक्त पैरा "ए" में कथित 50 प्रति शत तक क्षतिग्रस्त क्षेत्र इस प्रकार है :-

नहरें:-

1980-81 = 24812 हैक्टरज

1981-82 = 141583 हैक्टरज

नलकूप:-

1980-81 = 46160 भून्य

1981-82 = 16160 भून्य

(सी) हां जी, नहरों से सिंचित ऐसे क्षतिग्रस्त फसलों के उपलक्ष्य में रियायत बतौर रिमि टान दी गई है। जहां तक नलकूपों से सिंचित नुकसान हुई फसलों का संबंध है। इस बारे में कोई रियायत बतौर रिमि टान नहीं दी गई है, क्योंकि जमींदारों से वास्तविक बिजली की यूनिट की खपत के अनुसार रेट चार्ज किया जाता है और सिंचित क्षेत्र के आधार पर आबयाना वसूल नहीं किया जाता है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब के पार्ट सी में बताया कि जहां तक नलकूपों से सिंचित नुकसान हुई फसलों का संबंध है, इस बारे में कोई रियायत बतौर रिमि टान नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय दो तरह से सिंचाई होती है, एक नहरी पानी से और दूसरी ट्यूबवैल्ज से। जहां पर नहरी पानी से सिंचाई होती है। अगर उस हालत में किसानों का नुकसान हो जाता है तो किसानों को पूरी तरह से रियायत दी जाती है और अगर ट्यूबवैल्ज से बिजली की सप्लाई न होने की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो उन को भी पूरी तरह से सरकार की तरफ से बिजली के बिलों की छूट दी जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान सरकार करने का विचार रखती है ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 1451 डायरेक्ट इरीगे टान ट्यूबवैल्ज हैं जिनको गहरे ट्यूबवैल्ज कहते हैं। वे भिन्न भिन्न जिलों में लगे हुए हैं और

उनके लिए एम0आई0टी0सी0 को बिजली बोर्ड द्वारा करीब अढाई करोड रूपया खर्चा देना पडता है। एम0आई0टी0सी0 जमींदारों से जो चार्ज करती है, वह इस प्रकार है। 65 पैसे पर यूनिट के हिसाब से किसानों कसे एम0आई0टी0सी0 चार्ज करती है और जो आप्रे इन कास्ट बिजली बोर्ड को देनी पडती है वह 115 पैसे पर यूनिट के हिसाब से देते हैं। इससे आई0टी0सी0 को 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से नुकसान होता है। किसानों की और मांग है कि ऐसे नलकूपों को लगाया जाये और उन्हें इस तरह से चार्ज करने में किसी तरह का भी एतराज नहीं है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया कि डायरैक्टर ट्यूबवैल्ज से सिंचाई पर किसानों को रियायत देने का सवाल नहीं है। प्राइवेट सैक्टर में भी बहुत से ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं। डायरैक्टर कनैक्शनर्ज हैं, उनके मीटर भी नहीं लगे हुए और उन से फ्लैट रेट से चार्ज किया जाता है। उनसे पूरे महीने का बिल चार्ज यिका जाता है लेकिन बिजली कम सप्लाई की जाती है। क्या ऐसे ट्यूबवैल आनर्ज को कोई कनसै इन सरकार देने का विचार रखती है ?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट ट्यूबवैल्ज हैं, उन पर बिजली का रेट 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से होता है और एम0आई0टी0सी0 बिजली बोर्ड को 41 पैसे पर यूनिट के हिसाब से देती है। इससे लाखों रूपयों का

नुकसान हो रहा है। इसलिए पहले ही प्राइवेट ट्यूबवैल्ज को काभी रियायती दरों पर बिजली की सप्लाई की जा रही है। जिनके मीटर वगैरह नहीं हैं, उनकी कौलकुले इन पहले ही की हुई हैं और उनको उसी के हिसाब से बिली भेजा जाता है। दिन में आठ घंटे के हिसाब से बिल भेजे जाते हैं।

चौधरी खिल्लन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के हथीन और हसनपुर की तरफ आगरा कैनल आती है और उसी से ही सिंचाई की जाती है तथा उतनी मात्रा में पानी नहीं मिलता है जितनी की आवश्यकता है वह नहर यू0पी0 सरकार के कंट्रोल में है। जब फसलें नष्ट हो जाती हैं तो तावान भी माफ नहीं किया जाता है। और अधिकतर गांवों में अढाई तीन लाख रूपये का यूं ही लोगों पर तावान लगा रख है। क्या सरकार इस बात का विचार रखती है कि आगरा कैनल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाये ताकि पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रबंध किया जा सके और किसान लोग उस भारी तावान से बच सकें, जो कि उनको देना पडता है ?

चौधरी भामेरा सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जहां तक तावान का सवाल है। यह सेमी जुडी टायल प्रोसीडिंग्स हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है कि जो तावान लगता है वह गलत लगता है। जहां तक यू0पी0 सरकार का कंट्रोल है, इस बारे में हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है कि जल्दी से जल्दी वह नहर हमारे कंट्रोल में आ जाए।

ठाकुर बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार किसानों के फसल के बाद आबयाना लिया जाता है। क्या उसी तरह से बिजली के बिल भी सरकार फसल के बाद लेने का विचार रखती है ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस प्रकार से नहरी पानी से किसानों को रिलीफ मिलता है क्या उसी प्रकार से जो लागे अपने ट्यूबवैल्ज लगाकर सिंचाई करते हैं, क्या उन को भी सरकार कोई रिलीफ देने का विचार रखती है क्योंकि उन को अपने ट्यूबवैल्ज लगाने पर काफी खर्चा करना पड़ता है ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात कोई विचाराधीन नहीं है कि बिजली के बिल भी फसल आने के बाद लिए जाएं। पहले ही हम किसानों से कंसै ानल रेटस ले रहे हैं, जिससे बिजली बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर तो लोगो 'को नहरी पानी के इस्तेमाल के कारण तावान लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की फसलें नहरें टूट जाने के कारण पानी से बरबाद हो जाती है। मेरे इलाके गोहाना में एक दो जगहों पर ऐसा हुआ है तो क्या सरकार ऐसे केसिज में जिसकी नहरें टूट जाने के कारण फसलें तबाह हुई हों, उन को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: वैसे तो अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का इससे कोई संबंध नहीं है फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस तरह से जिनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, नहर विभाग वाले उनको मुआवजा अव य देते हैं। इसलिए मैं आनरेबल मैम्बर को यह सलाह दूंगा कि अगर कोई ऐसे केसिज हैं तो अव य ही संबंधित विभाग के नोटिस में लाएं, हम पैरवी करवाएंगे ताकि किसानों काचे उनकी फसल बरबाद होने का मुआवजा मिल सके।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बिजली समय पर न मिलने के कारण किसानों की कितनी हैक्टेयर जमीन का नुकसान हुआ है ? अगर किसानों को समय पर पूरी बिजली सरकार की तरफ से दी जाती तो भायद उनका इतना नुकसान न होता और अब सरकार इस के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह इनका कहना निराधार है कि बिजली की कमी के कारण लोगों की फसलें बरबाद हुईं। फसलों को कभी भी बिजली की कमी के कारण नुकसान नहीं होता। दरअसल बात यह है कि अगर बरसात समय पर न हो तो कहीं जाकर ऐसा असर पडता है। फिर भी मैं आनरेबल सदस्या की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि पिछली पैडी की जो क्राप थी, उस सम हालांकि खराब सीजन था। उसके बावजूद भी पैडी की क्राप ज्यादा थी। इसके क्या कारण थे

कि सरकार की ओर से बिजली मुतवातर उन्हें मिलती रही जिससे कि वे अपने खेतों को पानी की सप्लाई रेगुलर रख सकें। अगर सीजन खराब होने के साथ साथ बिजली की सप्लाई भी न होती तो भाायद पैडी की फसल खराब हो जाती। इससे साबित होता है कि सरकार की तरफ से कभी कोई कोताही नहीं की जाती। और न ही की जा रही है। अब भी किसानों को सस्ते रेटस पर बिजली की सप्लाई दी जा रही है। एम0अर्डा0टी0सी0 बिजली बोर्ड से महंगे भाव पर बिजली लेती है और किसानों को आगे सस्ते भावों पर बिजली देती है।

चौधरी नर सिंह: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भले राम सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि नहर टूटने से अगर किसी किसान का नुकसान हो जाता है तो उसको मुआवजा दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि ऐसा होने से जो आगे की जमीन वाले पानी से वंचित रह जाते हैं क्या उनको भी कोई मुआवजा दिया जाएगा ?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। यह तो किसान आपस में मिल कर नहर काट लेते हैं। साथ वाली जमीन वाले दोशी को पकडवाने के लिए भी तैयार नहीं होते यानी चोर का नाम भी नहीं बताते फिर उनको मुआवजा कैसा ?

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरे जुलाना हल्के के अंदर पानी की बहुत कमी है और ऊपर की तह का पानी खराब है क्या एम0आई0टी0सी0 द्वारा वहां पर डीप टैयूबवैल्ज लगवाने पर विचार करेंगे ?

चौधरी भामेरा सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, आज हरियाणा में 1451 डायरेक्ट इरीगेशन के टयूबवैल्ज लगे हुए हैं। इनमें से अम्बाला जिला में 641, कुरुक्षेत्र जिले में 284, करनाल में 136, जींद में 28, सोनीपत में 28, महेन्द्रगढ़ में 90, गुड़गांव में 7, रोहतक में 4, भिवानी में 56, हिसार में 88, सिरसा में 42 और फरीदाबाद जिला में 48 लगे हुए हैं। फिर भी माननीय सदस्य अगर कोई ऐसी तकलीफ वाली बात बताएं तो मैं पूरी इनवैस्टीगेशन करवाऊंगा। जहां जरूरत होगी, मदद करेंगे।

Vacant Posts of Doctors in Medical College, Rohtak

***160. Sh. Ram Bilas Sharm:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any posts of Doctors are lying vacant at present in the Medical College, Hospital, Rohtak;

(b) if so, the department wise number thereof together with the time since when the said posts are lying vacant and the period within which these are likely to be filled up; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the manner in which the operation theatre of the said hospital has been attending to emergency cases ?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां ।

(ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ग) इस हस्पताल के आप्रे 11 थियेटर भिन्न भिन्न विभागों में लगे हुए अमले की सहायता से पहले की भांति चलाए जा रहे हैं ।

सूचना

	स्पै यलेटी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं	
प्रोफैसरज़				
1	ऐनेस्थीसियोलोजी	1	4 / 1978	
2	न्यूरो सर्जरी	1	1973	
3	स्किन एवं बी०डी०	1	10 / 80	
4	रेडियोथेरापी	1	1972	
5	साईक्याट्री	1	7 / 1978	
6	आर्थोपैडिक्स	1	1.2.83	
7	सर्जरी	1	11 / 80	
टीचरज़ (लैक्चरार / रीडर / एसोसिएट प्रोफैसर				
			4	26.6.70 से
			1	30.6.82 से
1	एनेटोमी	6	1	9.4.68 से

2	फिजियोलोजी	4	2	26.6.70 से
			1	7.8.76 से
			1	4.3.77 से
3	बायो कसिस्ट्री	2	1	21.11.72 से
			1	29.5.80 से
4	पैथोलोजी	5	1	8.5.74 से
			1	8.10.82 से
			1	4.2.81 से
			1	23.3.79 से
			1	10.10.80 से
5.	फोरेंजिक मैडिसिन	2	1	1.10.82 से
			1	10.10.66 से
6	फार्माकोलोजी	2	1	6 / 81 से
			1	26.8.78 से
7	एस0पी0एम0	5	3	4.7.81 से

			2	27.5.72 से
8.	ऐनेस्थीसियोलोजी	4	1	15.1.76 से
			1	24.9.81 से
			1	11.9.81 से
			1	2.7.81 से
9	ई0एस0टी0	1		5.6.82 से
10	औपथलमोलोजी	3	1	30.6.82 से
			1	28.4.81 से
			1	20.4.78 से
11	न्यूरो सर्जरी		1	5.3.73 से
12	टी0बी0 एवं चैस्ट	2	1	12.11.82 से
			1	9.4.68 से
13	पीडियाट्रिक्स	1		12.11.82 से
14	रेडियोलोजी	3	1	3.8.78 से
			1	26.11.76 से

			1	27.5.72 से
15	साईकेटरी	3	1	9.5.80 से
			1	13.1.82 से
			1	30.4.82 से
16	प्रसूति रोग	4	1	14.7.81 से
			1	24.12.81 से
			1	26.2.82 से
			1	27.5.82 से
रजिस्ट्रार / डिमांस्ट्रै रज				
1	ऐनेटोमी	3	1	5.8.81 से
			1	31.10.81 से
			1	31.8.82 से
2	फिजियोलोजी	1		25.6.81 से
3	बायो कॅमिस्ट्री	4	1	7.2.80 से
			1	6.9.80 से

			1	24.4.81 से
			1	11.6.81 से
4	पैथोलोजी	7	1	19.3.81 से
			1	2.4.81 से
			1	7.3.82 से
			1	4.7.82 से
			1	4.9.82 से
			1	15.9.82 से
			1	14.2.83 से
5	माईक्रोबायोलोजी	4	1	8.8.81 से
			1	31.8.81 से
			1	16.2.82 से
			1	30.6.82 से
6	फार्माकालोजी	1		31.10.81 से
7	फौरजिक मैडिसिन	2	1	13.5.82 से

			1	7.12.82 से
8	ब्लड बैंक	2	1	2.4.81 से
			1	16.11.81 से
9	ऐनेस्थीसियोलोजी	5	1	27.6.81 से
			1	31.1.82 से
			1	18.3.82 से
			1	31.10.82 से
			1	3.2.83 से
10	कैजुअल्टी	3	1	12.8.81 से
			1	4.9.81 से
			1	1.7.82 से
11	मैडिसिन	15	1	4.8.80 से
			1	11.6.81 से
			1	26.6.81 से
			1	27.6.81 से

			1	14.7.81 से
			1	10.9.81 से
			1	23.8.82 से
			1	30.10.81 से
			1	8.1.82 से
			1	21.1.82 से
			1	18.3.82 से
			1	26.7.82 से
			1	16.9.82 से
			1	5.12.82 से
			1	20.2.82 से
12	पीडियाट्रिक सर्जरी		1	20.9.82 से
13	प्रसूति रोग	3	2	26.6.81 से
			1	27.9.82 से
14	आथोपैडिक्स		1	13.9.82 से

15	पीडियाटिक्स	5	1	14.7.81 से
			1	30.12.81 से
			1	21.1.82 से
			1	15.6.82 से
			1	17.9.82 से
16	साईक्याट्री	1		5.12.82 से
17	रेडियोलोजी	4	1	9.8.80 से
			1	31.10.80 से
			1	12.11.82 से
			1	9.1.83 से
18	सर्जरी	11	1	31.10.80 से
			1	26.6.81 से
			1	4.9.81 से
			1	5.1.82 से
			1	26.5.82 से

			1	11.4.82 से
			1	14.7.82 से
			1	14.9.82 से
			1	17.9.82 से
			1	21.6.82 से
			1	26.9.82 से
19	स्किन एवं बी०डी०	1		26.6.81 से
20	एस०पी०एम०	2	1	26.6.81 से
			1	1.9.81 से
21	आपथमोलोजी	5	2	25.6.81 से
			1	1.9.82 से
			1	2.9.82 से
			1	15.9.82 से
22	डैटिस्ट्री		2	8.1.82 से

यह पद या तो नए सृजन होने के कारण रिक्त हैं या इन पर कार्य करने वाले संबंधित डाक्टरों के त्याग पत्र देने या सेवा निवृत्त होने के कारण रिक्त हैं यह पद समय समय पर तदर्थ आधार पर या नियमित आधार पर भर लिए जाते हैं और कार्य की हानि नहीं होने दी जाती।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि मैडिकल कालेज रोहतक में एनेस्थीसियलोजी की 4 पोस्टें सन 76 और 81 में खाली पडी हैं, चार पोस्टें गायनी में खाली पडी हैं और भी प्रोफ़ैसर्ज वगैरह की बहुत पोस्टें खाली पडी हैं। इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि काम में कोई सफर नहीं हो रहा है। एनेस्थीसियलोजी उसको कहते हैं जहां आप्रे उन से पहले आदमी को बेहो ा किया जाता है वहां भी पोस्टें 76 से खाली पडी हैं फिर ये कैसे कहते हैं कि कोई काम सफर नहीं हो रहा है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात को माना है कि कुछ पोस्टें खाली हैं। इनके लिये कमेटी ने एक बार इन्टरव्यू ली थी। चीफ सैक्रेटरी साहब उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, एक वाइस चांसलर का नुमांयदा है और दो टैक्नीकल आदमी बाहर से आते हैं लेकिन कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला। हमारी भरसक कोर्ि ा ा रही है कि बहुत आव यकता वाली पोस्टें जल्द से जल्द भरी जाएं। आगे के लिये भी हम यही कोर्ि ा ा कर रहे हैं।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं इनमें से कई बड़ी सीनियर पोजी इन की हैं जैसे प्रौफसैज़, एसोसिएट प्रोफैसर्ज की पोस्टें पिछले तीन चार सालों से खाली पड़ी हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बारे में कभी सोचा कि रिप्यूटड प्रोफैसर्ज और अच्छे अच्छे डाक्टरज वहां से नौकरी छोड़ कर क्यों जा रहे हैं ? ये पोस्टें इतनी देर से खाली पड़ीं हैं क्या पब्लिक सर्विस कमी इन का फर्ज नहीं बनता है कि इनके लिये आदमी सिलैक्ट करें ? क्या सरकार पब्लिक सर्विस कमी इन के जरिये इन पोस्टों को भरेगी या उसको कमी इन पर वि वास नहीं है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर्ज की सात पोस्टें खाली हैं। आप जानते हैं कि कुछ प्रोफैसर्ज इसलिए छोड़ कर चले जाते हैं कि उनकी और जगह पर अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसके बावजूद भी हमने भरसक कोशिश की है कि वे पोस्टें खाली न रहें। जहां तक कमी इन का सवाल है, पब्लिक सर्विस कमी इन पर हमें पूरा भरोसा और वि वास है। कमी इन को भी एक बार पोस्टें भेजी थी लेकिन आदमी नहीं आए। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई ताकि वह इन पोस्टों को भर सके।

श्री मंगल सैन: अभी मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि कई डाक्टर छोड़ कर चले जाते हैं, ये मजबूर हैं उनको रोक नहीं सकते। स्पीकर साहब, सात प्राफैसर्ज जो चले गये वे बड़े रेपुटे इन वाले थे। कुछ लोग तो इसलिये चले गये कि उनको

टैलीफोन पर रोज धमकियां दी जाती थीं कि चले जाओ वरना खराब होंगे। क्या डाक्टरों इसलिए छोड़ कर जा रहे हैं कि वहां के उप कुलपति द्वारा वहां पर वातावरण बिगाड़ा हुआ है। डा० सैनी चले गये और डा० माडिया जाने की तैयार में हैं। दूसरे स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि टोटल 138 पोस्टें खाली हैं जिनमें प्रोफ़ैसर्ज, असिस्टेंट प्रोफ़ैसर्ज और रीडर भी हैं। इतना बड़ा हस्पताल बन करने के लिये जहां एक हजार से ऊपर बेड हैं, ये पोस्टे इतनी देर से खाली पड़ी हैं परन्तु अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ? ये निकट भविष्य में इस बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? क्या ये महसूस करते हैं कि वहां पर वाइस चांसलर का नुमांयदा होने के कारण इन्टरव्यू बोर्ड में लोग अपना पसन्द नहीं करते ? क्या यह काम पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डा० साहब ने कहा यह ठीक बात है। डा० सिंगल्टन प्रोफ़ेसर, डा० सैनी को हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप मत जाओ। स्पेशली डा० सैनी को तो मैंने कहा कि आपको यहां ही रहना चाहिए लेकिन आप जातने हैं कि जब किसी को अच्छी जाब और जगह मिल जाती है तो वह चला जाता है। इसी तरह से डा० सिंगल्टन प्रोफ़ेसर यहां पी०जी०आई० में आ गये। ये समझते हैं कि यहां आने से उनका नाम होगा। तो इस प्रकार की दिक्कत हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये पोस्टें जल्द भरी जाएं। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन

आदमी भेज दे तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम यह काम उनको भी दे सकते हैं।

श्री फतेह चन्द विज: मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डा० मैनी को रिक्वैस्ट की गई कि वे छोड़ कर न जाएं। क्या उनको यह भी कहा गया कि अगर उप कुलपति की तरफ से कोई तकलीफ है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे डा० मंगल सैन ने कहा कि टैलीफोन पर धमकी दी जाती है। हमारी तरफ से जो टैलीफोन पर कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। जहां तक वाइस चांसलर का सवाल है। आप जानते हैं कि वहां अंदर ऐसा कोई माहौल हो जो ठीक न हो। मैं यह नहीं कहता कि वहां का सारा वातावरण बहुत अच्छा है लेकिन जहां तक हमारे मैडिकल कालेज का ताल्लुक है, वह बहुत ठीक तरीके से रन कर रहा है। दूसरे मैडिकल कालेजों के मुकाबिले में रोहतक का मैडिकल कालेज बहुत अच्छी हालत में है और ठीक तरह से काम कर रहा है। लोगों को पूरी तसल्ली है कि वहां पर मरीजों की देखभाल ठीक प्रकार से होती है। जो स्टाफ की कमी है, उसको दूर करने की हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने इन खाली स्थानों का कारण बताया कि कुछ लोग तो त्याग पत्र दे गये और कुछ रिटायर हो गये। मेरी जानकारी में कुछ ऐसा है कि

कुछ डाक्टरज ऐसे भी हैं जो आन रोल भी हैं और विदे तों में काम कर रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कोई डाक्टर 6 महीने के लिए इजाजत लेकर बाहर चला जाता है और वहां जा कर 6 महीने का टाईम और मांग लेता है तो मजबूरन टाइम बढ़ाना पडता है । हो सकता है एक दो केसिज ऐसे हों ।

श्री अध्यक्ष: क्वै चन आवर इन ओवर ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित

प्र नों के लिखित उत्तर

Repairs to Rohtak Beri Road

***207. Ch. Om Parkash:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state-

(a) whether any complaints have been received from the residents of village Gochhi and other adjoining villages of district Rohtak that the Rohtak-Beri road passing through the said villages has been lying completely damaged and unrepaired for the last five years; if so, the action, if any, taken thereon; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the road referred to

in part (a) above; if so, the time by which its repair work is likely to be started and completed ?

लोक निर्माण राज्या मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान):

(क) तथा (ख): इस सड़क का वह हिस्सा जो गोच्छी गांव से गुजरता है। बार बार पानी इकट्ठा होने के कारण खराब हो जाता है। इसकी हर वर्ष मुरम्मत की जाती रही है। अगली मुरम्मत एक महीने के अंदर भुरू कर दी जायेगी और तीन महीने में पूरी कर दी जायेगी।

इस सड़क की मुरम्मत के बारे में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु कोई ऐसी िाकायत नहीं आई है कि इस सड़क की मुरम्मत पिछले साल से नहीं हुई है।

इस सड़क की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए एक बार्ड पास मंजूर कर दिया गया है और इस को बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है।

Constables dismissed removed from Service

***218. Smt. Basanti Devi:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of constables dismissed/removed from the service during 1982; and

(b) the number of years of service at their credit on the day of their dismissal ?

चौधरी भजन लाल:

(ए) 421

(बी) स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखी जाती है।

स्टेटमेंट

वर्ष 1982 में सेवा मुक्त किये गये सिपाहियों की कुल संख्या जो:—

1. एक साल से कम सेवाकाल वाले
2. एक वर्ष से 3 वर्ष तक सेवा वाले
3. 3 वर्ष से 5 वर्ष तक सेवा वाले
4. 5 वर्ष से 10 वर्ष तक सेवा वाले
5. 10 वर्ष से 15 वर्ष तक सेवा वाले
6. 15 वर्ष से 20 वर्ष तक सेवा वाले
7. 20 वर्ष से 25 वर्ष तक सेवा वाले
8. 25 वर्ष से 30 वर्ष तक सेवा वाले

Allotment of Coal

***286. Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the details of coal allotted to various firms during the period from May, 1982 to date ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): No allotment of coal is made by the State Government. However, the State Government is the sponsoring authority for movement of coal and the recommendations in favour of various parties for importing coal/coke are made to the Director Rail Movement, Calcutta on "first come first served" basis.

The information regarding the recommendations made for slack soft coke from May, 1982 to date is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing the sponsership of slack coal rakes to various firms from Bengal/Bihar and Assam/Bhutan cola fields by rail from May, 1982 to-date.

Sr. No.	Name of the firm	Bengal/Bihar				Assam/Bhutan				G. Total
		9/82	12/82	3/83	Total	5/82	7/82	9/82	Total	
1	Deluxe Traders, Ballabgarh			1	1					1
2	Rajan Traders, Ballabgarh			1	1					1
3	Khasi Fuel, Ballabgarh			1	1					1
4	United Traders, Rewari	1		1	2		2	1	3	5
5	Apolo Traders, Co., Narnaul	1	1	1	3			1	1	4

6	Orient Distributors, Ballabgarh	1		1	2	1	2	1	4	6
7	Everest Fuel Co., Narnaul	1		1	2		2	1	3	5
8	Naveen Kumar & Co., Gurgaon	1		1	2	2		1	3	5
9	Susheel Trading Co., Gurgaon	1		1	2	2		1	3	5
10	Sunil Coal Co., Gurgaon	1		1	2	1		1	2	4
11	Om Coal Co., Gurgaon	1		1	2	2		1	3	5
12	Delite Enterprises, Rewari	1		1	2		2	1	3	5
13	Ashok Enterprises,	1		1	2	2		1	3	5

	Gurgaon									
14	Popular Traders, Gurgaon	1		1	2		2	1	3	5
15	Best Coal Suppliers, Rohtak	1		1	2			1	1	3
16	Karnal Coal Bhandar, Karnal	1		1	2			1	1	3
17	Manchanda Coal Co., Rohtak	1		1	2			1	1	3
18	Rani Ganj Corp. Rohtak	1		1	2			1	1	3
19	Fine Coal Co. Rohtak	1		1	2			1	1	3
20	Sita Ram & Co. Rohtak	1		1	2			1	1	3

21	Om Coal Co., Panchkula	1			1			1	1	2
22	Pana Lal Kanyalal Bansal, Gurgaon	1		1	2			1	1	3
23	R.P. Coal Suppliers, Gurgaon	1		1	2	1		1	2	4
24	Pansut Sales, Gurgaon	1		1	2	1		1	2	4
25	Pansut Udhyog, Gurgaon	1		1	2	1		1	2	4
26	Prem Goayl & Co., Sonapat	1		1	2			1	1	3
27	Krishna Industrial Trading Co., Ambala	1			1			1	1	2

28	Ajay Coal Traders, Kurukshetra	1			1			1	1	2
29	Bhagwati Enterprises, Kurukshetra	1		1	2		1	1	2	4
30	Dee Kay Coal Co. Karnal	1		1	2			1	1	3
31	Jain Coal Co., Rohtak	1		1	2			1	1	3
32	Satish & Brothers, Rohtak	1		1	2			1	1	3
33	Haryana Sales Coal Traders, Rohtak	1			1			1	1	2
34	Garg Coal Enterprises, Rohtak	1		1	2			1	1	3

35	Jindal Coal Traders, Rohtak	1			1			1	1	2
36	Kailash Traders, Rohtak	1		1	2			1	1	3
37	Mahabir Coal Suppliers, Rohtak	1			1			1	1	2
38	Goyal Coal Traders, Rohtak	1		1	2			1	1	3
39	K.B. Traders, Karnal	1		1	2					2
40	R.K. Coal Traders, Karnal	1		1	2					2
41	India Coal Co., Hissar	1		1	2			1	1	3
42	Sehgal Coal Co.,	1		1	2			1	1	3

	Hissar									
43	Chander Bhan Coal Agents, Hissar	1		1	2			1	1	3
44	Coal Traders Centre, Hissar	1		1	2			1	1	3
45	Bansal Coal Sales Corp. Bahadurgarh	1			1		3	1	4	5
46	Bhagwati Coal Traders, Yamuna Nagar	1		1	2					2
47	The Central Col & Store Co., Ambala	1			1					1
48	Fair Trading Corporation Ambala	1			1			1	1	1
49	Parkash Coal	1		1	2			1	1	3

	Suppliers, Ambala									
50	Goyal Commercial, Gohana	1		1	2					3
51	Hargobind Aggarwal, Narnaul	1		1	2					2
52	Mittal Brothers, Hissar	1		1	2		2	1	3	5
53	Bharat Coal Concern, Rohtak	1		1	2			1	1	3
54	Dass Brother, Rohtak	1		1	2			1	1	3
55	North Coal Traders, Rohtak	1		1	2			1	1	3
56	Pashupati Coal Traders, Rewari	1		1	2			1	1	3

57	Krishana Coal Syndicate, Rewari	1		1	2			1	1	3
58	Banwari Lal Rattan Lal, Sonapat	1		1	2			1	1	3
59	Naveen Coal Traders, Sonapat	1		1	2			1	1	3
60	Krishna Coal Suppliers, Rohtak	1		1	2			1	1	3
61	Garg Col Traders, Rohtak	1		1	2			1	1	3
62	Aggarwal Trader, Rohtak	1		1	2			1	1	3
63	Goel Coal Traders, Rohtak	1		1	2			1	1	3
64	Sat Narain Coal	1		1	2			1	1	3

	Co., Sonapat									
65	Super Supplier, Sonapat	1		1	2			1	1	3
66	Ambala Coal Traders, Ambala City	1		1	2			1	1	3
67	Lamba Brothers, Ambala City	1		1	2			1	1	3
68	A.K. Coal Co., Hissar	1		1	2			1	1	3
69	Swastik Coal Traders, Haily Mandi	1		1	2			1	1	3
70	Ambey Coal Co., Haily Mandi	1		1	2			1	1	3

71	Mittal Coal Suppliers, Hissar	1		1	2			1	1	3
72	Haryana Coal Co. Karnal	1		1	2					2
73	Kasturi Lal Harlal, Karnal	1		1	2					2
74	Diamond Coal Traders, Karnal	1		1	2					2
75	Amit Coal Concern, Rohtak	1		1	2			1	1	3
76	M.P. Coal Co., Rohtak	1		1	2			1	1	3
77	Vindo Coal Enterprises, Rohtak	1		1	2			1	1	3

78	Gupta Coal Syndicate, Hissar	1		1	2			1	1	3
79	Gill Traders, Jind	1		1	2			1	1	3
80	Shiv Coal Traders, Ambala Cantt	1		1	2					2
81	Kailash Chand Batra & Sons. Y. Nagar	1			1					1
82	Black Diamond Coal Co., Sonapat	1		1	2					2
83	Sachin Coal Co., Kurukshetra	1			1			1	1	2
84	Jain Coal Traders, Sonapat	1		1	2			1	1	3
85	Ram Saran Dass &	1		1	2					2

	Bors. Karnal									
86	Perfect Fuel Co., Ballabgarh			1	1					1
87	Sonepat Sales Corp. Sonepat			1	1					1
88	General Traders, Sonepat			1	1					1
89	Nothrewala & Co. Rohtak			1	1					1
90	Vijay Coal Co. Rohtak			1	1					1
91	Bansal Coal Co. Ambala Cantt			1	1					1
92	Singh Sales Corp. Ltd., Yamuna Nagar			1	1			1	1	2

93	Bharat Coal Co., Hissar			1	1		2	1	3	4
94	Geeta Coal Traders, Dhand			1	1			1	1	2
95	Vijay Coal Co. Jind			1	1			1	1	2
96	Coal Traders (India) Fatehpur Pundri (KKDE)			1	1			1	1	2
97	Bharat Coal Traders, Narnaul			1	1					1
98	Aggarwal Coal Trading Co., Mohindergarh			1	1					1
99	Lachhman Dass Sikri & Co. Yamuna Nagar			1	1					1

100	Unique Coal Traders, Ambala			1	1					1
101	Jindal Traders, Sonapat			1	1		1			1
102	Bharat Coal Agency, Ambala Cantt			1	1			1	1	2
103	Nandlal Gupta & sons, Karnal			1	1			1	1	2
104	Surinder Nath Ravinder Nath, Faridabad			1	1					1
105	Sharma Coal Concern Office, New Delhi			1	1					1
106	Ajay Coal Co.,			1	1					1

	Faridabad									
107	Rama Coal Supplier, Gurgaon			1	1					1
108	Jain Coal Suppliers, Hissar			1	1					1
109	Swastik Enterprises, Hissar			1	1			1	1	2
110	Karam Chand Thapar & Bros. Rohtak			1	1					1
111	Yamuna Coal Traders, Yamuna Nagar			1	1					1
112	Narang Coal Trader, Yamuna Nagar			1	1					1

113	Guru Nanak Coal Bhandar, Sonapat			1	1					1
114	Munish Coal Traders, Sonapat			1	1					1
115	R.N. Dhawan & Sons, Karnal			1	1					1
116	Bharat Coal Traders, Sonapat			1	1					1
117	Faridabad Coal Co., Faridabad			1	1					1
118	Puran Chand Mittal, Hissar			1	1					1
119	Subhash Chand & Co., Hissar			1	1					1
120	Krishan Kumar,			1	1					1

	Hissar									
121	Sita Ram, Hissar			1	1					1
122	R.P. Enterprises, Bhiwani			1	1			1	1	2
123	Tarshem Chand Raj Kumar, Barwala			1	1					1
124	Satish Enterprises, Hissar			1	1					1
125	Vishal Coal Traders, Babyal (Ambala)			1	1			1	1	2
126	R.K. & Co., Ambala Cantt			1	1					1
127	Surya Traders, Sonepat			1	1					1

128	Haryana Coal Corp. Karnal			1	1					1
129	Rajinder & Co. Hissar			1	1					1
130	Kabira Coal Co., Karnal			1	1					1
131	Haryana Coal Agency, Rohtak			1	1					1
132	Suraj Coal Traders, Hissar			1	1			1	1	2
133	Nath Trading Co., Bhiwani			1	1					1
134	Krishan Parkash Gupta, Rohtak			1	1			1	1	2
135	Sita Ram Babu			1	1					1

149	Pushpa Coal Co., Bhuna							1	1	1
150	Munish Coal Agency, Narnaul							1	1	1
151	Gupta Taders Railways Road, Soneapt							1	1	1
152	Krishna Coal Traders, Safidon Mandi							1	1	1

Statement showing the Recommendations of slack coal by Road form May, 82 to date

(Figures in Tonnes)

Sr. No.	Name of the Coal Agents/B.K.O.	7/82	8/82	9/82	10/82	11/82	12/82	1/83	2/83	Total
1	Jain Coal	1000	1000	1000						3000

	Suppliers, Hissar									
2	Rama Coal Suppliers, Gurgaon	1000	1000	2666						4666
3	R.P. Coal Suppliers, Gurgaon	1000	1000	2666						4666
4	Pansut Udyog, Gurgaon	1000	1000	2666						4666
5	Pansut Sales, Gurgaon	1000	1000	1000						3000
6	Gupta Traders, Sonapat			1666	1000	1000	1000			4666
7	Aggarwal Traders, Sonapat			1666						1666
8	Banwari Lal, Rattan Lal, Sonapat			1666						1666

9	Naveen Coal Traders, Sonapat			1666						1666
10	Satnarain Coal Co., Sonapat			1666						1666
11	Super Supplier, Soneapt			1666						1666
12	Prem Goyal & Co. Sonapat			1666	1000	1000	1000			4666
13	Krishna Coal Suppliers, Rohtak			1666						1666
14	Garg Coal Suppliers, Rohtak			1666						1666
15	Goel Coal Suppliers, Smalkha			1666						1666
16	S.P. Coal Traders,			1666						1666

	Smalkha									
17	Tarshem Chand Raj Kumar, Barwala			1666						1666
18	Aggawal Coal Trading Co., Mohindergarh				1000	1000	1000			3000
19	Jawala Enterprises, Gurgaon				1000	1000	1000			3000
20	Ambey Coal Co., Sonepat				1000	1000	1000			3000
21	Fine Coal Co., Rohtak				1000	1000	1000			3000
22	Raniganj Coal Corporation, Rohtak				1000	1000	1000			2000

23	Orient Distributors, Ballabgarh					1000	1000			2000
24	Ashok Enterprises, Gurgaon					1000	1000			2000
25	Om Coal Co., Gurgaon					1000	1000			2000
26	Everst Fuel Co., Narnaul					1000	1000			2000
27	Apolo Trading Co., Narnaul						1000	1000		2000
28	Naveen Kumar & Co., Gurgaon						1000	1000		2000
29	United Traders, Rewari						1000	1000		2000
30	Delite Enterprises,						1000	1000		2000

38	Bishnoi Traders, Dabwali	Coal M.								5000	5000
39	Surya Traders, Sonepat									5000	5000
			5000	5000	29990	7000	7000	10000	12000	21000	105990

**Statement showing the recommendations of softcoke Rakes
and Piecemeal Wagons to various Firms form May, 82
todate**

Sr. No.	Name of the Firm	Rakes		
		8/82	9/82	10 to 12/82
	Coal India Limited, Chandigarh	2	2	6
1	R.P. Coal Suppliers, Gurgaon			1
2	panna Lal Kanhaya Lal Bansal Gurgaon			1
3	Pansut Udyog, Gurgaon			1
4	Pansut Sales, Gurgaon			1
5	Dee Kay Coal Co., Karnal			1
6	The Central Coal & Store Co, A/City			1
7	Vishal Coal Traders, Babyal, (AMB)			1
8	Fair Traidng Corp, Ambala City			1
9	Lamba Bros., Ambala City			1
10	Ambala Coal Traders, Ambala			1

	City			
11	R.K. & Co., Ambala Cantt			1
12	Hargobind Aggarwal, Narnaul			1
13	Shiv Coal Traders, Ambala Cantt			1
14	Kailash Chand Batra & Sons, Y. Ngr.			1
15	Black Diamond Coal Co., Sonapat			1
16	Ambey Coal Co., Haily Mandi			1
17	Swastik Coal Traders, Gurgaon			1
18	Munish Coal Agency, Narnaul			1
19	Sehgal Coal Co., Hissar			1
20	Ramsaran Dass & Bros., Karnal			1
21	Unique Coal Traders, Ambala City			1
22	Gulab Rai & Sons, Uklana Mandi			1
		2	2	28

	G.Total			32
	Piecemeal Wagons			
23	Raniganj Coal Corp. Rohtak			36
24	North Coal Trader, Rohtak			36
25	Fine Coal Co., Rohtak			36
26	Best Coal Suppliers, Rohtak			36
27	R.K. Coal Traders, Karnal			36
28	K.B. Traders, Karnal			36
29	Mahchanda Coal Co., Rohtak			36
30	Dass Brothers, Rohtak			36
31	Naresh Coal Depot, Sonapat			9
32	Tara Chand Ramesh Kumar, Ganaur Mandi			9
33	Modern Coal Enterprises, Sonapat			9
34	Harvansh Lal Pahuja, CDH, Ganaur			9
35	Mohan Lal Kamra, CSH, Sonapat			9
36	Charan Dass Doda, CSH, Sonapat			9
37	Balram Coal Depot, Hissar			9
38	Gupta Coal Depot, Hissar			9
39	Ch. Coal Depot, Hansi			9

40	Jamalpuria Coal Co. Hasni	9
41	Vishnu Coal Traders, M. Adampur	9
42	Ghanshyam Dass S/o Sh. Bhanu Partap, HSR	9
43	Bansal Coal Suppliers, Hissar	9
44	D.K. Coal Co., Hansi	9
45	Dawarka Parshad, CDH, Hissar	9
46	Kurukshetra Coal Depot, Kurukshetra	9
47	Tek Chand Gupta & Co. Shahbad	9
48	Chopra Coal Depot, Pipli	9
49	Ram Kishan Coal Depot. Narnaul	9
50	Aggarwal Coal Depot Holder, Narnaul	9
51	Navyug Cement Stockist CDH, Karnal	9
52	Amar Coal Traders, Panipat	9
53	Janta Coal Depot, Panipat	9
54	Wadhwa Coal Depot, Panipat	9
55	Bharat Coal Depot, Panipat	9
56	Singla Coal Depot, Panipat	9
57	Kasturi Lal & Sons, Karnal	9

58	Ghansham Dass Sharma & Bros. Karnal	9
59	Gupta Coal Depot., Gharaunda	9
60	Jammu Ram & Sonsh, Panipat	9
61	Fateh Chand & Sons, Panipat	9
62	JAssi Bai, C.D.H. Karnal	9
63	Raj Trading Co. Panipat	9
64	Prince Coal Deport, Ambala City	9
65	Lamba Coal Deport, Ambala City	9
66	Haryana Cement & Coal Co., Ambala City	9
67	Banwari Lal & Sons, A/Cantt	9
68	Prem Chand Ajay Kumar, A/Cantt	9
69	Hind Coal Co., Babyal (Ambala)	9
70	Ravinder Kaushik, CDH, Babyal (Ambala)	9
71	Moonligh Stores, CDH, Ambala City	9
72	Shyam Lal CDH. A/Cantt	9
73	M.R. Goel, CDH A/Cantt	9
74	Gian Chand Dugal, CDH A/Cantt	9
75	Oberoi Col Depot, A/Cantt	9
76	Hukam Chand CDH, Sultanpur (Ambala)	9

77	Ashoka, CDH, A/Cantt	9
78	Bishwa Nath Ghosh, CDH A/Cantt	9
79	Charan Dass Channa, CDH A/Cantt	9
80	Rattan Lal Sharma CHD, Naraingarh (Ambala)	9
81	Laxmi CD Jagadhri Gate, Ambala City	9
82	Royal Coal Depot., A/Cantt	9
83	Central Coal Depot., A/Cantt	9
84	Aggarwal Coal Depot., A/Cantt	9
85	Behari Lal Mohinder Pal, CDH, Ambala City	9
86	Kailash Chand Batra & Sons, Y. Nagar	9
87	Batra, CDH, Yamuna Nagar	9
88	Bharat Coal Depot, Yamuna Nagar	9
89	Adarsh Coal Co. Y. Nagar	9
90	Ram Labhaya, CDH Y. Nagar	9
91	Bhag Chand Coal Depot Holder, A/City	9
92	Ram Piara CDH, A/City	9
93	Inder Parkash, CDH, A/City	9
94	Dalip Singh Anil Kumar, CDH A/City	9

95	Smt. Parkash Devi, CDH, A/City	9
96	Parkash Singh Bedi, CDH, A/Cantt	9
97	Atma Ram Muni Lal, CDH, Kalka	9
98	Pal coal Co., A/Cantt	9
99	Frontier Coal Depot, A/Cantt	9
100	Ganga Ram Coal Depot Holder, A/City	9
101	Balbir Coal Co., A/Cantt	9
102	Ambala Coal Co., A/Cantt	9
103	Amar Deep Coal Depot, A/Cantt	9
104	A-One Coal Depot, A/City	9
105	Om Parkash CDH, Shahzadpar, (Ambala)	9
106	Om Parkash Ashwani Kumar, Naraingarh (Ambala)	9
107	Dhiman CDH, A/City	9
108	Mahabir Parshad CDH, A/Cantt	9
109	Janta CDH, Rl. Road, Ambala City	9
110	Krishan Lal CDH, Jagadhri	9
111	Gurbax Singh CDH, Jagadhri	9
112	United Sales Corp., A/City	9

113	Chawla Coal Depot, Jagadhri Gate, Ambala City	9
114	Shiv Coal Co., Jagadhri	9
115	Jaswant Kaur CDH, Barara (Ambala)	9
116	Bimla Coal Depot, A/Cantt	9
117	Sethi C.D. A/Cantt	9
118	Lachhmi Chand Som Parkash CDH, Barara (Ambala)	9
119	Chaman Lal Jain, CDH, Ambala City	9
120	Ganesh Coal Deport, Sirsa	9
121	Parma Nand S/o Deen Dayal, CDH, Dabwali	9
122	Des Raj Bajaj, CDH, M. Dabwali	9
123	Chand Coal Depot., Coal Merchant, Dabwali	9
124	Bansal CDH, M. Dabwali	9
125	Lal Chand S/o Sant Lal, CDH, Sirsa	9
126	Brij Mohan Satish Kumar, CDH, Sirsa	9
127	Bakshi, CDH, Sirsa	9
128	Durga Coal Agency, Sirsa	9
129	Jindal C.D., Sirsa	9

130	Chima Lal & Co., Sirsa	9
	Total	1188
	G. Total	1188

**Statement showing the recommendations of softcoke by
road from May, 1982 to-date**

(Figures in Tonnes)

Sr. No.	Name of the firm	6/82	7/82	8/82	Total
1	M/s Chaudhri Coal Depot., Hisar	200			200
2	M/s Gurunank Coal Bhandhar, Sonapat	1000			1000
3	M/s Munish Coal Traders, Sonapat	1000			1000
4	M/s Shamsunder Puran Mal, Hissar	200		200	400
5	M/s Haryana Coal Syndicate, Hansi	1000			1000
6	M/s Garg Coal Suppliers, Bhiwani	200			200
7	M/s Moti Coal Depot, Bhiwani	200		200	400
8	M/s D.K. Coal Co., Hansi	200			200
9	M/s Jamalpuria Coal Co., Hansi	200			200

10	M/s Mastanji Coal Depot, Sirsa	200			200
11	M/s Shivshankar Coal Co., Hissar			1000	1000
12	M/s A.K. Coal Co., Hissar			500	500
13	M/s Suraj Coal Traders, Hissar			500	500
14	M/s Munjal Traders, Sirsa			500	500
15	M/s Sheetal & goldy Trading Co. Sirsa			500	500
16	M/s Haryana Coal Agency, Rohtak			500	500
17	M/s Garh coal Supply Co., Bhiwani			200	200
18	M/s A trash Coal Depot, Hansi			200	200
19	M/s Kabira Coal Co., Karnal			1000	1000
20	M/s Laxmi coal Co., Karnal			200	200
21	M/s Haryana Coal Corporation, karnal			1000	1000
22	M/s R.N. Dhawan & Songh, Karnal			1000	1000

23	M/s Giraj Coal & Coke Suppliers, Rewari			500	500
24	M/s Gupta Traders, Sonapat			1000	1000
	Total	4400		900	13400

Bringing Sadhaura Constituency under one division of PWD (B&R)

***322. CH. Bhagmal:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the villages in Sadhaura constituency fall under three different divisions of PWD (B&R); if so, the number of villages, in each division and

(b) whether there is any proposal to bring all the villages of the said constituency under one division of PWD (B&R) ?

Minister of State for Public Works(Ch. Goverdhan Dass Chauhan):

(a) Yes.

(i) Naraningarh Provincial Division 131 Villages.

(ii) Jagadhri Provincial Division 43 Villages.

(iii) Ambala Provincial Division No. 2 75 Villages.

(b) No.

Judgement of C.W. No. 2132

***331. Master Ram Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether any representation from the Assistants of the office of the Financial Commissioner (Revenue) Haryana for the implementation of the Judgement of Punjab and Haryana High Court in C.W. No. 2132 OF 1966 and IPA No. 472 of 1966 was received in January 1981; and

(b) if so, the action, if any, taken thereon ?

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चंद):

(क) तथा (ख): जजमेंटस कार्यान्वित हो चुके हैं। तथापि इस बारे समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं जो विचारोपरान्त रद्द किये जा चुके हैं। जनवरी 1981 में किया गया नवीनतम प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

Registration of F.I. Rs.

***346. Sardar Sujan Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of F.I. Rs. registered in the State during the year 1982-83; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above pending in the Courts, or are under investigation or have been declared untraceable, separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) तथा (ख): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती

है।

सूचना

(क)		(ख)					
दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या		भाग क में दिये गये मुकद्दमों में से न्यायालय में लम्बित मुकद्दमों की संख्या		भाग क में दिये गये मुकद्दमों में से जांच अधीन मुकद्दमों की संख्या		भाग क में दिये गये मुकद्दमों में से आदमपता हुए मुकद्दमों की संख्या	
1982	1983 (दिनांक 8.3.83 तक)	1982	1983 (दिनांक 8.3.83 तक)	1982	1983 (दिनांक 8.3.83 तक)	1982	1983 (दिनांक 8.3.83 तक)
35450	7616	17244	1827	6551	5139	2738	27

Dairy Laboratories in the State

***353. Ch. Hukam Singh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the total number of State Dairy Laboratories in the State togetherwith the details of work being done in the said laboratories, separately; and

(b) whether any such labortary, as referred to in part (a) above, exists in Rohtak; if so, whether any work is being done therein; if not, the reasons therefor ?

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):

(क) राज्य में केवल एक डैरी प्रयोग गाला रोहतक में कार्यरत है जो कि दुग्ध समितियों / प्लांटों व क्षेत्र से प्राप्त दूध के सैम्पलों को टैस्ट करती है ताकि विभिन्न किस्मों के प दुओं से उत्पादित दूध के मानक को आंका जा सके और बढिया किस्म के प दुओं को सन्तति व प्रजनन के लिए सुरक्षित रखने हेतु छांटा जा सके ।

(ख) जी हां। इस प्रयोग गाला ने स्थापना के प चात अब तक 9101 दूध सैम्पजल टैस्ट किये हैं ।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Complaint Against Mela Officer, Karnal

***55. Sh. Mangal Sein:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether any complaint against the Mela Officer, Karnal was received in 1982; and

(b) if so, the details thereof, together with the action, if any, taken thereon ?

Development Minister(Smt. Sharda Rani Kanwar):

(a) Yes.

(b) the following five complaints were received during the year 1982, as per details given below:-

Sr. No.	Date	Name of the complainant and his address	Action taken thereon
1	8-9-82	Sh. Lakhmi Chand, Chowkidar, Cattle Fair Circle, Karnal	An enquiry was conducted by DDP (HQ) Sh. Sushil Kumar. As per his report, Sh. Lakhmi Chand did not persue his complaint nor did he produce any evidence.
2	15-11-82	Sh. Chander Singh, Clerk, Cattle Fair Circle, Karnal	The complainant was given a personal hearing on 9-12-82 before Accounts Officer. His

			<p>statement was recorded. The enquiry, thereafter was conducted by DDP (HQ) Sh. Sushil Kumar on 11.1.83. As per enquiry report, Sh. Chander Singh could not establish anything against the Mela Officer while on the other hand he was found to be negligent in performance of his duties. Further enquiry was conducted by DDP on 18.1.83</p>
3	14-12-82	Sh. Rati Ram, Sarpanch, Vill. Shamlo Kalan (Jind) and Sh. Mange Ram, Mela Chaudhri, Julana and others	On these complaints, the comments of the Fair Officer, Karnal have been called for. A reminder is being issued.
4	23-11-82	Sarvshri Balbir Singh, Ranbir Singh and Om Parkash, Pachi-writer, Cattle Fair Circle, Karnal	Since the Parch-writers were found to be indulging in malpractices at the time of a surprise checking of Shahabad cattle fair on 8-4-82, their

			grievances against the Mela Officer was deemed to be fo no consequences.
--	--	--	--

In the light of various complaints against the Mela Officer, Karnal, as mentioned above, the Add. General Assistant to Deputy Commissioner, Jind inspected the cattle fair Ram Rai on 17-11-82. He detected serious irregularities and case was got registered in police Station Jind against Parchi-writer, which is under investigation. Simultaneously on the report of A.G.A., Jind disciplinary action has been initiated against the Parch-writers, and comments of Mela Officer, Karnal have been called and the case is under consideration.

**Excess measurments of the earth work in J.L.N. Feeder
Sonepat**

***56. Sh. Amir Chand Makkar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any checking of the earth work done in reach R.D. 30-81 JPN Feeder of Construcion Division No. II, Sonepat was made by the XEN. Inspection and Control, Head Office, Chandigarh during the years 1979-80 and 1980-81; and

(b) if so, the details the excess measurements, if any, noticed during checking together with the names of the officer/officials held responsible for the same and action, if any, taken against them ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला):

(क) हां जी। यह जांच कार्यकारी अभियंता, निरीक्षण तथा नियंत्रण ने वर्ष 1979-80 में की थी।

(ख) सर्व श्री वाई०आर० कोहली, जे०सी० धवन, जे०एल०अरोडा, उपमंडल अधिकारी तथा श्री वी०के० आहलुवालिया उपमंडल अधिकारी (अब कार्यकारी अभियंता) जवाहर लाल नेहरू फीडर की रीच आर०डी० 30-81 में मिट्टी की ज्यादा अदायगी करने के लिए निम्न हद तक जिम्मेदार ठहराए गए थे।

1	श्री वाई०आर० कोहली उपमंडल अधिकारी	अधिक माप (सी०एफ०टी०)	राशि (रूपये)
1	रीच आर०डी० 40-42	60355	4406
2	रीच आर०डी० 32-34	54856	3840
3	रीच आर०डी० 38-40	10143	710
4	रीच आर०डी० 42-44	170319	12092

	जोड़	295673	21048
2	श्री जे०सी० धवन उप मंडल अधिकारी	अधिक माप (सी०एफ०टी०)	राशि (रूपये)
1	रीच आर०डी० 38-40	199589	13971
2	रीच आर०डी० 78-79	26501	5300
3	रीच आर०डी० 79-80	72251	5419
4	रीच आर०डी० 80-81	20704	1552
	जोड़	319045	26242
3	श्री जे०एल० अरोड़ा उप मंडल अधिकारी (निवृत्त)	अधिक माप (सी०एफ०टी०)	राशि (रूपये)
1	रीच आर०डी० 54-56	81674	5717
2	रीच आर०डी० 48-50	87655	6135
	जोड़	169329	11852
4	श्री बी०के० आहलूवालिया उप मंडल अधिकारी	अधिक माप (सी०एफ०टी०)	राशि (रूपये)

1	रीच आर0डी0 54-56	87264	6281
---	------------------	-------	------

सरकार द्वारा अनुमादित कारण निर्देान नोटिस अधिकारियों को सर्व किए जा चुके हैं तथा वसूली इत्यादि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही आवश्यक खानापूरति करने के उपरांत कोडल नियमों के अंतर्गत की जाएगी। इनके अतिरिक्त सर्वश्री परमानन्द वर्मा, एस0एन0 मित्तल, एस0डी0 सेमवाल, एस0आर0 जैन, जे0एन0 बंसल राजकुमार, आर0सी0 दुआ, पी0पी0 पाली और हरपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी भी अधिक मापतोल के लिए जिम्मेवार ठहराए गए हैं तथा इनके विरुद्ध अनुासनिक कार्यवाही भुरू की जा चुकी है।

सदन में िाश्टता तथा गौरव को बनाए रखने का मामला उठाना

श्री ओम प्रकाा महाजन (हिसार): स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक अर्ज करना चाहता हूं। इस हाउस में हम काफी मैम्बर ऐसे हैं जो पहली बार चुन कर आए हैं। मेरे जैसे कुछ जजबाती लोग भी यहां पर बैठे हैं। स्पीकर साहब, हाउस की जितनी मर्यादाएं हैं, आप उनके रक्षक हैं मैं इस हाउस में कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि इस हाउस की मर्यादाओं की उल्लंघना हो रही है। स्पीकर साहब, मैं जिस संस्था जिस किसी आदमी को अपना नेता या लीडर मान लेती है, उसको उसमें पिता

के समान दर्जा दिया जाता है। इसलिए हमारे जो लीड आफ दि हाउस हैं, इनको भी पिता के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर किसी मैम्बर को सरकार की किसी बात पर एतराज है और उसको वह बात अच्छी नहीं लगती हो तो वह मैम्बर उस बात को क्रिटिसाइज कर सकता है। स्पीकर साहब, हमने जिस आदमी को अपना नेता मान लिया है और उसको पिता के समान दर्जा दे दिया है तो उसकी भान के खिलाफ अगर कोई गलत भाब्द कहे तो हमारा दम घुटता है। हमने अपने नेता को पिता के समान दर्जा दिया है इसलिए हम इनका अपमान बर्दा त करने के लिए तैयार नहीं हैं। (गोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, डा० मंगल सैन जी यहां हाउस में बैठे हैं, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। मैंने एक दिन पहले भी अर्ज की थी कि डा० मंगल सैन जी मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं स्पीकर साहब, जिस समय चौधरी देवी लाल जी या चौधरी भजन लाल जी इनके मुख्य मंत्री बने थे, उस समय इनके दिल में उनके प्रति काफी इज्जत रही होगी। डा० मंगल सैन जी का जिस संस्था से संबंध है, उसी संस्था के साथ मेरा भी संबंध रहा है। उस संस्था का यह महान असूल रहा है कि यदि वह संस्था किसी आदमी को अपना नेता मान लेती है तो उस संस्था के लोग उसके खिलाफ कोई भी अपमान का भाब्द बर्दा त नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: महाजन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मेरा यह ख्याल है कि सभी माननीय सदस्यों के दिल पर इस बात

का जरूर असर हुआ होगा। हम देखते हैं कि जब श्रीमती चन्द्रावती बोलने के लिए खड़ी होती है तो इनके पीछे इनकी सारी पार्टी के मैम्बरज बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जब श्री वीरेन्द्र सिंह जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनके पीछे इनकी पार्टी के सभी सदस्य खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जब डा० मंगल सैन जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनके पीछे भी श्री रामबिलास भार्मा खड़े हो जाते हैं। फिर आप साथ साथ यह कहें कि स्पीकर साहब बहुत भारीफ हैं, हम उनकी भाराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो मुझे ये बातें सुननी पडती हैं मैं ज्यादा न कहता हुआ आज फिर आप सभी माननीय सदस्यों से अर्ज कर रहा हूं कि इस हाउस के डैकोरम को कायम रखें और अपने लीडर्ज को मानने की कृपा करें ताकि इस हाउस की कार्यवाही को अच्छे ढंग से चलाया जा सके।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, महाजन साहब पहली बार इस हाउस में चुन कर आए हैं ये हमारी बड़ी इज्जत करते हैं यह इनकी बड़ी उदारता है। महाजन साहब जिसको अपना नेता समझते हैं, उसको अपना पिता मानते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। उनकी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में कोई दो राय नहीं है। स्पीकर साहब, इस हाउस को एक परिवार जैसा ही समझ लीजिये, हम लोकतंत्र में पिता से भी डाइसैंट होने का पूरा अधिकार है। (गोर) स्पीकर साहब, आपको कोई माननीय सदस्य कहें कि आप बड़े नर्म स्वभाव के हैं तो वह सदस्य गलतफहमी का

कारण होगा क्योंकि आप जितने नर्म हैं उतने ही नियम के पक्के हैं हम आपकी त्योंडियों को देखकर समझ जाते हैं कि आपका इस समय मूड कैसा है ? हम आगे बोलने की हिम्मत हीं नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, पिता को भी पिता के योग्य भाब्द कहने चाहिए। कल वाली बात आपने एक्सपंज कर दी, आप ने बड़ी कृपा की लेकिन मुझे वह बात आज भी खटक रही है। उन जैसे स्टेचर के आदमी को वह बातें कहना भाोभा नहीं देतीं। स्पीकर साहब हम तो हाउस को बहुत अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं अध्यक्ष का मान करना चाहते हैं और सारे माननीय सदस्यों का मान करना चाहते हैं लेकिन आप हमें अपनी बात कहने की इजाजत देंगे।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, हम हमें यह कोर्ण करते हैं कि हाउस में अशोभनीय बातें और मर्यादाहीन बातें ने कही जाएं। मैं समझती हूं कि कितनी ही प्रोवोकेशन हो आप कहेंगे कि कल की बात इस समय न उठाएं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंग कि कल बहुत अशोभनीय बातें और मर्यादाहीन बातें कहीं गई थीं। वे बातें कहने वाले को भी उन बातों के लिए पछतावा जरूर हुआ होगा। स्पीकर साहब, महाजन जी ने जो बातें कहीं हैं वे बातें पोलिटिक्स में और बाहर के वातावरण में ठीक हैं लेकिन प्रजातंत्र में तो किसी आदमी को पिता के समान समझा नहीं जाता। प्रजातंत्र तो प्रजातंत्र के ढंग से चलता है। अगर असैम्बली में भी बाप बेटा दोनों बैठे हों तो हर बात उनको बाप बेटे का सम्मान नहीं देखना चाहिए। हम यह

समझते हैं कि अपोजी उन में होते हुए हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए बातें कहनी हैं। स्पीकर साहब, हमें अपनी बात कहने के लिए हक मिला हुआ है और यदि हम अपने हकों के लिए आप से भी अडे तो ट्रेजरी बेंचिज वालों को यह नहीं कहना चाहिए कि स्पीकर साहब बहुत नर्म स्वभाव के हैं। मैं यह समझती हूँ कि हमने किसी बात के लिए कुछ नहीं कहा। स्पीकर साहब, ट्रेजरी बेंचिज वाले राज करते हैं इनसे जो गलतियां होती हैं उनको हम प्वायंट आउट करेंगे और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हम यहां पर खड़े होते हैं हमारी व्यक्तिगत कोई बात नहीं होती जिस के लिये हम यहां पर खड़े होकर बोलें।

Mr. Speaker: But with healthy criticism.

Smt. Chandravati: Certainly, Sir. We believe in healthy and decent criticism

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, महाजन साहब ने कुछ बातें कही हैं और आपने यह फरमाया है कि उनका सुझाव बहुत अच्छा है। स्पीकर साहब, अगर उनकी टीम भी बहुत अच्छी होती तो यह बिल्कुल एप्रोप्रीएट बात थी लेकिन उन्होंने वे बातें ऐसे ढंग से कहीं जैसे वे हमें थ्रैट कर रहे हों, यह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री का औहदा बहुत बड़ा औहदा है इसलिए यदि कोई आदमी उनके बारे में ऐसी कोई बात कह भी दे तो उनको बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। अगर वे एक मिनट भी किसी की बात को बर्दाश्त

नहीं कर सकते तो इसका मतलब हुआ कि वे अपने आप पर संयम नहीं रख सकते। यदि वे एक मिनट भी बर्दाश कर लेते हैं तो हमें खुद भार्म आएगी। अगर वे संयम दिखाएं, सोबरायटी दिखाएं और संजीदगी दिखाएं, तो हमें खुद भार्म आ जाएगी कि हमने कोई गलत बात कही है। स्पीकर साहब, आपने अभी फरमाया कि आज हमारी वजह से यह बात हुई है और मुझे यह बात सुननी पड़ी कि आप भारीफ बहुत ज्यादा हैं, नर्म बहुत ज्यादा हैं। स्पीकर साहब, अगर हाउस को बहुत बढिया तरीके से चलाना है और आप पर नर्म का एलीगे न लगता है इस हाउस में कितने मौके आए हैं आप पुराने प्रैंसीडेंट निकाल कर देख लें, आप उन मैम्बर्ज को नेम कर सकते थे। आप उनका सस्पेंड कर सकते थे लेकिन आपने बडी संजीदगी और सोबरायटी दिखा कर सारे वातावरण को ठीक रखा, आपको इस बात की दाद मिलनी चाहिए थी लेकिन ये आपको ताना दे रहे हैं कि आपने भाराफत दिखा दी और नर्म दिखा दी। स्पीकर साहब, आपने हाउस को इन आर्डर रखा और किसी भी मैम्बर को नेम नहीं किया, किसी भी मैम्बर को हाउस से बाहर नहीं निकाला, सभी मैम्बर्ज को बोलने का पूरा हक दिया। स्पीकर साहब, यह नर्म और भाराफत का एलीगे न आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए। आपकी प्र ांसा होनी चाहिये थी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हाउस को चलाया है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामेरा सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी

तरफ से जो अभी हाउस में चर्चा हुई है। उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, अभी विपक्ष की आरे से जो बातें कही गई हैं। कि हाउस को डैकोरम और डिगनिटी के साथ चलाना चाहिये, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने एक बात कही और उन्होंने चेयर के बारे में भी कहा कि स्पीकर साहब बहुत नर्म हैं। यह बात माननीय सदस्य आउट आफ कंटेक्ट कर रहे हैं। महाजन जी का कहने का मतलब यह था जब हाउस बहुत ज्यादा क्राउडी था तो उन्होंने यह कहा था कि आप को अध्यक्ष महोदय की भाराफत का और नर्मी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी स्टेज पर भी ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से यह बात नहीं कही गई कि आपने हाउस को चलाने में किसी तरह की कोई नर्मी या सख्ती बर्ती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि किसी मैम्बर को नेम नहीं किया गया या किसी मैम्बर को हाउस से बाहर नहीं निकाला गया, इस संबंधत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से भी ऐसा कभी प्रस्ताव पे । नहीं किया गया जिसके अन्तर्गत किसी मैम्बर को हाउस से बाहर निकाला जा सके। जैसा कि अभी अपोजी इन की तरफ से कहा गया है कि हम आउस को भान्ति से और डैकोरेम से चलाना चाहते हैं, इस संबंध में भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनसे ज्यादा सहयोग हमारा रहता है अपोजी इन को गवर्नमेंट का हैलदी क्रिटिसिज्म करना चाहिए हम भी इस बात को मानते हैं। सरकार

की जो नीतियां हैं, उनके ऊपर भी अपोजी उन नुक्ताचीनी कर सकती है। इस बात में सरकार को कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह तरीका ठीक नहीं कि यहां पर नाजयज किसी को गाली गलौच देने लगा जाये। (गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब,

चौधरी भजन लाल:

श्री वीरेन्द्र सिंह:

श्रीमती चन्द्रावती:

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला:

स्पीकर साहब अंत में मैं फिर आपको विवास दिलाता हूँ कि ट्रैजरी बेंचिज की तरफ से हाउस को चलाने में आपको इनसे ज्यादा सहयोग दिया जायेगा।

Mr. Speaker: Thank you very much. This matter is now closed.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

(1) राज्य में नेत्रहीनों को रोजगार देने संबंधी

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने हरियाणा के अंधों के बारे में एक काल अटैचमेंट दिया हुआ है। सन 1981 के अंदर सी०एम० साहब ने उनको नौकरियों में आरक्षण देने का वचन दिया था।

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ।

(2) ओला वृष्टि से हुई हानि संबंधी

चौधरी नर सिंह: स्पीकर सहाब, मेरा एक काल अटैं इन मो इन रोहतक, नरवाना तथा जींद में ओला वृष्टि से संबंधित था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: अभी मैं उसे कंसीडर कर रहा हूँ।

(3) ढाणी लछमन, थाना लोहारू के श्री प्रताप सिंह के लापता होने संबंधी

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस था। मैंने लिखा था कि लोहारू पुलिस स्टे इन पर पुलिस ने एक प्रताप सिंह नामक व्यक्ति को एक साल पहले अरैस्ट किया था। उसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला है। (गोर) मुझे भाक है कि भायद उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में भी मैं अभी सोच रहा हूँ।

(4) पुलिस स्टे इन पिंजौर में बाल्मीकी की गिरफ्तारी तथा मृत्यु संबंधी

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर सहब, मैंने भी अपना एक काल अटैं इन मो इन पंचकूला के अंदर तीन बाल्मीकियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के संबंध में दिया था। इनमें से पुलिस

ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया। बाकी दो व्यक्तियों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: वह अभी मुझे मिला नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, हमारी तरफ से हरद्वारी लाल जी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया गया था, उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैचमेंट नोटिस तीन दिन पहले आपकी सेवा में भेजा था। उस संबंध में 93 गांवों की पंचायतों के हस्ताक्षर भी हैं। मैंने नोटिस के साथ समाचार पत्रों की कटिंग भी भेजी हुई है।

श्री अध्यक्ष: वह मुझे पुटअप हुई है। It is under consideration.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैचमेंट नोटिस दिया हुआ है, उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जायें। उस पर मैंने कमेंट्स मंगवाये हैं।

समितियों की रिपोर्ट्स पेस करना

(1) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की उन्नीसवीं रिपोर्ट

सेठ राम दास धमीजा (चेयरमैन, पब्लिक अकाउंटस कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए लोक लेखा समिति (पब्लिक अकाउंटस कमेटी) की उन्नीसवीं रिपोर्ट की टाईप की हुई प्रति पेश करता हूँ।

(2) ऐस्टीमेटस कमेटी की पन्द्रहवीं रिपोर्ट

श्री नेकी राम (चेयरमैन, ऐस्टीमेटस कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए सहकारिता विभाग, हरियाणा के संबंध में प्राक्कलन समिति (ऐस्टीमेटस कमेटी) की पन्द्रहवीं रिपोर्ट की एक प्रति पेश करता हूँ।

(3) कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की चौदहवीं रिपोर्ट

श्री फतेहचन्द विज (चेयरमैन, कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए सरकारी आवासनों के बारे में समिति (कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज) की चौदहवीं रिपोर्ट की एक प्रति पेश करता हूँ।

(4) कमेटी आन दि वैल्फेयर आफ रिडयूल्ड कास्टस एंड रिडयूल्ड ट्राईब्ज की आठवीं रिपोर्ट

मास्टर रामसिंह (चेयरमैन, आन दि वैल्फेयर आफ रिडयूल्ड कास्टस एंड रिडयूल्ड ट्राईब्ज): अध्यक्ष महोदय, मैं

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिए समिति (कमेटी आन दि वैल्फेयर आफ रिडयूल्ड कास्टस एंड रिडयूल्ड ट्राईब्ज) की पाचवीं तथा छठी रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति की आठवीं रिपोर्ट पेश करता हूँ।

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 की धारा 64 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा साधारण विक्रय कर (प्रथम संशोधन) नियमावली 1983 संबंधी आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 19/एच०ए० 20/73 एस [64/एण्ड](#) (1)/83 दिनांकित प्रथम फरवरी, 1983 इसके भुद्धि पत्र दिनांकित 21 फरवरी 1983 सहित मेज पर रखता हूँ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि जब एक्साइज डिपार्टमेंट के यंग मिनिस्टर बैठे हैं तो उनको यह ले करना चाहिए था कि श्री भामदेर सिंह सुरजेवाला को। ये उनको हक मार रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे बड़ी हमदर्दी है कि आपने यह बात कही है। लेकिन पहली प्रैक्टिस के अनुसार इस तरह के जो कागज

पत्र रखे जाते हैं। वे जनरली पार्लियामेंट्री अफयर्ज मिनिस्टर द्वारा ही रखे जाते रहे हैं। इसलिए श्री भाम ार सिंह जी ने यह ले किया है।

श्री मंगल सैन: यदि सिंगला साहब भी पढ दें तो कोई चिन्ता वाली बात नहीं है।

Mr. Speaker: Next item.

सरकारी संकल्प

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ऋण पर लिए जाने वाली

अधिकतर राशि संबंधी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन बिजली (सिंचाई) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 65 की उप धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की गई 400 करोड रूपये की अधिकतम राशि को उक्त धारा की उप धारा (1) के अधीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड किसी भी समय ऋण पर ले सकता है, का अनुमोदन करता है।

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House approves, under sub-section (3) of Section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948) the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 400 crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under Sub section (1) of that section.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, विद्युत मंत्री साहब सदन में प्रस्ताव लाये हैं कि विद्युत बोर्ड को 400 रुपये का कर्जा लेने के लिए अधिकार दिया जाये। स्पीकर साहब, पंजाब के रीओग्रेनाइजेरिज के बाद 1967 में इस हाउस में पहला प्रस्ताव आया था कि बिजली बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का कर्जा लेने का अधिकार दिया जाए स्पीकर साहब, हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था। तब से लेकर आज 16 साल हो गये हैं और इन 16 सालों में आप देख रहे हैं कि कर्जों की स्पीड किस कदर बढ़ रही है, कर्ज गुणा बढ़ गया है। हमारे लायक दोस्त चौधरी भाम सिंह जी अब कह देंगे कि कर्जा इसलिए बढ़ा है कि बिजली का फौलाव बहुत कर दिया। स्पीकर साहब, एक समय ऐसा आया जब चुनाव प्रचार के लिये यह कहा गया कि हरियाणा के हर गांव में बिजली लगा दी गई है। उचानी गांव जो करनाल के पास है, इसको आखरी गांव मुकर्रर करके प्रधान मंत्री जी से इस आखरी गांव का उदघाटन करवा दिया। लेकिन स्पीकर साहब, आप करनाल के रहने वाले हैं और ऐसे इलाके से चुनकर आते हैं जहां आपका स्वयं का तजर्बा है। अगर बिजली का खंभचा गांव के पास में गड गया हो तो कह दैते हैं कि यह विलेज इलैक्ट्रफाईड हो

गया। इसी ढंग से इन्होंने सारे विलेज इलैक्ट्रिफाईड कर दिए। जब जनता पार्टी की सरकार आई जिसमें चौधरी भजन लाल जी बड़ी कोणाओं के बाद मंत्री बने थे, उस समय यह बात भलीभांति रिवली हुई थी कि सैंकड़ों गांवों में बिजली नहीं लगी थी। बिजली के नाम पर कितने घपले हुए थे। कितनी गलत खरीद फरोख्त हुई थी। स्पीकर साहब, ज्यों ज्यों यह बोर्ड आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों घाटा बढ़ रहा है। हमारी यह मजबूरी है कि यह बोर्ड अटोनोमस बाडी होने के कारण हम इस बारे में सदन में सीमित बात ही कह सकते हैं, लेकिन इसकी डे टू डे की वर्किंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश का जितना बजट है, इसके बाद अगर किसी अदारे का, किसी इंस्टीच्यूशन का लम्बा चौड़ा अगर बजट है तो वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट है। एम्पलाईज की संख्या की दृष्टि से हरियाणा सरकार के एम्पलाईज की संख्या के बाद नं० 2 पर अगर किसी अदारे का नाम आता है तो वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का नम्बर आता है। आप सब जानते हैं कि आज बिजली बोर्ड में कितना मैस है, इस बारे में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। चौधरी भजन लाल जी के पास वहां के कर्मचारियों ने एक मैमोरेंडम दिया था। चौधरी साहब को याद है या नहीं, इस बात का पता नहीं क्योंकि पिछले दिनों उनकी तबीयत साहब को याद है या नहीं, इस बात का पता नहीं क्योंकि पिछले दिनों उनकी तबीयत अजीब थी। उन्हें उस मैमोरेंडम को देखने का मौका मिला या नहीं, यह वही जानते हैं। स्पीकर साहब, इसमें बड़ी सीरियस बातें कहीं गई हैं। उन्होंने कहा

कि 12 करोड रूपये महीने की आमदनी बोर्ड को है। उसमें से 2 करोड रूपया एम्पलाईज पर खर्च होता है और 10 करोड रूपया कर्ज में चला जाता है। इन्होंने एल0आई0सी0 और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशनज से कर्जा लिया हुआ है। इस रूपये को कितनी बुरी तरह से वेस्ट किया जा रहा है, यह भी आनरेबल मैमबर्ज जानते हैं। फाइनेंशियल इररैगुलेरिटी की बात तो बहुत ज्यादा है। जिस चीज की जरूरत नहीं है और स्टोक में पडी हुई है, उसको परचेज कर लेते हैं। इस मैमोरेडम के पहले पेज पर लिखा है कि बोर्ड ने पिछले साल 670655 रूपये की मीनरी खरीदी है। The Hydell Organisation paid Rs. 670655 vide Receipt dated 4-11-82 issued by the S.D.O. BSL Stores Sub-Division, Sundernagr (Talwara Township) for purchase of machinery lying surplus with him. Where is the machinery ? Only the culp and the beneficiary know “ अगर उनको बुलाकर पूछा जाए, इन्क्वायरी करवाई जाये कि 670655 रूपये का माल कहां गया तो क्या वे बता सकते हैं ? स्पीकर साहब, इससे आगे लिख है कि एक एग्जैक्टिव इंजीनियर साहब ने अपनी दो फर्मों की कंस्ट्रक्शन की है और रिकार्ड में बोगस एंटरी करते रहे। सरकार को चाहिए था कि इस मामली की इन्क्वायरी करवाती, लेकिन कोई इन्क्वायरी नहीं करवाई गई। स्पीकर साहब, मैं चौधरी सुरजेवाला से पूछना चाहता हूं कि वे कभी दिल्ली में साउथ ईस्टर्न ब्लॉक में गये होंगे, वहां आपका एक गैस्ट हाउस है। भायद आप वहां नहीं गये होंगे, आप तो हरियाणा भवन में

ठहर गये होंगे क्योंकि इस गैस्ट हाउस में तबीयत वाले आदमी को ही ले जाया जाता है। डिप्टी सैक्रेटरी क्वार्डिने इन बड़े दिनों से वही पर डिप्यूटिड हैं और अपनी फर्म चलाते हैं, बोर्ड का काम धाम कुछ नहीं देखते। रोहतक रोड पर हरियाणा बिजली बोर्ड का यह गैस्ट हाउस है। ये इस गैस्ट हाउस को इस्तेमाल करते हैं और सालाना 36000 रूपया रेंट देते हैं। इसका तीन हजार रूपया महीना किराया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह सफेद हाथी क्यों बांध रखा है। जब बोर्ड का अपना रैस्ट हाउस भाकूरबस्ती पावर हाउस में हो वहां क्यों नहीं ठहरते ? क्यों 36000 रूपया किराया देकर पैसे को वेस्ट किया जाता है ? लेकिन यहां ठहरना तो इनकी प्रैस्टिज के खिलाफ है, बिलो डिगनिटी है। स्पीकर साहब, बिजली की चोरी का जिक्र इस हाउस में आया। श्री कंवल सिंह ने हिसार के बारे में फरमाया और एक फर्म का नाम लिया जिसने बिजली की चोरी की। एक बलवान सिंह नाम के सज्जन आदमी थे, इन्होंने उस फर्म से 11 लाख रूपये की चोरी पकड़ी, मैं चौधरी भाम डेर सिंह जी से कहूंगा कि वे मेरे प्वायंटस नोट करते हाएं और अगर इनका जवाब देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। हिसार में एक एस0डी0ओ0 मिस्टर गुलिया थे, इन्होंने एक पूंजीपति की इंडस्ट्र से बिजली की चोरी पकड़ी लेकिन उसको अनडिजायरेबल पर्सन घोशित करके बदली दिया गया। उसकी ट्रांसफर कर दी लेकिन बाद में उसकी डैथ हो गई। इसके अलावा फरीदाबाद और पानीपत थर्मल प्लांट की कहानी भी बड़ी अजीब हैं। इन्होंने फरीदाबादी थर्मल प्लांट के लिए दिल्ली की एक

कार्पोरेटान से 1980 में सौलिडिफेड सोडा कार्स्टिक की 17 लाख रूपये की परचेज की जबकि पलैक्स परचेज करने थे। इस केस की इन्क्वायरी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की थी और केस प्रूव हो गया था। लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जितनी भी परचेजिंग बोर्ड ने की है, सबमें हेराफेरी है और गलत परचेजिंग की गई है। इसी प्रकार एक एस0सी0 थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको बोर्ड में ही सजा कर रखा हुआ है और कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। स्पीकर साहब, इसी तरह से सुपरप्लुअंस परचेजिंग बहुत होती है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। फरीदाबाद थर्मल प्लांट के लिए 5 के0जी0 के ब्रूम इलैक्ट्रोडज परचेज करने थे लेकिन इन्होंने एमरकजेंसी परचेज के नाम पर 20 के0जी0 के इलैक्ट्रोडज ले लिए और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि ये इलैक्ट्रोडज स्टोर में नहीं आये, उनकी एडजस्टमेंट हो गई और यह पैसा उनकी जेबों में चला गया।

10.00 बजे।

स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि पैसे के बारे में बहुत ही बुरी हालत है। कई जगहों का बोर्ड ने पैसा देना है। 70 करोड़ रूपया बी0एच0ई0एल0 का देना है। इसी तरह से रेलवे, कोल इंडिया, आयल इंडिया और दूसरी फर्मों का भी देना है, इसलिए यह बोर्ड पैसा मांग रहा है। ये बोर्ड की प्रोपर्टी को रहन तो कर

नहीं सकते लेकिन रूपया मांग रहे हैं ताकि यह पैसा वापिस किया जा सके ।

स्पीकर साहब, आप इस बोर्ड की हालत देखिए। सौ करोड रूपये का स्टोर में एकसैस माल लिया हुआ है, जो स्क्रेप की भाकल में पडा हुआ है। ये हरियाणा के किसानों की और व्यापारियों की खून पसीने की कमाई को क्रिमिनल ढंग से वेस्ट कर रहे हैं। आप यह भी जानना चाहेंगे कि यह रूपया कहां खर्च होता है ? अगर मैं लगजरी भाब्द का इस्तेमाल करूं तो वह अय्या गी मैं आ जायेगा। इस बिजली बोर्ड का पैसा गैस्ट हाउसिज, कारों, मैटाडोर और टी0वी0 पर खर्च होता है। अगर बिजली बोर्ड के अफसर और हमारे मिनिस्टर लोग टी0वी0 न देखें तो उन्हें रोटी हजम नहीं हो सकती। हरियाणा की एक करोड तीस लाख की आबादी से ये चाहते हैं कि इस पैसे की मंजूरी दे दें। यह मंजूरी तभी मिल सकती है जब उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करेंगे। (घंटी)

श्री अध्यक्ष: आपको आधे घंटे का टाईम दिया है। इसलिए आप को टाईम पूरा हो गया है। आप खत्म करने का प्रयत्न करें।

श्री मंगल सैन: ठीक है, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। स्पीकर साहब, मेरे नवयुवक साथी मैम्बर प्रो० सम्पत सिंह ने कल सवाल किया था कि कितने बिजली के बिल बकाया हैं तो भाम ेर

सिंह जी ने बताया कि साढ़े नौ करोड़ रुपये के तो पब्लिक सैक्टर के ड्यू हैं और बाकी प्राइवेट फर्मों के ड्यू हैं। स्पीकर साहब, आप तो बड़े काबिल वकीली हैं। पूंजीपतियों के हथकंडों को जानने हैं। वे वकीलों से मिल कर किस तरह से हेरोफेरी करते हैं। उनकी मार तो चांदी के जूतों की है। स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार से गुजारि । करना चाहता हूँ कि इस मामले की यानी बिजली बोर्ड की जांच हो। इस प्रस्ताव को पास करने से पहले जस्टिफायी करें क्योंकि पैसा हरियाणा की गरीब जनता की गाढ़े पसीने की कमायी का है। इस पैसे का ठीक से इस्तेमाल होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड की जांच के लिए एक हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए जो इस बोर्ड की वर्किंग और फाइनें इनल इररैगुलेरिटीज की जांच करे। स्पीकर साहब, यहां हाउस में यह भी बात आयी कि हमारे से डेसू बिजली लेता है। हमारी बिजली की कास्ट आफ प्रोडक् इन 85 पैसे यूनिट है और वह हमारे से 35 पैसे यूनिट लेता है। दिल्ली को बिजली देने से 18 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अगर दिल्ली वाले बिजली चाहते हैं तो हरियाणा को लौस देकर क्यों लेते हैं ? वे हमें पूरा पैसा क्यों नहीं देते ? वे हमारे से बिजली इसलिए लेते हैं कि प्राईम मिनिस्टर साहिब का हुकम है। बिजली हम देते हैं और फायदा वे उठा रहे हैं।

स्पीकर साहब, बिजली को ठीक करना और जहां बिजली पैदा होती है उसके बारे में देखभाल करना भी बड़ा

खतरनाक है। हजारों एम्पलाइज खंभों पर चढ़ते हैं जिनमें से एकाध के साथ दुर्घटना भी हो जाती है। एक केस मेरे नोटिस में सिरसा के बारे में है। खंभे से गिरने से एक एम्पलायी की कमर टूट गई। रोहतक के डाक्टर मैनी साहब से मैंने भी रिक्वैस्ट की कि इसके इलाज का ध्यान रखें लेकिन बेचारा कुछ दिनों के बाद मर गया। बिजली महकमे के लोग इतने जालिम हैं कि जो उसका ड्यू है वह भी आज तक नहीं दिया। इसी तरह से बिजली बोर्ड के एम्पलाइज में बेचैनी है। वहां पर जे0ई0 काम कर रहे हैं वे भी बेचैन हैं। स्पीकर साहब, अब वहां के चेयरमैन साहब तो बदल गये। कटारिया साहब वहां पर नये चेयरमैन लगे हैं लेकिन वे भी क्या कर सकते हैं। वहां तो बहुत पुराने जमाने के बखेडे हैं। मैं कटारिया साहब की इज्जत करता हूं, वे भारीफ आदमी हैं। उनके बस की बात नहीं है। स्पीकर साहब, यह जो पैसा हम से मंजूर करवाना चाहते हैं इसका इनको सही तरीके से हिसाब भी तो रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि चौधरी भाम ेर सिंह जी की भी कुछ मजबूरी है। आज सदन को चलते हुए 14 दिन हो गए हैं, कई बातों में आपको सरकार पक्ष की वकालत भी करनी पडती है क्योंकि आपकी अपनी मजबूरी हैं उन्हें तो ट्रेजरी बैंचिज की मजबूरी की हालत में वकालत करनी पडती है। स्पीकर साहब, सरकार हाउस से चार सौ करोड रूपया कर्जा लेने की इजाजत मांग रही है। सारे कारणों को देखें तो इसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। पहले इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हाई कोट्र का सिटिंग जज इंकवायरी करे ताकि सही तथ्य सामने आ सकें। हमारा

कार्पोरेट एन्ज और बोर्डज के बारे में तो बड़ा कड़वा तर्जुबा है क्योंकि इनका आडिट आडिटर जनरल नहीं करता है, वे अपना आडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराते हैं, उसे वे पेसा देते हैं। जब तक ये अपना ठीक तरह अकाउंट चैक न कराये तब तक इन्हें पैसा नहीं देना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और इस पैसे को देने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, हरियाणा बिजली बोर्ड का जो प्रस्ताव हाउस के सामने है, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहती हूँ। मैं इनके ही भाब्दों में कुछ पढ कर सुनाती हूँ कि किस तरह से इनका अपना माल चोरी होता है, फ्यूल चोरी होती है। It has been written in the Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board 1982-83 at page 25 that there has been abnormal increase in expenditure on fuel during the first 9 months of the year 1981-82. The increased fuel charges represent partly increase in the cost of coal and oil, but main contribution factor is the high consumption of coal and oil as per details at Annexure "B". वैसे तो और भी काफी कुछ लिखा हुआ है लेकिन यह बहुत ज्यादा लम्बा हो जाएगा इसलिए मैं सारा पढ कर नहीं सुना रही हूँ। स्पीकर साहब, कल एक एस0डी0ओ0 के बारे में हाउस में कहा था। अगर एक एस0डी0ओ0 फरीदाबाद में साल भर के लिए लग जाए तो सारी उम्र गवर्नमेंट की नौकरी करने की आवयकता नहीं। जो फरीदाबाद में लगता है उसकी नियुक्ति प्रिंसिपल सैक्रेटरी, डिप्टी प्रिंसिपल सैक्रेटरी और ओ0एस0डी0 करते हैं। अगर किसी

ईमानदार अफसर को अच्छी जगह लगा देंगे तो इन तीनों से उसकी बात नहीं बन सकती। ये तीनों आदमी ही सारे सैक्रेटेरियट को सारी एडमिनिस्ट्रेटिव को चलाते हैं। अपनी पावर का मिस यूज करते हैं।

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, बहिन जी ने कहा है कि बिजली बोर्ड की नियुक्ति प्रिंसिपल सैक्रेटरी करते हैं, यह फैक्टुअली और लीगली भी गलत है। लीडर आफ दी अपोजिशन को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: आपका कहना गलत है लेकिन जो मैंने कहा है वह ठीक कहा है। स्पीकर साहब, अब आप ही देखें कि मिनिस्टर साहब ने इस बारे में खुद जवाब दिया है। मैंने पहले भी इस बारे में बातें कही थीं। जो पोल खरीदे जा रहे हैं, उनके बारे में मैं बातें दोहराना नहीं चाहती कि जिन पोलज के ऊपर 160 किलोग्राम सीमेंट लगनी चाहिए उन पर केवल 60 किलोग्राम सीमेंट लगा है, ऐसे पोलज खरीदे जा रहे हैं। डाबरी कलां और जयकिन्द, एक ही आदमी की फैक्ट्रियां हैं। इनकी तरफ 17.38 लाख बिजली के बिलों का बकाया है। इतने पैसों का बिल एक दिन में तो कहीं पर भी नहीं आता इसके लिये तो काफी समय लगता है। मेरे साथियों ने जैसे बताया कि वकीलों से मिलकर ऐसी चीजें की जा रही हैं। करोड़ों रूपयों का घपला है। हम चाहते हैं कि इस सारे मामले की इन्क्वायरी होनी चाहिये। यह सारे के सारे जो बकाया बताये हुए हैं, ये सरकार ने हमें जवाब में

बताये हुए हैं बल्लभगढ की 3-4 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनकी तरफ लाखों रूपये सरकार के बकाया हैं। इनमें पी0सी0 महे वरी के खिलाफ 16.34 लाख रूपये, इसी तरह से डाबरी वाली और जयहिन्द तो एक ही हैं, इनके खिलाफ 17.38 लाख रूपये बकाया हैं। इसके बाद आप भिवानी में आ जाइये। यहां पर बी0टी0एम0 जो अरबोपति आदमी की फैक्ट्री हैं, उसके खिलाफ 49.78 लाख रूपये बकाया हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि जब तक गवर्नमेंट के लोगों से ये लोग मिले हुए न हों, तब तक इतना पैसा उनकी तरफ बकाया रह ही नहीं सकता। यह पैसा उनकी तरफ इसलिये बकाया रह जाता है कि इनके अफसर वहां से चोरी करवाते हैं और चोरी करवाकर जो पैसा मिलता है, वह नीचे से ऊपर तक सब को भिजवाते हैं। सबका उसमें हिस्सा है। इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा भी था लेकिन उस समय इन्होंने उसका ठीक से जवाब नहीं दिया था। थोडा सा पेसा इनकी पब्लिक सैक्टर कम्पनियों की तरफ भी बकाया है। उनकी तरफ भी इसलिये है कि वहां पर भी सब स्टैंडर्ड मैटीरियल लगाया जाता है। वहां से आयल चोरी होती है, वहां से कोयला चोरी होता है और वह इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बेचा जाता है। इसलिये हम यह कहते हैं कि इंकवायरी होनी चाहिये। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो घाटा होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिये। अगर यह सब स्टैंडर्ड मैटीरियल न लगायें और चोरी वहां पर न हो, तो घाटा हो ही नहीं सकता। अगर यह दोनों चीजें हटा दी जायें, तो किसी भी तरह का कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। आज तो यह हाल है कि बलवान सिंह

जैसे ईमानदार अफसर को विजीलैंस से हटा दिया गया है। इसी तरह से जो कोई अफसर ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहता है उसको सर्विस करनी मुकिल कर दी जाती है क्योंकि उसकी रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। आप ही बतायें कि इतनी लम्बी लिस्ट है जिनके खिलाफ इतना पैसा बकाया पडा हुआ है। इसलिये हम तो यह डिमांड करते हैं कि इसके लिये तो लोकपाल भी कम रहेगा, इसके लिये हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज इन्क्वायरी करने के लिए लगाना चाहिये ताकि सब चीजें स्पष्ट हो सकें। यह जो 400 करोड रूपये तक कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाने की बात कही गयी है, यह नहीं होनी चाहिये। जिन फ़ैक्ट्रियों की तरफ आपके करोडों रूपये बकाया है, पहले उनसे तो आप रूपया वसूल कर लो। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो 46 वकील पंजब के रखे हैं, क्या इनको यही वकील मिले थे ? हरियाणा में और भी एक्सपीरियेंस्ड वकील हैं। (व्यवधान व भाोर) इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी अपने महकमे के लिए वकील रखे हुए हैं, मैं इसलिये यह बात कह रही हूँ। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहां पर नहीं लेना चाहती हूँ जिनको आपने लगाया हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आपके आदमियों की मिलीभगत से वहां पर चोरी होती है और इसका फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट्स खुद भी उठाते हैं और आपको भी देते हैं। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। मैं डालमिया फ़ैक्ट्री की बात भी यहां पर कहे बिना नहीं रहूंगी। इसको पब्लिक सैक्टर में लेने से पहले इसकी तरफ 1.18 करोड रूपये बकाया था। जब यह फ़ैक्ट्री पब्लिक

सैक्टर में ली गयी, उससे पहले का जो पैसा है, वह तो उसके पहले मालिक को देना चाहिये था। मैं यह समझती हूँ कि यह पैसा उस फ़ैक्ट्री के पहले मालिक से लेना चाहिये जो इन्होंने बकाया की लिस्ट मुझे दी है, इसमें फरीदाबाद के भी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। मैं मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहती हूँ कि यहां मेरी अपनी कोई फिगरज नहीं हैं यह उन्हीं की दी हुई फिगरज हैं। एक एक लाख की करीब वो तो इसमें बहुत से हैं सहगल पेपर मिलज की तरफ 40.44 लाख रूपया हैं आपको पता ही है कि 40 लाख रूपये का बिल एक महीने में तो आता नहीं है, इसके लिये तो काफी समय लग जाता है। इसके लिये तो मिली भगत होती है। इसी तरह से मेहता इलैक्ट्रिकल्ज की तरफ 10 लाख से कुछ ज्यादा रूपया बकाया है। लाजवानी कैमिकल्ज फरीदाबाद की तरफ 5 लाख से भी कुछ ज्यादा हैं इस लिस्टह में पानीपत की भी कुछ इंडस्ट्रीज की तरफ पैसा बकाया है। राजपूत सिंगला की तरफ एक लाख से कुछ ज्यादा रूपया बकाया है। इसलिये मैंने यह मांग की है कि इंक्वायरी होनी चाहिये। डाबरी वाली और जयहिन्द वाली फ़ैक्ट्रियां तो बहुत बड़ा फ़ाड है। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, सही बात का पता नहीं चल सकेगा। इसलिये मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुये यह कहना चाहती हूँ कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम की इंक्वायरी होनी चाहिये और वह इंक्वायरी किसी ऐसे आदमी द्वारा की जानी चाहिये जो कि अबव बोर्ड हो और सरकार के झांसे में न आ सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, मेरे से पहले डाक्टर मंगल सैन और बहिन चन्द्रावती ने भी बोर्ड की वर्किंग के बारे में काफी कुछ कहा है। मैं दो चार मिनट में केवल थोड़ा बहुत ही कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, यह जो लोन लेने की सीलिंग है, इसको क्यों रेंज कर रहे हारे, यह तो बताया होता। आपने हजारों करोड़ रूपया लोन का एक्ट के मुताबिक लिया हुआ है। 400 करोड़ रूपये की सीलिंग करवाने का क्या कारण है। इसके एम्ज एण्ड आब्जैक्ट्स हमें बताते तो भायद हम इस बारे में और ज्यादा अच्छी तरह से चर्चा कर सकते। केवल एक रैजोल्यूशन मूव करके मंत्री जी यहां पर बैठ गये हैं। इस पर उन्होंने सोचनी कोई डाली ही नहीं है कि क्या कोई नया प्रोजैक्ट शुरू कर रहे हैं? हमारे ख्याल में इन्होंने कोई नया प्रोजैक्ट तो शुरू किया ही नहीं है। अगर यह कोई ऐसा प्रोजैक्ट शुरू करते और फिर हमारे पास लिमिट बढ़ाने के लिये आते, फिर हमें कोई आब्जैक्शन न होता। लेकिन फिलहाल हरियाणा प्राप्त में कोई भी नया प्रोजैक्ट जिस पर इतना भारी खर्चा किया जा रहा हो, शुरू नहीं किया गया है। नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट जिसके लिये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का एग्रीमेंट हुआ पडा है, उसके लिये एक भी पैसा मुखसूस नहीं किया गया है। क्या आवश्यकता आ पडी है इनको सीलिंग बढ़ाने की। यह बात डाक्टर मंगल सैन ने ठीक ही कही है कि करोड़ों करोड़ रूपया इंडियन आयल कम्पनी और इंडियन कोल वालों को इस बोर्ड ने देना है। उस कर्जे के नीचे यह बोर्ड दबा हुआ है। यह सीलिंग इसलिए बढ़ायी जा रही है

ताकि उस कर्जे से निजात मिल सके। बड़े अफसोस की बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के जिम्मे आज करोड़ों रूपये के एरियर्ज पडे हुए हैं। इलैक्ट्रियसिटी बिल्ज के बारे में मेरे सवाल के जवाब को तो चौधरी भाम ाेर सिंह हली अवायड कर गये लेकिन मैं इनको यह कहूंगा कि अब वे जब जवाब दें तो यह जरूर बतायें कि यह जो एरियर्ज हैं, ये कितने अर्से के पुराने हैं। स्पीकर साहब, मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। हमने भी 10-15 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को छांट कर जिनकी तरफ ज्यादा पैसा बकाया था, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये रिकवरी प्रोसीडिंगज बडे जोर भाोर से भारु की थी लेकिन वे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये थे और वहां से उन्होंने स्टे आर्डर हासिल कर लिया था। लगभग 5 साल हो गये हैं आज तक मेरा ख्याल है, इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। बदमिस्मती यह है कि जनता सरकार टूट गयी वरना हमने तो उनसे पैसा वसूल कर लेना था। चौधरी भाम ाेर सिंह जो बतायें कि इस पांच साल के अर्से में उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है। मैं यह मानता हूँ कि चौधरी भाम ाेर सिंह जी लीडिंग लायर हैं, बडे कम्पीटेंट हैं और वैल रिप्यूटिड हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि वे हरियाणा के हित की बात करेंगे। वे लैफटिस्ट लीनिंग के हैं। उनके लिये इनके दिल में आखि़कर क्यों इतना सॉफ्ट कारनर हो गया है। उन इंडस्ट्रियलिस्टस ने जो स्टे आर्डर ले रखा है, उसको वैकैट करवाने के लिये ये कुछ कोर्िा करते। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते और कोर्िा करते कि इस बात का फौरी तौर पर फैसला हो जाये। हमें इसमें

मैलाफाइडी ही नजर आती है। इनमें से एक सहगल पेपर मिल, धारूहेड़ा भी है जिसकी बुनियाद 1978-79 में भुरू हुई और पांच छः साल में यह खडा हुआ है। अब उसके जिम्मे चालीस लाख रूपया बकाया है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक उसने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया और इस मिल के अगैंसट चालीस लाख रूपया बिजली के बिलज का बकाया है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मंत्री जी इस विशया पर जरूर बताएं कि जो पेंडिंग ऐरियर्ज हैं इनके बारे में पांच साल के अर्से में आंख बंद करके क्यों बैठे रहे। अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बिजली बोर्ड में बहुत बेचैनी है। बड़े अफसर दुखी हैं, छोटे एम्पलाईज परे तान हैं और जूनियर इंजिनियर्ज तथा दूसरा स्टाफ दुखी है इस बोर्ड के साथ एक बडी मुक्ति कल यह दरपे आई हुई है कि जो अफसर फरीदाबाद में लग जाते हैं वे वहां से हिलने का नाम नहीं लेते। मैं जब मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने उन औफिसर्ज को तबदील किया। मैं मानता हूं कि दो औफिसर्ज कों मैं नहीं हटा सका। वे औवर एण्ड अबाव माई हैड रहे और मैं उनको हिला नहीं सका। मैं चौधरी भाम देर सिंह के नाटिस में लाना चाहता हूं कि किसी भी अफसर को वहां दो साल से ऊपर टिकने की इजाजत न दी जाये इससे बिजली बोर्ड का बहुत कुछ बच जाएगा। अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार यह दावा जरूर करती है कि इतने घंटे बिजली दी जाती है लेकिन स्पीकर साहब, आप वकील हैं, और पब्लिक मैन भी हैं, काफी लोग आपसे मिलते हैं। आप किसान परिवार से

ताल्लुक रखते हैं। इन सब बातों को देखते हुए आपसे हर तरह के लोग मिलते होंगे और बिजली के बारे में विचारयत करते होंगे। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जितना यह सरकार दावा करती है उतनी बिजली लोगों को नहीं मिलती है। आज हालत यह है कि बिजली की चोरी होती है, लाइन लोसिज हो रहे हैं। किसान को समय पर बिजली नहीं मिल रही है और किसानों की लाखों करोड़ों रूपये की फसल तबाह हो रही है लेकिन चौधरी भाम और सिंह के पास न तो लाइन लौसिज का कोई इलाज है और न चोरी का कोई इलाज है। स्पीकर साहब, ये क्या करें, इनको मुकदमें से ही फुरसत नहीं है जो ये बिजली बोर्ड के बारे में सोचें। बिजली बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं वे श्री एम0डी0 कटारिया हैं बहुत भले और बढ़िया आदमी हैं लेकिन स्पीकर साहब, यह बहुत ही कौम्पलीकेटिड बोर्ड है और कटारिया साहब बहुत भारीफ आदमी हैं। इस बोर्ड के कैप्रीहन साहब भी चेयरमैन और डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी रहे हैं वे बहुत ही कम्पीटेंट साबित हुए। इस समय नए सैक्रेटरी आए हैं वे भी कम्पीटेंट होंगे लेकिन बोर्ड का चेयरमैन अगर कोई तगड़ा आदमी लगाया जाए तो कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। मैं यह कोई श्री एल0डी0 कटारिया पर रिफ्लैक्शन नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो मंत्री महोदय से यही कहना है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ ध्यान दें और जो लीकेज है उसको टेप कर सकें तो अच्छा रहेगा और इनको सीलिंग बढ़वाने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ने अब तक जो कर्जा लिया हुआ है वह 17891 लाख रूपये हैं और उस कर्जे में से अब तक 1796 लाख रूपया बोर्ड ने वापिस किया है और 16095 लाख रूपया बाकी हैं अध्यक्ष महोदय अगर यह सरकार लाइन लौसिज को कम कर दे, जो चोरी होती है उसको न होने दे तो इस बोर्ड को कर्जा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इस सदन में बताया गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास बारह सौ लाख रूपया बिजली बोर्ड का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड और हमारे आई0पी0एम0 किसानों के बहुत हमदर्द हैं इन्होंने जिन किसानों के गहरे ट्यूबवैल्ज थे उन पर बिजली के चालीस परसेंट रेट बढ़ाए लेकिन बाद में उसको पच्चीस परसेंट कर दिया। स्पीकर साहब, हम तो चाहते थे कि किसानों के ऊपर यह बढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए था। सरकार ने किसानों को कहा है कि सितम्बर से जो रेट बढ़े हैं उन बढ़े हुए रेट्स का भुगतान 31 मार्च तक मय पैनल्टी कर दें लेकिन बाद में पैनल्टी नहीं लगायी जाएगी। सरकार ने जब उनकी जैनुयन डिमांड को मान लिया कि पैनल्टी नहीं ली जाएगी तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसानों की इस डिमांड को भी मान लें कि बढ़े हुए रेट की पैमेंट जून तक किसान कर दें। स्पीकर साहब, चार पांच साल से कहत पडता आ रहा है और किसान बडी मु कल में है। एक दो लाख रूपये की बात है सरकार को उनकी यह जैनुयन डिमांड मान लेनी चाहिए। जिन लोगों ने पैमेंट कर दी है उनकी तो कोई बात नहीं है लेकिन जिन्होंने पैमेंट नहीं की है उनको जून तक की

तारीख देने की कृपा करें। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि उनको यह कंसै इन दे दे और रेट बढ़ाने पर पुनर्विचार करें। अगर सरकार बिजली की चोरी को बंद कर दें, लाईन लौसिज को कम कर दें और लोगों के खिलाफ जो बकाया है उसको वसूल कर ले तो बिजली के रेट बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। स्पीकर साहब, अन्त में मैं इस रेजोल्यूशन का विरोध करता हूँ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड की कर्जे की लिमिट 250 करोड़ से 400 करवाने के बारे में सदन की अनुमति के लिए जो रेजोल्यूशन आया है उसके बारे में विपक्ष के चार सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस रेजोल्यूशन के बारे में भुरु में संक्षेप में बोलना चाहता था लेकिन रेजोल्यूशन पढ़ने के तुरंत बाद डा० मंगल सैन बोलने के लिए खड़े हो गए। स्पीकर साहब, इस रेजोल्यूशन का उद्देश्य यह है कि बिजली बोर्ड की कर्जा लेने की जो लिमिट है, वह बढ़ सके। स्पीकर साहब, इंडर सैक्ट 64 बिजली बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट से कर्जा ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट से बिजली बोर्ड ने जो लोन लिया हुआ है वह 481 करोड़ रूपए का है क्योंकि बिजली बोर्ड का अपना कोई कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। बिजली बोर्ड सरकार से भी लोन ले सकता है और दूसरे कई सोर्सिज से भी लोन ले सकता है। 1948 के इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की सैक्ट 65 के तहत बिजली बोर्ड मार्किट से भी कर्जा ले सकता है। दूसरे

मद 65 के अनुसार बिजली बोर्ड को अपनी हद कर्जा बढ़ाने की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पडती है। उसके लिए गवर्नमेंट के लिए यह आवश्यक है कि वह इस की स्वीकृति समय समय पर इस असेम्बली से लें। अध्यक्ष महोदय, जो पिछला हद कर्जा था, वह 250 करोड रूपये था। वह न काफी रह गया है। क्योंकि इसमें बिजली बोर्ड के पूरे कार्यक्रमों की एक्सपेंडिचर इन्वाल्व थी और दूसरा कारण यह था कि कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी जिसके कारण यह रॉफिट न काफी हो गयी थी। यह मंजूरी 1973 में असेम्बली से ली गई थी। अब मैं अध्यक्ष महोदय, इस की ब्रीफ हिस्टरी बताऊंगा कि किन किन सालों में असेम्बली से बिजली बोर्ड की हद कर्जा के लिए मंजूरी ली गई। 1968 में 20 करोड, 1970 में दोबारा हद कर्जा की मंजूरी पहले मार्च में और उसके बाद अक्टूबर में ली गई। पहले 30 करोड की और उसके बाद दूसरी 50 करोड के लगभग थी। 1972 में 75 करोड की और 1973 में 250 करोड की अनुमति ली गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा कि किस वजह से हम हद कर्जा की लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं। भायद मेरे माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इस रेजोल्यूशन के द्वारना बोर्ड कर्जे की 400 करोड रूपये की करकम प्राप्त करना चाहते हैं, यह बात नहीं है हम तो केवल मैक्सिमम लिमिट को रेंज करना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इस लिमिट के अंडर बिजली बोर्ड कर्जा लेगा। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं उस बात की चर्चा करूंगा जिसके लिए हमारे सदस्यगण बडे ही एजीटेटेड हैं

और राई का पहाड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी कारखानेदार सरकार के साथ मिल गए हैं। सरकारी अधिकारी इनके साथ मिल गए हैं, रिकवरी नहीं कर रहे हैं, पैसा खा गए हैं वगैरह वगैरह। मैं एक एक की तफसील यहां हाउस के सामने जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ नार्दर्न इंडस्ट्रीज, बल्लभगढ जिन की ओर अब 43 लाख रूपया बकाया है, वे लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने रिकवरी और डिस कनैक्शन के बारे में स्टे आर्डर दे दिये। फरवरी 1976 में इनको डिफाल्ट लगना भुरू हुआ 2 लाख का उसके बाद जुलाई 78 में इनका डिफाल्ट नान पेमेंट के कारण लेवी और सरचार्ज के साथ 10 लाख रूपये हो गया। इस तरह यह अमाउंट बढ़ता गया और अब पैसा जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस फर्म के खिलाफ 43 लाख की रिकवरी बकाया है।

मैसर्ज पी0सी0 महे वरी, बल्लभगढ 6/80 में इनकी तरफ 7.6 लाख रूपया था। मीटर के स्लो चलने के कारण यह अमाउंट पैनल्टी के तौर उन उनके ऊपर ड्यू था और उसके बाद सरचार्ज वगैरह और लेवी लगने के कारण यह अमाउंट बढ़कर 12/82 में 14.16 लाख हो गया। इसके लिए भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। इसकी भी अदायगी और डिस कनैक्शन के स्टे आर्डर मिले हुए हैं।

पोसवाल स्टील फैक्टरी, फरीदाबाद इनके अगेन्सट अप्रैल 77 में 4.7 लाख रूपया ड्यू था और अब यह राशि बढ़कर

11 लाख के करीब हो गई है। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वरी और डिस कनैक्टान के स्टे आर्डर लिए हुए थे और अब उन्होंने यह केसी वापिस ले लिया है और बाकायदा रिक्वरी हो रही है।

मैसर्ज एस0जी0 स्टील फैक्टरी, बल्लभगढ 6/81 में इनकी तरफ 5.23 लाख रूपया था। मीटर के स्लो चलने के कारण उन पर यह पैनल्टी डाली गई थी, जिसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। दूसरा सर्विस एंड रेंटल का भी डिसप्यूट था, उसको अमाऊंट 1.3 लाख रूपये था, वह उन्होंने अदा कर दिया है। वैसे यह केस आर्बीट्रेटान के पास पेंडिंग है। 1975 के सातवें महीने में यह डिफाल्ट भुरु हुआ था। 1977-78 व 79 की रिक्वरी के खिलाफ और डिस कनैक्टान के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर लिए हुए हैं। सरचार्ज वगैरह लगाकर यह अमाऊंट काफी बढ़ गया था और 22 लाख के लगभग हो गया था जो कि उसने अब पे कर दिया है। केवल 1.2 लाख रूपया उसकी तरफ बकाया है रिट वगैरह भी चल रही है। इसी तरह से बी0टी0एम0 भिवानी है। 1972 से उसकी तरफ डिफाल्ट था 3.7 लाख रूपया on account of penalty for exceeding the contract demand. वह पार्टी कोर्ट में चली गई, केस वहां पर पेंडिंग है। अब अमाऊंट सरचार्ज और लैवी वगैरह लगने के बाद बढ़ाकर 49 लाख की करीब हो गया है। अब करंट अदायगी उस की तरफ से की जा रही है।

डालमिया सीमेंट फ़ैक्टरी, दादरी दिसम्बर में 34 लाख रूपये का डिफाल्ट इनकी तरफ भुरु हुआ। उसके बाद सरकार ने उनको पांच सालों का मैराटोरियम दे दिया, उसके बाद सरचार्ज वगैरह लगने पर पैसा इकट्ठा होता गया। यह केस लिकवीडे ान में है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, केवल 80-81 लाख रूपये की तो पूरी उनकी प्रोपर्टी है, और उनके खिलाफ एक डेढ करोड रूपया आऊट स्टैंडिंग हैख यह इतनी बडी रिकवरी कैसे करेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, उसकी पूरी जायदाद की तफसील मेरे पास हैं, अगर आनरेबल मैम्बर चाहे तो मैं पूरी जानकारी दे सकता हूँ।

इसके बाद एक और फर्म मैसर्ज निपको, फरीदाबाद है जिस की तरफ से भी रूपया रिकवर करना रहता है। यह पैसा बिलज की पेमेंट न करने के कारण उनके पास ड्यू हैं। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रिकवरी जल्दी हों। इसके लिये आफिशियल लिकवीडेटर मुकर्रर किया हुआ है। डिसकनैक् ान के अगेंस्ट 1969 में इसने कोर्ट से स्टे ले लिया। अब यह केस आबिट्रे ान में पैडिंग है। इसी प्रकार से सहगल पेपर मिल वालों का 8/79 में डिफाट भुरु हुआ। इसने 8/79 में पैमेंट करनी स्टाप कर दी थी और उसके बाद इसका पैसा इकट्ठा

होता चला गया। सरचार्ज की वजह से और पैसे बढ़ते गये। 1982 में इसका कनैक्टान डिस्कनैक्ट कर दिया गया। इसकी रिकवरी की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है। यह फैक्टरी मेरे ख्याल में अंडर लिक्वीडिशन भी आ गई है इसलिये हमारा पैसा मरेगा नहीं। पिछले दिनों फैक्टरी के मालिक को इस बात का पता चला कि गवर्नमेंट ने आफिशियल मीनिरी के जरिये से फैक्टरी का कब्जा ले लिया है। हमारा पैसा मरने का सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार से जो एक एक लाख के डिफाल्ट वाली जो छोटी फर्में थी जैसे मै0 ओरिएंट स्टील फरीदाबाद, वीनस पेपर मिल, फरीदाबाद, मै0 प्रयाग दास, हरियाणा पेपर मिल, एच0एस0सेटी और लाज वानी वगैरह हैं ये सारे केसिज 1981-82 के हैं। इन्होंने भी कोर्ट से स्टे ले लिया। मैं इस बारे में अर्ज करूंगा कि हमारा टोटल पैसा 13 करोड था जो रिकवर होना था। इसमें से साढे 12 करोड रू0 तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स से लेना है और बाकी डेढ करोड रू0 प्राइवेट इंडस्ट्रीज से लेना है हरियाणा बिजली बोर्ड का एक साल का रैवेन्यू करीब सवा या डेढ करोड रू0 कलैक्ट होता है। यह अकाउंट 1970 के पहले के हैं। प्राइवेट लोगों से जो पैसा लेना है वह सारा अमाउंट केवल एक डेढ करोड रू0 बनता है। जो गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक अंडर टेकिंग्स से लेना है उसके लिये उनसे रिकवरी की बात कर रहे हैं। जो प्राइवेट लोगों से पैसा लेना है उनमें से हम 1500 कनैक्टान डिस्कनैक्ट कर चुके हैं इस तरह से बिजली बोर्ड को मैलाफाइडी का सवाल नहीं है मैं इनके दूसरे मुद्दों के बारे में भी कहूंगा। डा0 साहब ने तलवाडा में किसी

मिनीरी स्टोर में चोरी का जिक्र किया उसका जवाब विस्तार में मैं उस दूंगा जिस दिन बिजली बोर्ड के बारे में बहस होगी। एक उन्होंने कहा कि दो की बजाये एक ही रैस्ट हाउस क्यों नहीं बना दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, उन दोनों रैस्ट हाउसिंज में 15 किलोमीटर का डिसटेंस है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों को मंत्री से भी मिलना पडता है और फरीदाबाद और गुड़गांव भी जाना पडता है। इसलिये यह कोई खास खच्चे की बात नहीं है। इन्होंने आगे एतराज किया कि बिजली बोर्ड में फाइनेंशियल क्राइसिंज हैं और कहा बोर्ड ने रेलवे का, काल इंडिया का और बी०एच०इ०एल० का बहुत रूपया देना है। अध्यक्ष महोदय, इनके साथ हमारे रजिनंग अकाउंटस हैं पीछे बी०एच०इ०एल० वालों ने हमें वह सामान दे दिया जो हमने मांगा नहीं था और उसकी हमें 6 महीने बाद जाकर जरूरत पडनी थी। हमने उनसे कहा कि आपने यह सामान क्यों भेज दिया तो उन्होंने का कि जो आपने मांगा था वह सामान तैयार नहीं था इसलिये हमने यह भेज दिया। हमने उनको कहा कि हमारे पैसे वापिस करो और इस सामान की पेमेंट तब देंगे जब यह काम में आएगा। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड में क्राइसिंज का तो सवाल ही नहीं है। एक उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की वर्किंग के बारे में हाई कोर्ट के किसी जज से जांच करवाई जाए। ये कहते हैं कि बोर्ड में फाइनेंशियल क्राइसिंज हैं, इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा। पिछली बार जब बिजली बोर्ड ने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कांस्टीच्यूट किया तो उस वक्त फाइनेंस मैंबर नहीं लगाया गया था क्योंकि सूटेबल आदमी

अवेलेबल नहीं था। उस समय फाइनेंस सैक्रेटरी का नाम टैम्पोरेरी तौर पर नोटिफाई किया गया था। अब बहुत तलाश के बाद हरियाणा बिजली बोर्ड ने श्री डी०एस० मल्होत्रा जो कि पहले हरियाणा के अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे उनको फाइनेंस मैम्बर नियुक्त किया है। उन्होंने इसी मही की 21 तारीख को बतौर फाइनेंस मैम्बर चार्ज लिया है। वे बहुत तजुरबेकार और काबिल आदमी हैं आपको पता है कि अकाउंटेंट जनरल एक इंडिपेंडेंट बाडी होती है जिसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता। तो हमने उस आदमी को फाइनेंस मैम्बर बनाया है जो पहले इसी प्रदेश का ए०जी० था। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा बिजली बोर्ड के फाइनेंसिज को आडिटर जनरल आफ इंडिया देखता है यानी उससे आडिट करवाते हैं। डा० साहब ने यह बात फरमाई थी कि बिजली बोर्ड का आडिट नहीं होता बल्कि बोर्ड अपना आडिट खुद ही करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक मुद्दा चौधरी वीरेन्द्र सिंह और श्रीमती चन्द्रावती जी ने यह उठाया कि फ्यूल की कंजम्पशन ज्यादा है और जय हिन्द फैक्टरी से घटिया किस्म के पोल खरीदे गये इसलिये बिजली बोर्ड में घाटा है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि बोर्ड की अफसरों की तबदीली के बारे में कोई नीति नहीं है और मंत्री जी को अपने मुकद्दमें की वजह से फुर्सत नहीं है। जहां तक बोर्ड के अधिकारियों की बदली का सवाल है खासतौर पर जो फील्ड स्टाफ था उसके बारे में किसानों और कंज्यूमर्ज को तकलीफ थी। क्योंकि हर कर्मचारी अपने घर के पास लगने की पूरी पूरी

कोर्णित करतल थल। इस बलर बलजली बोरुड के अधलकरलयों की डुरलंसडर के बलरे में हडने ँक नीतल नलधलरलत की है। बोरुड ने उसको बहुत वलचलर वलडरुत के बलद डलस कलडल है। मैं चलहुंगल कल वलह नीतल जब डुखुड डंतुरी जी के डलस डल कलैबलनलड की ँडुवल के ललडे डलँगी तल वलह जरुर डलस की डलँगी। उससे बदली होने वलले को डी ँर बदली करने वलले को डी डतल लग डलँगल कल नलडड वुडल है ? अब से डहले डरजी के डुतलबलक हुतल थल। दूसरी बलत में डह कहनल चलहतल हुं कल जलहलं तक इरीगे डन डलनलसुतर की डरुसत कल सवल है मैं ँडने ँडको ँच्छल कह कर ँडनी तलरीड नहीं करवलनल चलहतल लेकलन वलैरलडकल डन के ललडे बतलनल चलहतल हुं कल मैं डलछले दो सलल से डंतुरी हुं। मैं रलज वरुडलंग डेज में सुबह 9 बजे दडतर डलतल हुं। ँर डलड को 6 बजे धर ँतल हुं। डीच में ँक घंटे के ललडे लंच के ललडे डलतल हुं। मैं कडी डी वरुडलंग डेज में दुरे डर नहीं गडल ँर ँडनी डेज डर कडी ँक घंटे से डुडलदल कलई डलइल नहीं रखतल। हडलरे सलरे डल थरुडल ड्ललंतस हैं मैं वलहलं डी डलतल हुं ँर डडनल हलइडल की कंसुडरुड डन सलइत डर डी गडल हुं तल डह बलत नहीं है कल डेरे को डरुसत नहीं है। सुडकर सलहड, डल0 डंगल सैन जी ँर दूसरे कई डलननीड सदसुडलं ने कलहल कल 1967 से अब तक बलजली बोरुड को इतने डैसे की वुडल जरुरत डड़ गई ? मैं ँडके धुरल इनको बतलनल चलहुंगल कल बलजली बोरुड 1967 में बनल थल। मैं 1967 ँर 1982 तक के बलजली के कनैव डंज के बलरे में बतलनल चलहुंगल कल कलतने बलजली

के कनेक्टिज डोमैस्टिक, कमर्शियल, स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज वगैरह को दिए गए हैं।

	वर्ष 1967	वर्ष 1982
डोमैस्टिक	22400	900127
कमर्शियल	57875	156425
स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज	9620	45877
लार्ज इंडस्ट्रीज	129	760
टयूबवैलज	20190	237229
अदरज	197	5805
टोटल	311914	1346223

इनस्टाल्ड कैपेसिटी की बिजली पहले 343 मैगावाट थी और अब 1192 मैगावाट हो गई। पहले बिजली की पैदावार प्रतिदिन 16.27 लाख यूनिट थी और अब 103.24 लाख यूनिट हो गई है। इन भावों के साथ मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि मैंने जो रैजोल्यूशन पे किया है, वह पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 400 crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub section (1) of that section.

The motion was carried.

बिल्ल

(1) दि हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमेंट बिल 1983

श्री अध्यक्ष: मैम्बर्ज साहेबान, मुझे श्री मंगल सैन एम0एल0ए0 की ओर से हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमेंट आर्डिनैस, 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं0 4 आफ 1982) की डिसएप्रूवल का नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो डिस एप्रूवल के नोटिसे पर और बिल की कंसीड्रै इन मो इन पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए लेकिन डिसक इन के बाद इनके ऊपर अलग अलग मतदान करवाया जाएगा।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: अब श्री मंगल सैन एम0एल0ए0 अपनी मो इन मूव करें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमेंट आर्डिनैस, 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 4 आफ 1982) को डिसएपूव करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन हरियाणा फारैस्ट डिवैल्पमेंट आर्डिनैस, 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 4 आफ 1982) को डिसएपूव करता है।

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तु करता हूँ—

कि हरियाणा वन विकास विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा वन विकास विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): स्पीकर साहब, मेरा आब्जैक्टान है कि इस बिल को कंसिडर ही नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें काफी कानूनी त्रुटियां हैं इस बिल को कंसिड्रेटान में लाने से पहले मैं इस बिल की त्रुटियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बिल की ड्राफ्टिंग करते समय कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं

हैं। जिस समय इस बिल की ड्राफ्टिंग की गई उस समय कानून की मद्देनजर नहीं रखा और इस बिल की ड्राफ्टिंग करते समय गवर्नमेंट आफ इंडिया के कानूनों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। स्पीकर साहब, इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रोजंज की पांचवीं लाईन में लिखा है –

“For the constitution of an alternative and effective agency for the implementation of the massive programme, the State Government decided to constitute the Haryana Forest Development Board..... “

अब क्लोज 3 की सब क्लोज 2 में लिखा है –

“The Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, movable or immovabe, and to enter into contracts, and shall by the said name, sur or be sued.”

अब क्लोज 4 में लिखा है—

“For the purpose of Land Acquisition Act, 1894, the Board shall be deemed to ba a local authority.”

स्पीकर साहब, हम इस विधेयक के अनुसार वन विकास बोर्ड को एटोनोमस बाडी कह सकते हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ई वर सिंह, पदासीन हुए।) इस विधेयक के अनुसार वन विभाग के जो असेंटस एंड लायबिलिटीज और उसके आफिसर्ज का सारा काम वन विकास

बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए यह वन विकास विधेयक इट सैल्फ कंट्राडिक्टरी है। जिसके कारण यह बिल कानूनी तौर पर कंसिडे इन में नहीं लाया जा सकता। अब आप बिल की सैव इन 14 देखें, इसमें लिखा है—

“(1) The State Government may appoint a Secretary to the Board.

(2) The Board may create such other posts and appoint such other officers and employees as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions.

(3) The conditions of service of the officers and employees of the Board shall be such as may be prescribed.

(4) The duties of the officers and employees of the Board shall be such as may be determined by it.”

12.00 बजे ।

अब इसके अनुसार आई0एफ0एस0 केडर। कैटेगिरी के पांच अनुसार ट्रांसफर हो गये हैं इनके अंदर असिस्टेंट कंजरवेटर, डिप्टी कंजरवेटर, चीफ कंजरवेअर तथा एडि इनल कंजरवेटर आदि भामिल हैं। आल इण्डिया सर्विसिज की पांच कैटेगरीज हैं। कांस्टीच्यू इन के मुताबिक तथा जो आल इण्डिया सर्विसिज एक्ट 1959 है उनमें आई0एफ0एस0 केडर की पोस्टे भी भामिल हैं। इस एक्ट का सैव इन 2ए आपको पढकर सुना देता हूँ।

“Other All India Services With effect from such date as the Central Government, may be notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be constituted the following All India Services and different dates may be appointed for different services—namely ---

1. The India Service of Engineers (Irrigation, Power, Buildings and Roads)

2. The Indian Forest Services “

इन सभी आई०एफ०एस० ऑफिसरों को आल इण्डिया सर्विसिज एक्ट के तहत ट्रीट किया जात है और उन ऑफिसरों को इस वन विकास विधेयक की सैक्शन 14 के तहत बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि उन ऑफिसरों को बोर्ड के अम्पलाईज ट्रीट करेंगे और यदि वह बोर्ड के अम्पलाईज हो जाते हैं तो फिर ये ऑफिसरों डैपुटे न पर ट्रीट होने चाहिए। लेकिन डैपुटे न पर किसी आल इण्डिया सर्विसिज के ऑफिसरों को उसकी कनसेंट के बगैर नहीं भेजा जा सकता। जैसा कि एक्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से इंडियन फोरेस्ट सर्विसिज एंड फिक्सेड न आफ कैंडर एंड रैगुले न एक्ट 1966 के अनुसार किसी आई०एफ०एस० ऑफिसर को डैपुटे न पर नहीं भेजा जा सकता। अगर भेजा भी जा सकता है तो उसमें डैपुटे न पर भेजने के लिए हरेक स्टेट की अलग अलग स्ट्रेंथ है। हरियाणा की स्ट्रेंथ जो कि एंटरी नं० 5 के अगेन्स्ट दिखाई है, उसमें केवल दो दी हुई है। अब यह स्ट्रेंथ बढ़कर भायद दो से तीन हो गई होगी। लेकिन इस वन विकास

बिल के अनुसार जिसका पिछले दिनों आर्डिनैस हुआ था, 20-22 आफिसरज को बोर्ड में भेज दिया गया है। वहां पर भेजने के लिए इन आफिसर की कनसैंट भी नहीं ली गई है। हमारी स्टेट में 13 टैरिटोरियल फोरेस्ट डिविजन थे जिनको अब फोरेस्ट डिपार्टमेंट से फोरेस्ट बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर किसी आफिसर को डैपुटे इन पर भेजते हैं और उसकी कनसैंट भी नहीं ली जाती तो यह अपने आप मसें एक एनोमली है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट किसी आल इण्डिया सर्विसिज के आफिसर को डैपुटे इन पर नहीं भेज सकती। यदि उनको डैपुटे इन पर भेजा जाता है तो यह कांस्टीच्यू इन के आर्टिकल 312 की वायले इन है।

चौधरी फूल चन्द: चेयरमैन साहब, मेरे फाजिल दोस्त ने एक कानूनी मुद्दा उठाया है इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: आप बाद में रिप्लाई दे देना, पहले इनको बोल देन दीजिये। (गोर एवं व्यवधान)

Ch. Phool Chand: But he has raised some initial objections and I would like to give reply to those objections. As I have told earlier, all those matters which he has referred to now are pending in the High Court and these cannot be referred to here.

चौधरी साहब सिंह सैनी: मेरे कहने का मतलब यही है कि यह बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। (गोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: चेयरमैन साहब, इनका तो कहना यही है कि यह बिली इन्ट्रोडयूस ही नहीं हो सकता। (गोर)

चौधरी साहब सिंह सैनी: चेयरमैन साहब, मैं आर्टिकल 312 को रैफर कर रहा था जो कि आल इण्डिया सर्विसिज को डील करती है। इस बोर में केवल पार्लियामेंट को ही पावर है कि वह कोई एक्ट पास करें। I would like to refer to article 312 of the constituion, which is as follows-

“312. Power of Parliament to vary or revoke conditions of service of officers of certain services

“

इसमें आल इण्डिया सर्विसिज भी भामिल हैं और अब अगर स्टेट लैजिस्लेचर द्वारा इस प्रकार का ला पास कर दिया जाता है और आई०एफ०एस० औफिसर्ज को बोर्ड के इम्पलाईज ट्रीट कर दिया जाता है या किसी अटोनोमस बाडी के एम्पलाईज ट्रीट कर दिया जाता है तो फिर यह पार्लियामेंट के अनैक्टमेंट की क्लीयर वायले गन है। यदि पार्लियामेंट का अनैक्टमेंट आलरेडी है तो स्टेट लैजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकती। अगर करती है तो वह पार्लियामेंट के अनैक्टमेंट की वायले गन है। इसके बारे में आर्टिकल 312 में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से यह क्लीयर वायले गन है। इस बिल की सैक्शन 29 में यह लिखा है –

“29—All the officers and employees of the Board shall be deemed to be forest Officers within the meaning of the India Forest Act, 1927 and they shall be competent to exercise

the powers of Forest Officers, so far as may be necessary for the purpose of performing their duties under this Act.”

अब सैव इन 14 और 29 के अनुसार यह आई0एस0एस0 आफिसरज बोर्ड के एम्पलाईज माने गये हैं जबकि स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर नहीं है और इस मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट लैजिस्ले इन नहीं ला सकती जैसे कि मैंने कांस्टीच्यू इन की आर्टिकल 312 पढ़ी है। यदि करते हैं तो यह वायले इन होगा क्योंकि पार्लियामेंट ने इसके बारे में पहले ही एक्ट बनाया हुआ है। कांस्टीच्यू इन में तीन लिस्टें दी हुई हैं, कनकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट तथा स्टेट लिस्ट। आप यूनियन लिस्ट में एंटरी नं0 70 देखें उसमें दिया हुआ है –

“Union Public Services: All India Services; Union Public Service Commission.”

इसके अनुसार जो आल इन्डिया सर्विसिज का मैं इन किया हुआ है उसमें आई0एफ0एस0 आफिसरज भी कंसिडर होते हैं। कनकरेंट लिस्ट की एंटरी नं0 17ए और 17बी में भी इस बारे में दिया हुआ है। 17ए में फोरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है तथा 17बी के अंदर प्रोटेक् इन आफ वाइल्ड एनीमल्ज एंड वर्डज हैं। ये सारे काम फोरेस्ट डिपार्टमेंट के थे जो कि अब बोर्ड को दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा इसके लिए यही विरोध है कि यह विधेयक इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता था क्योंकि इसके तहत औफिसरज की सर्विस कंडी इन को बदला जा रहा है। नैक्सट जो

आता है वह ट्रांसफर आफ असैट्स एण्ड लायबिलिटीज है जो कि इस बिल की सैक्शन 26 में दिया है—

“26. (1) The State Government may transfer to the Board buildings, lands, forests or any other property movable or immovable for the use and management by the Board.

(2) The State Government may transfer to the Board such schemes, projects or works in progress with all their assets and liabilities, as are run or managed by it.”

अब इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 254 के अनुसार हरियाणा में फॉरेस्ट के जो 13 डिविजन थे वे सभी के सभी बोर्ड को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब बोर्ड कुछ भी करे, उनको किसी प्रकार से हिसाब किताब रखे, इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि कांस्टीच्यूशन आफ इण्डिया की आर्टिकल 254 के मुताबिक इस प्रकार ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि जैसा कि मैंने कनकरीट लिस्ट की एंट्री नं० 17 ए पढ़ी है उसके अनुसार सेंटर का एक्ट आलरेडी है। इस मामले में उन्होंने एम्पलाईज की सर्विस को भी रेगुलेट किया है और फॉरेस्ट को भी रेगुलेट किया है। चैयरमैन साहब, इस बिल की सैक्शन 26 के अनुसार सारी प्रॉपर्टी बोर्ड को ट्रांसफर की जा सकती है तो यह सारी प्रॉपर्टी अब बोर्ड में वैस्ट करेगी। यदि सारी प्रॉपर्टी बोर्ड को ट्रांसफर कर देनी है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा ? जैसा कि मैंने कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 254 को रीफर किया था कि स्टेट लैजिस्लेचर इसको कर नहीं सकती। इन्होंने इस प्रकार की जो

ट्रांसफर की है मैं यह समझाता हूँ कि इस बिल की ड्राफ्टिंग में कोई कमी है। भाग्यद इन्होंने किसी कनसैप्ट को नहीं देखा है क्योंकि इस बात से क्लियर हो जाता है जो कि इन्होंने विधेयक की सैव 11 और 22 में दिया है। सैव 11 और 22 में लिखा है—

“21 (1) The Board shall have a fund to be called the Forest Development Fund.

(2) The Forest Development Fund will be financed by the State Government.

(3) The Board may accept grants, subventions, donations and gifts from the Central Government or any individual or body whether incorporated or not.

(4) All monies received by or on behalf of the Board shall form part of the Forest Development Fund.

(5) Except as otherwise directed by the State Government all money and receipts specified in the foregoing provisions and forming part of the fund shall be deposited in the State Bank of India or in a Scheduled Bank or a Co-operative Bank.

(6) The fund shall be operated upon by such officers as may be authorised by the Board.

22. The Board shall prepare in such form, and at such time every year, as may be prescribed a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Board and shall forward to the

State Government such number of copies thereof, as may be prescribed.”

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट का सारा फण्ड फोरैस्ट बोर्ड में चला गया लेकिन फोरैस्ट बोर्ड उस पैसे को बांट नहीं सकता। पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट देगी लेकिन फण्डज होंगे बोर्ड के। इसके दूसरी तरफ जो रिसीट होगी वह बजाये ट्रेजरी में जमा होने के, डायरेक्ट स्टेट बैंक या एक दो बैंक और हैं उनमें जमा होगी। इसका परिणाम यह होगा कि बोर्ड जब मर्जी स्टेट बैंक से पैसा निकाल लें। बोर्ड अपने जिन चहेते लोगों को बैंक से पैसा निकलवाने के लिए अथोराइज करेगा, वे पैसा निकलवायेंगे और इसका कोई अकाउंट नहीं होगा। कोई चैक नहीं होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू से इसको निकाल दिया गया है। ए0जी0 भी इस अकाउंट को चैक नहीं करेगा और फाईनैस डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा। जहां तक फोरैस्ट डिपार्टमेंट का सवाल है, इसका तो बोर्ड में कोई दखल ही नहीं रहा। अपनी मर्जी से फण्ड क्रिएट किए जाओ। जो एक्सपेंडीचर होगा उसका कौन लायेबल होगा ? आप किस तरह से एक हैड से पैसा निकाल कर बोर्ड को दे सकते हैं लेकिन दे रहे हैं और इस हिसाब से फोरैस्ट डिपार्टमेंट का पैसा बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है। आज वन कट रहे हैं इसका पैसा दे रहे हैं, तन्खाहें दी जा रही हैं। आप यह बतायें किस रूल के तहत यह फण्ड दूसरे हैड के तहत चला गया ? इस अकाउंट को ए0जी0 भी चैक नहीं कर सकता। कांस्टीच्यू अन आफ इंडिया के आर्टिकल 149 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के जो फण्डज

हांगे उनको ए0^{जी}0 चैक करेगा, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि ए0^{जी}0 चैक करेगा। ए0^{जी}0 तब चैक अगर रिसीट का पैसा ट्रेजरी की मारफत जमा होगा। (घंटी) अगर ट्रेजरी की मारफत पैसा जमा नहीं होता तो ए0 जी0 चैक नहीं कर सकता। फाईनैस डिपार्टमेंट का तो कोई कंट्रोल रहा ही नहीं और न ही फारेस्ट डिपार्टमेंट का रहा है। चेयरमैन साहब, इस विधेयक के पास होने से कांस्टीच्यू इन का आर्टिकल 149 भी वायलेट होता है। अगली बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट इस बिल को पास करना ही चाहती है तो पहले प्रेजिडेंट की परमि इन लें क्योंकि प्रेजिडेंट की परमि इन जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट को इसकी पावर्ज नहीं दी गई हैं क्योंकि बोर्ड एक स्टैचुटरी बाडी है। इस प्रकार से इसको जो फण्ड दिया जाएगा वह मिसयूज होगा और इसका मिसयूज रोकने के लिए विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है।

चेयरमैन साहब, इससे अलगा सैक्शन 21 है। आपको मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका खर्चा विधान सभा पास करती है लेकिन इस विधेयक में बोर्ड के खर्च के बारे में और रिसीट के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि यह खर्चा असैम्बली पास करेगी या नहीं। अगर असैम्बली में पास होने के लिए नहीं आता तो यह बोर्ड तो यूनिवर्सिटी की तरह हो गया। जैसे यूनिवर्सिटी को ग्रांट देते हैं, दूसरी कारपोरेट एन्ज को देते हैं उसी तरह इसको भी देनी पड़ेगी। इसमें यह कर दिया है कि

फारैस्ट डिपार्टमेंट को जो पैसा अलाट किया था उसको यूज किया जाए। इसलिए यह विधेयक बिल्कुल ही कांस्टीच्यू इन के खिलाफ हैं, आल इंडिया सर्विसिज एक्ट के खिलाफ है और इंडियन फारैस्ट सर्विस के खिलाफ है। इसमें पैसे के आने का और जाने का कोई प्रोवीजन नहीं है। क्या स्टेट गवर्नमेंट इस के खर्चे को स्टेट असैम्बली से पास करवायेगी ? एक हैड से दूसरे हैड में पैसा निकाल कर कैसे ले जायेगी ? इन चीजों का विधेयक में कोई प्रोवीजन नहीं है इसलिए इसको कंसिडर न किया जाए। इसमें कानूनी अड़चनें हैं और यह सारे डिपार्टमेंट को कांस्टीच्यू इन को और फण्डज की अफैक्ट करता है। इन भाबदों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और रिक्वैस्ट करता हूँ कि इस विधेयक को कंसिडर न किया जाए।

श्री मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मैंने इस विधेयक के आर्डिनैस के लिए डिसएप्रूवल का नोटिस दिया था
(भाोर)

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, इस बिल पर बहस आगे तभी हो सकती है जब सैनी साहब द्वारा उठाये गये मुद्दों पर आपकी या स्पीकर साहब की रूलिंग आ जाये। जब तक आपकी रूलिंग न आ जाए तब तक इस पर डिस्क इन होनी ही नहीं चाहिए। जब यह बिल अल्ट्रावायरस है और इस पर सीरियल औब्जेक्ट इन उठाये गये हैं। इन हालात में इसको सदन में पे टा ही नहीं किया जा सकता और जब तक पे टा

नहीं होगा इस पर बहस नहीं हो सकती। पहले आप इस पर अपनी रूलिंग दें। (व्यवधान)

Mr. Chairman: It is not the duty of the Speaker to give a ruling on the legality/constitutionality of the Bill. You or the other aggrieved party can go to Court. There is not such power with the Speaker.

I would like to invited your attention to page 463 of the Book “Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakhder” wherein it has been stated-

“It is accepted practice in Lok Sabha that the Speaker does not give any ruling on a point of order raised whether a Bill is constitutionality within the legislative competence of the House or not. The House also does not take a decision on the specific question of vires of a Bill. It is open to members to express their views in the matter and to address arguments for and against the vires for the consideration of the House. The Members take this aspect into account voting on the motion for leave to introduce the Bill or on the subsequent motions on the Bill.”

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, कानूनी तौर पर इस बिल को कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

Mr. Chairman: You have already said you point and I have also given my ruling on that. Please sit down.

श्रीमती चन्द्रावती: यह रूल नहीं है यह तो आपने कोटे इन पढी हैं You have not given any ruling. We want clear ruling.

Mr. Chairman: I have already given my ruling. You can challenge it in the court afterwards.

Sh. Ram Bilas Sharma: I.F.S. services are included in this Bill.

चेयरमैन साहब, यह सदन इंडियन फारैस्ट सर्विसिज के बारे में कानून नहीं बना सकता और अगर बना दिया तो यह इंडियन फारैस्ट सर्विसिज को इफैक्ट करेगा। It is not under the jurisdiction of this Hon'ble House. इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस बिल को कंसिडर न किया जाए। इसमें कानूनी लाकूना है और इसकी इन्ट्रोडक् इन के लिए सदन में औब्जैक् इन उठाए गये हैं। Parliament is competent to enact an Act in this matter with the permission of the President of India. जो लोग यह विधेयक लेकर आये हैं भायद उनको और उनके अधिकारियों की इसके बारे में कम जानकारी है। एक साथी को एडजस्ट करने के लिए फारैस्ट बोर्ड बना दिया है और इस संबंध में जो विधेयक पास करवाना चाहते हैं यह इस सदन की जुरिसडिक् इन में नहीं आता।

चौधरी साहब सिंह सैनी: चेयरमैन साहब, मैंने पहले आर्टिकल 254 रैफर किया था लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सका। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, इसमें लिखा है —

“254. Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by Legislatures of States-(1). If any provision of a law made by the Legislatures of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by the Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.”

Mr. Chairman: You have made out your points, which has been replied to. Now, please take your seat.

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारू): चेयरमैन साहब, मेरे लायक दोस्त सैनी साहब ने इस विधेयक को कंसिडर न करने के बारे में जो नुक्ते बताए हैं, मैं इन नुक्तों में अधिक न जाता हुआ मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है, इस पर पुनः विचार कर लें, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी से कई पेचीदगियां पैदा हो जाती है। इसलिए अच्छे ढंग से और अच्छी प्रकार से सोचने के लिए इसे सिलैक्ट कमेटी से भेज दें वह कमेटी इस पर अच्छी प्रकार विचार कर लेगी और गौर से देख लेगी। अगर हम

कोर्ट में जायेंगे तो भी ठीक नहीं। ऐसी कोई आपत्ति नहीं आयी हुई है। यह जो आपने बोर्ड बनाने के लिए कानून बनाया है, इसके बनाने में कुछ देरी हो जाती है तो कोई आसमान नहीं गिरता है इसलिए मैं आपके जरिए यही कहूंगा कि कांस्टीच्यू इन का सवाल है। हमें अच्छे वर्ग के लोगों से सलाह करनी चाहिए तब इसे यहां लाना चाहिए। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यह कभी पास नहीं करना चाहिए, पहले उन मुद्दों पर विचार कर लें जो कांस्टीच्यू इनली गलत हैं।

Revenue Minister (Ch. Phool Chand): Mr. Chairman, Sir, Mr. Sahab Singh Saini, my friend raised a preliminary objection that this Bill cannot be moved by the State Government. He himself has admitted that this falls under the concurrent list and, as you know, Sir, whichever subject falls under the concurrent list, the State is also fully competent to legislate upon that subject.

चौधरी साहब सिंह सैनी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैंने यह कहा है कि कंकरेंट लिस्ट में एंटरी नम्बर 17ए और 17बी में पहले से ही पार्लियामेंट ने फोरेस्ट के काम को आकुपायी किया हुआ है। इसलिए स्टेट लैजिस्लेचर इस पर अब अनैक्टमेंट नहीं कर सकती और अगर करती है तो पार्लियामेंट के अनैक्टमेंट के रिपगनेंट है और स्टेट लैजिस्लेचर की अनैक्टमेंट वाइड होगी। Parliament will be the supreme.

Ch. Phool Chand: Sir, my submission is that this legislation is not in contravention of any Central Act. It is very well consistent with the Central Act.

As regards the transfer of I.F.S. Officers, your honour very well knows that even the IAS Officers are working under the Boards. There is no hitch and no hurdle in transferring the services of IAM or IFS officers within the State.

He has raised another objection about the fixation of cadre on Board strength and the objection raised etc. Sir, this matter is decided by the Central Government in consultation with the State Government and no such objection has been raised upto now.

He has also raised the point that the funds of the Board have not been thoroughly provided for or there has been no superintendence or control over the funds. I think, he has forgotten to read clause 21, sub clause (5) to which he was referring. Sub clause (5) of clause 21 reads as under:-

“Except as otherwise directed by the State Government

Now the State Government has very well and fully directed that all the funds of the Board shall be deposited in the treasury. All the things have not been mentioned in this bill. Certain rules will also be framed. So the State Government has all the powers. Under those powers the State Government has directed that all the funds of the Board will be deposited in treasury. Hence all the objections raised by my friend, Shri Sahab Singh Saini, are frivolous and baseless and

there is no hitch in the introduction of this Bill. If he has any further objections, I will reply to them.

श्री मंगल सैन (रोहतक): सभापति जी, इस विधेयक के बारे में सदन में चर्चा चल रही है। मेरे लायक दोस्त साहब सिंह सैनी ने बड़ा मौलिक और कांस्टीच्यू इनल प्वायंट उठाया था। चेयरमैन साहब, वजीर साहब ने बिल में कुछ लिखा है और सदन में कुछ फरमाया है ? इन्होंने बिल में लिखा है कि रिजर्व बैंक या कोओप्रेटिव बैंक में पैसा जमा हो सकता है लेकिन अब फरमाते हैं ट्रेजरी में जमा होगा। चेयरमैन साहब, आज के दिन इस फोरेस्ट डिपार्टमेंट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन चौधरी भजन लाल जी दोस्तों के दोस्त हैं वे जिस पर निहाल होते हैं उस पर पूरी तरह से निहाल होते हैं। आम चुनाव के समय जब कई दोस्तों को हाई कमांड से टिकट नहीं मिला तो किसी को चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड बना दिया और किसी को टूरिज्म का चेयरमैन बना दिया। कई लोगों को जनता ने चुनाव के मैदान में हरा दिया, उनमें से जो इनके मित्र थे, उन्हें भी कहीं न कहीं जगह देनी ही थी। चेयरमैन साहब मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी भजन लाल ने एक क्वेश्चन के जवाब में कहा है कि देवेन्द्र भार्मा ने फोरेस्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होते हुए बड़ा ही काम किया है। वे फरमाते हैं कि उन्होंने करोड़ों दरखत लगवा दिये, इतने न उत्तर प्रदेश में लगे हैं और न ही मध्य प्रदेश में लगे हैं। इन्हें देवेन्द्र भार्मा पर बड़ा भारी भरोसा है। वैसे भाई मूल चंद जी बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े फराटे से अंग्रेजी बोलते हैं,

उनकी अंग्रेजी से लोग बड़े प्रभावित होते हैं। 24 मई को राजभवन में भी इन्होंने अंग्रेजी बोली थी, उस टाइम पर भौ छक्क छुडा दिय थे और आज हमारे भी छक्कु छुडाने की कोर्ि । । कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, चौधरी भजन लाल जी का फूल चन्द जी पर इतना भरोसा नहीं है जितना देवेन्द्र भार्मा पर है। जब देवेन्द्र भार्मा वजीर थे उस टाइम पर फोरेस्ट डिवैल्पमेंअ की आव यकता महसूस नहीं हुई। मैं चौधरी भजन लाल जी से जानना चाहता हूं कि चौधरी मूल चन्द के आने पर क्यों जरूरत पडी ? चौधरी फूल चन्द जी आप भी मजबूर हो। आप अपनी जबान खोल नहीं सकते लेकिन हमारी भी अन प्लेजेंट डियूटी है, वह हमें भी प्ररफार्म करनी पडती है। चेयरमैन साहब, पालिटिकल आदमियों को एम्पलाए करने के लिए यह सारा खेल खेला गया है और यह खेल इतनी जल्दी में खेला गया है कि कांस्टीच्यू ान का भी ख्याल नहीं रखा गया। चेयरमैन साहब, आपको पहले बोर्डों के बारे में मालूम ही है और आज थोड़ी देर पहले बिजली बोर्ड पर चर्चा हो रही थी, उस समय अपोजी ान के लोगों ने फ ैक्टस के आधार पर कहा कि बिजली बोर्ड में कितना भारी घपला है, कितनी इररैगुलैरेटीज हैं। जितने भी बोर्ड हैं सभी में घाटा है। यहां हाउस में कह देते हैं कि अगर घाटा हो गया तो क्या हो गया, कुछ तो लोगों की सेवा हुई है। सेवा नहीं हुई बल्कि आम जनता के गाढे पसीने की कमाई से ये आराम करना चाहते हैं। चेयरमैन साहब, फूल चन्द जी ने कह ही दिया कि बोर्ड का पैसा ट्रेजरी में जाया करेगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका हिसाब किताब

कौन रखेगा, उसका आडिट कौन करेगा ? क्या वे घर में ही बैठ कर नीचे ही नीचे कर लेंगे या ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनकर भेजे जाते हैं, वे जनता के गाढे पसीने के एक एक पैसे का हिसाब किताब विधान सभा में खड़े होकर लें। क्या आप हमें इस बात का मौका देंगे ? इस बिल में तो यह प्रावधान किया गया है कि वहीं बजट पास करेंगे और वहीं पर सब कुछ हो जाया करेगा। चेयरमैन साहब, कितनी वार्ड पावर्ज चेयरमैन साहब को दी हुई हैं, यह आप खुद ही देख लें। इसमें यह कहा गया है कि ठेकों पर साईन कौन करेगा। ठेकों पर साईन केवल चेयरमैन करेगा। अगर चेयरमैन साहब वहां पर न हों तो उनका नौमिनी साईन करेगा। बोर्ड उसमें कुछ नहीं कर सकेगा। सारे अधिकार चेयरमैन साहब के पास दे दिये गये हैं। चेयरमैन साहब, यहां पर हमें स्मेल आती है, दुर्गन्ध आती है कि कहीं न कहीं कोई गडबड जरूर है। आप इतने अधिकार क्यों देना चाहते हो ? आप ओपन क्यों नहीं करते ? चेयरमैन साहब, इनका कहना यह है कि हमने जो काम किया है, वह बड़ा सोच समझकर किया है। मेरे लायक दोस्त साहब सिंह सैनी वकील हैं, उन्होंने कुछ नुक्ताचीनी करके इसकी कमियों को समझाने की कोशिश की। मंत्री जी ने यह कहा कि कोई बात नहीं है। कन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या कोई फर्क ही नहीं है ? कन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कोई लैजिस्लेशन कर चुकी हो तो क्या कोई स्टेट असैम्बली भी उसके ऊपर कोई लैजिस्लेशन पास कर सकती है। आप अगर करोगे तो फिर तो यह एक नयी

बात हो जायेगी। हमारे लिए यह एक नयी ज्ञान वृद्धि वाली बात हो जायेगी। चेयरमैन साहब, कायदा यह है कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट भी लैजिस्ले इन पास कर सकती है और पार्लियामेंट भी। पार्लियामेंट का लैजिस्ले इन प्रिवेल करेगा। स्टेट का प्रिवेल नहीं करेगा आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखी है कि साहब, आपने यह क्या गजब कर दिया। उन्होंने आपसे कहा है कि आप फारैस्ट डिपार्टमेंट की सारी प्रौपर्टी बोर्ड को ट्रांसफर कर रहे हो, जो उसको मैनटेन करेगा, कल्टीवेट करेगा और उसमें प्लांटस लगायेगा। रिजर्व फारैस्ट वाली बात भी फिर तो खत्म हो जायेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी एतराज किया है कि आई०एफ०एस० अफसर एक समय में तीन तो डैपुटे इन पर भेजे जा सकते हैं लेकिन नहीं। आप कृपया जरा सदन को वि वास में लीजिये। इस बात पर जरा रोानी डालिये कि इस बारे में क्या हो रहा है और सेंटर का क्या कम्युनिके इन है। अगर उन्होंने आपको कुछ सख्त लफ्जों में कह भी दिया है फिर भी कोई बात नहीं है। हम बुरा नहीं मानेंगे। कई बार आपस में भी झगडा हो जाता है। आपको केन्द्र ने कोई झाड़ डाली है तो भी कोई बात नहीं कहेंगे। अगर सेंटर ने आपको कुछ सख्त लिखा है तो भी इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं है, आपको भार्म महसूस नहीं करनी चाहिये और हाउस को इस बारे में कान्फीडेंस में लेना चाहिये। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इन्होंने बडी विचित्र सी बात इस बिल में की है। अब तो देवेन्द्र भार्मा जी इसके चेयरमैन हैं। अगर उनके बाद कोई ऐसा चेयरमैन

आ गया जो सरकार को राजी न कर सकता हो, मुख्य मंत्री के इतारे पर न चल सकता हो, उनके मुताबिक न चल सकता होक, अब मैं आपको किन भाबदों में कहूं, आप खुद समझदार हैं तो उसी दिन मुख्य मंत्री जी उसको हटा सकते हैं। He can remove him without any rhyme or reason. He can staty there during the pleasure of the State Government चेयरमैन साहब, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बिल में डियूटीज और फंक ांज में एक बडी ही दिलचस्प बात इन्होंने कही है। इस बिल के क्लोज 20 में ये कहते हैं -

“To undertake proper and scientific exploitaion of forest resources of the State of Haryana and if necessary outside it.”

आप क्या करेंगे ? हरियाणा में वन लगाने के अलावा, और कहां पर जाकर यह सर्विस करेगा। कहां सर्विस करने जाया करेगा ? कौन से अदायरे में जाया करेगा ? इस बात का भी जरा स्पष्टीकरण मंत्री महोदय अपना जवाब देते समय कर दें। फिर इसी डयूटीज एण्ड फंक ान्ज आफ दि बोर्ड में आप आगे फरमाते हैं -

“To establish and manage industries based on forest produce”. सरदार लछमन सिंह जी के हक पर भी छापा मार रहे हैं (व्यवधान व भाोर) आप समझे नहीं। मैंने आपके काम के बारे में नहीं कहा, मैं तो इंडस्ट्रीज वाली बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह भी ऐसी इंडस्ट्रीज लगायेंगे जो फारैस्ट प्रोडयूस

पर बेस करती हों। पेपर मिल लगायेंगे या कोई बात और करेंगे, यह भी हमें बता दें। चेयरमैन साहब, भगवान के वास्ते हरियाणा सरकार सरकारी क्षेत्र में कोई और इंडस्ट्री अब न लगाये क्योंकि पहले ही करोड़ों रूपया बरबाद हो रहा है और इनके बस का संभालना नहीं है। ऐसा करके यह एक नयी बीमारी और मोल ले लेंगे। यह एक बात और आगे जोकर फरमाते हैं। फूल चन्द जी आखिर वकील ठहरे। मुझे पता नहीं यह ड्राफ्ट इनसे पूछकर, इनको दिखाकर किसी ने बनाया है या वैसे ही जल्दी में बना दिया गया है। धारा 29 में ये कहते हैं –

“All the officers and employees of the Board shall be deemed to be Forest Officers within the meaning of the Indian Forest Act, 1927 and they shall be competent to exercise the powers of Forest Officers

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair).

1927 का जो एक्ट है, उसमें फारैस्ट आफिसर्ज की जो डियूटीज/फंक् टान्ज और रिस्पॉंसिबिल्टीज हैं, वह दी हुई हैं। यह मोटा सा ग्रंथ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह 1927 का फारैस्ट एक्ट है, फूल चन्द जी जरा इसको देख लें। इसमें चैप्टर 9 पर पैनल्टीज का प्रोसीजर दिया हुआ है बिल में डिटेल में लिखना चाहिए था कि क्या क्या पैनल्टी दी जायेगी और क्या दण्ड दिया जायेगा। इसके अलावा और भी कई बातें ऐसी इसमें लिखी हुई हैं जो क्लीयर नहीं हैं। एक बात मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि आपको तो पता ही है कि कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट

पर लैजिस्ले इन लाने के लिए राष्ट्रपति महोदय की इजाजत लेनी पडती है, क्या इस बारे में हाउस में बिल मूव करने से पहले राष्ट्रपति जी से इजाजत ली गयी है। आपका पता ही है कि उनकी इजाजत के बिना यहां पर ऐसा कोई भी बिल टेक अप नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं एक बात और बड़ी दिलचस्प बताना चाहता हूं। इस बिल की धारा 25(3) में यह लिखा हुआ है कि जो आडिट रिपोर्ट है, वह गवर्नमेंट के पास जाया करेगी। स्पीकर साहब, यह सदन प्रोपर फोरम है जन प्रतिनिधियों का फोरम है, यहां पर यह रिपोर्ट आनी चाहिए। स्पीकर साहब, इन्होंने कितने वाईड अधिकार ले लिए हैं, आप ही देखें। इनके आफिसर्ज कहीं पर भी चले जायेंगे, कहीं पर भी घुस जायेंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी जगह भी ट्रेस पास कर जायेंगे, स्पीकर साहब, इतनी लिबर्टी तो नहीं होनी चाहिए। बोर्ड के किसी एक इन के खिलाफ अगर कोई एग्रीव्ड हो या एग्रीव्ड पार्टी हो, तो उसको रिप्रायत करने के लिए 30 दिन का टाईम दिया गया है और वह इस समय में अपील कर सकेगा। यह प्रोवीजन धारा 34 में किया गया है। स्पीकर साहब, आखिर में इन्होंने चेयरमैन साहब को इतनी पावर्ज दी हैं कि अगर कोई आदमी 30 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं कर सकेगा तो उसके बाद भी चेयरमैन या बोर्ड उसकी अपील को एंटरटेन कर सकेंगे। आप ही देखिए कि गरीब के लिए तो 30 दिन का अपील के लिए टाईम दिया गया है लेकिन बाकियों के लिए यह क्या फरमाते हैं –

“Provided that the Chairman of the Board, as the case may be, may entertain the appeal after the expiry of the period of thirty days, if he or it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time”.

स्पीकर साहब, अपील को सुनने का अधिकार बोर्ड को रहना चाहिए। बोर्ड के पास ही अपील आनी चाहिए। बोर्ड को ही बात सुनने का अधिकार होना चाहिए। किसी एक आदमी को अगर अपील सुनने का अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर पोलिटीक्स फैसले ही होंगे और हर बात का पोलिटीक्स बेस होगा। स्पीकर साहब, पहले आर्डिनैस बनाया गया और फिर बिल बनाया गया ये बहुत हैस्ट में बनाये गये। फोरैस्ट डिपार्टमेंट को वाइंड अप करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पीकर साहब, एक आदमी को राजी करने के लिए, एक आदमी को एम्प्लायमेंट देने के लिये यह सब कुछ किया गया है। स्पीकर साहब, करोड़ों रूपया वर्ल्ड बैंक से आएगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप खत्म करिए।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वर्ल्ड बैंक से करोड़ों रूपया आएगा। जब भी हम कोई बात कहते हैं तो हमारे दोस्तों को नाराजगी होती है, लेकिन प्राइवेटली तो ये भी मानते हैं कि यहां पर मामला सब अच्छा नहीं है, काफी गड़बड़ है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर देवेन्द्र भार्मा इतने होठियाार हैं, इतने काबिल हैं और इतने इन्टरप्रिन्योर हैं तो

उनको पार्टी के काम में लगाया जा सकता है। आपकी पार्टी और ऊपर उठ सकेगी। उनको आफिस आफ प्रॉफिट देना कोई अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब, पहले ही जितने बोर्डज और कार्पोरेटिंज हैं वे घाटे में चल रहे हैं इसलिए सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सरकार का घाटा और बढ़ जाए। स्पीकर साहब, मैं इतना कह कर समाप्त करता हूँ और इसका विरोध करता हूँ।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, आपकी गैरहाजिरी में जब चेयर पर चेयरमैन साहब बैठे थे तो उस वक्त सैनी साहब ने कुछ कांस्टीच्यूशनल मुद्दे उठाए थे। हम चाहते थे कि आप उस पर अपना फैसला दे दें, अपनी ओब्जरवेशन और रूलिंग दे दें। हमारी यह डिमांड है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने उस वक्त अपना फैसला दे दिया था। मैं सुन रहा था।

श्रीमती चन्द्रावती: उन्होंने रूलिंग ओब्जरवेशन नहीं दी थी, उन्होंने पढा था।

श्री अध्यक्ष: मैं कमरे में सुन रहा था। जो चेयरमैन साहब ने कहा मैं उससे इधर से उधर नहीं हो सकता।

श्री प्यारा सिंह (पेहवा): स्पीकर साहब, वन विकास बोर्ड बनाने के बारे में जो बिल हाउस में लाया गया है मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, यह एक नया बोर्ड

बनने जा रहा है। इससे पहले भी कई विभागों के बोर्ड और कार्पोरे ांज बनी हुई हैं।

चौधरी साहब सिंह सैनी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैम्बर साहब कह रहे हैं कि और भी बोर्डज और कार्पोरे ांज बनी हुई हैं माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि यह जो बोर्ड बनाया गया है। यह स्टेच्यूट के तहत बनाया गया है और बाकी जो बोर्डज और कार्पोरे ांज हैं वे डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं। स्टेच्यूट के तहत नहीं। उन बोर्डज पर डिपार्टमेंट का कंट्रोल रहता है लेकिन इस फोरैस्ट डिवेलपमेंट बोर्ड पर फोरैस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं होगा।

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, यह बोर्ड भी सरकार के मातहत होगा सरकार से दूर नहीं रहेगा। स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन ने देवेन्द्र भार्मा के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पहले 46 लाख पेड लगे थे लेकिन भार्मा जी के आने के बाद डेढ करोड पेड एक साल में लगाए गए। स्पीकर साहब, महकमा जंगलात ने पहले कभी भी सायेदार पेड नहीं लगाए थे लेकिन 1980 में जब देवेन्द्र भार्मा के पास यह डिपार्टमेंट आया तो हर जगह जैसे हस्पताल, स्कूल और सडकों पर छायेदार पेड लगाए। श्री भार्मा ने हैड, बहेडा और औक जैसे पेड लगाए और लाखों की तादाद में लगाए जबकि इस प्रकार के पेड महकमा जंगलात पहले नहीं लगाता था। हरियाणा पहला राज्य है जिसने डोलों पर पेड लागए और इसको देखकर दूसरे सूबों ने भी इसी

तरह पेड लगाए। स्पीकर साहब, भारों में बडे बडे गमलों में फूलदार वृक्ष और छायेदार वृक्ष लगाए। इस बोर्ड ने गुरुद्वारों, मसजिदों और मन्दिरों में लाखों पेड लगाए हैं ये पेड बहुत छाया देते हैं। स्पीकर साहब 1982 में छः करोड पेड लगाए गए। हरियाणा पहला प्रदे है जिसने एक साल में छः करोड पेड लगाए हैं। इनमें कुछ पेड ऐसे है जो बंगलौर और दूसरी जगहों से लाए गए हैं। स्पीकर साहब, जितने पेड हरियाणा में लगाए गए हैं उतने पेड तो हिमाचल सरकार और जम्मू का मीर सरकार ने भी नहीं लगाए हैं भी तम का पेड बहुत देर से टिम्बर देता है इसलिए पोपलर के दरख्त तजुरबा के लिए लगाए गए हैं। पोपलर का दरख्त आठ साल में तेरह से अठारह सौ रूपए की आदमनी देता है इसलिए मोडी के नजदीक चार मील की लम्बाई में पोपलर लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पसेटा का पौधा छः माह में आमदनी देने लगता है और यह पौध सफेदा के साये में भी हो जाता है। स्पीकर साहब, मलबेरी का पौधा ऐसा है जो साल में दो बार किसान को आमदनी देता है और यह पौधा बंगलौर से मंगवाया गया है।

श्री रो तन लाल आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर! स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पेडों के बारे में कोई कांफ्रेंस नहीं हो रही है जो वे इस तरह से बोल रहे हैं इनको बिल के बारे में बोलना चाहिए।

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, हाई कोर्ट में केस गया हुआ है वहां पर जाकर वे आर्गुमेंट कर सकी हैं। स्पीकर साहब, अब मैं बताना चाहता हूँ कि यह बोर्ड क्यों बताया गया। स्पीकर साहब, फोरैस्ट डिपार्टमेंट को बैंकों से कर्जा नहीं मिलता था। कार्पोरेट्स इन और बोर्ड बैंकों से आसानी से कर्जा ले सकते हैं। यह बोर्ड अब सरकार से और बैंकों से कर्जा ले सकेगा। कई बैंकों से बातचीत हो चुकी है। यह बोर्ड कर्जा लेकर किसानों को कर्जा देगा। स्पीकर साहब, यह बोर्ड सात सौ रूपया फ्री एकड के हिसाब से किसान को कर्जा देगा। किसान के खेत में मलबरी और मसेटा के पेड लगाए जाएंगे। बोर्ड आठ साल तक किसान को कर्जा देगा और इस प्रकार से आठ साल में 5600 रूपया कर्जा दिया जाएगा और आठ साल के बाद किसान को डेढ लाख की आमदनी होगी। यह बोर्ड हाउसिंग बोर्ड को लकड़ी की बनी हुई चीजें सप्लाई करेगा

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर! स्पीकर साहब, जो कुछ बोला जा रहा है वह हमें भी समझ नहीं आ रहा है और ये रिपोर्टर भी नहीं लिख पा रहे हैं। इस तरह से बोलने पर रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन होगा या मैम्बर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ? (हंसी)

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि यह बोर्ड हाउसिंग बोर्ड को लकड़ी के जिस सामान की जरूरत होगी वह सप्लाई करेगा। यह बोर्ड औफिसिज में कुर्सी, मेज और दूसरा

सामान भी सप्लाई करेगा। स्पीकर साहब, यह बोर्ड और भी बहुत से काम करेगा। मैं इतना ही कहकर खत्म करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ।

डा० ओम प्रकाश भार्मा (जगाधरी): आदरणीय स्पीकर साहब, इस समय हाउस के सामने वन विकास विधेयक 1983 जेरे गौर हैं, मैं इस बारे में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वन साधनों के विकास, वन साधनों के विकास, वन उपज के उपयोग, प्रसंस्करण तथा व्यापार को हाथ में लेने के लिए हरियाणा वन विकास बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने के लिये यह विधेयक यहां पर लाया गया है। इस तजवीज को लेकर सरकार ने यह यह योजना बनायी है कि वन विकास की रफतार की ओर तेज किया जाए। अभी अभी मेरे एक भाई ने बोलते हुए कहा कि यह जो वन विभाग है, इसको खत्म किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है और न ही कोई बात दिखायी ही दे रही है। स्पीकर साहब, इसके ऐमज एण्ड आबजैक्ट्स में यह लिखा है कि –

“In conformity with the new national policy, the State Government proposed to undertake a very ambitious programme for the development of Forest resources. This calls for a substantial step up of investment in the forestry sector. Past experience has shown that the present administrative arrangement needs a drastic change if the new massive programme is to be implemented on priority. For the constitution of an alternative and effective agency for the

implementation of the massive programme, the State Government decided to constitute the Haryana Forest Development Ordinance, 1982 was promulgated. It is now proposed to replace this ordinance by an act.”

इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिससे कि पार्लियामेंट के अंदर बनाये हुए कानूनों की खिलाफबर्जी की गई हों या हमारी सरकार इसके जरिए कोई ऐसा कानून बनाने जा रही हो जो कि पार्लियामेंट के कानून से कंट्राडिक्ट करता हो। ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। एक बात को मैं मानता हूँ जो कि डाक्टर मंगल सैन जी ने कही है कि हरियाणा सरकार की जितनी भी कार्पोरेटिंग हैं, वे सभी घाटे में चल रही हैं, उसकी इसकी बात में काफी वजन है। (अपोजी उन की तरफ से तालियां) स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के प्रोग्राम्ज के तहत जो हमारा निगाना है, वह यह है कि हमें अपने इस देश में समाजवाद मुहैया करना चाहिए और हम अपने इस निगाने की तरफ बढ भी रहे हैं। स्पीकर साहब, मेरे एक साथी

मास्टर रिाव प्रसाद: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अपने किसी रिातेदार को किसी बोर्ड का चेयरमैन लगा देना क्या यही समाजवाद आप इस देश को देने जा रहे हो। (गोर एवं व्यवधान) देवेन्द्र भार्मा को चेयरमैन लगा दिया है।

डा० ओम प्रकाश भार्मा: स्पीकर साहब, मैं यह बात अब य मानता हूँ कि मेरी बहन कहीं उनके ताऊ चाचे की फैमिली

में बयाही हुई है। मेरी रि तेदारी जरूर है, मैं मुकरता नहीं लेकिन मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि जितनी देर वे मिनिस्टर रहे, मैं उनके दफ्तर में कभी नहीं गया और न ही कभी मैंने उनको किसी काम के लिए ही कहा। (घण्टी) स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मेरी पार्टी का प्रोग्राम है कि इस दे 1 में पूर्णरूप से समाजवाद लाया जाए और हम इस समाजवाद के प्रोग्राम की तरफ धीरे धीरे पग बढ़ा रहे हैं। हमारे इस पिछड़े हुए प्रांत में जो आज तक तरक्की के काम किये गये हैं उससे यह साबित होता है कि जो हमारी पार्टी के प्रोग्राम्ज हैं, वे कुछ वेट अव य रखते हैं लोगों ने जो आ गाएं हमसे रखी हुई हैं, हम उन आ गाओं को पूरा कर रहे हैं। मगर अपोजी इन पार्टीज वालों को यह डर है कि अगर कहीं इस सरकार के, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्ज कामयाब हो गये तो यह सरकार आगे भी प्रगति के पथ पर बढ़ती रहेगी। इस तरह से इन अपोजी इन वालों की पूछताछ खत्म हो जाएगी और लोगों के दिलों में भी इन लोगों के प्रति घृणा ही घृणा दिखायी देगी। भायद इन बातों को ध्यान में रखकर ये लोग यहां भाोर मचाते हैं और उल्टी सीधी बातें कहते हैं वरना इनको पब्लिक में जाकर कोई नहीं पूछेगा। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अगर इनका प्रोग्राम कामयाब हो गया तो यहां पर आंध्र प्रदेश 1 और कर्नाटक जैसा ही हाल होगा।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा० ओम प्रकाश भार्मा: स्पीकर साहब, 1977 में कांग्रेस पार्टी को सारे नार्दर्न जोन में टिकट मिल गई, केवल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ही कांग्रेस के हाथों रहे। लेकिन स्पीकर साहब, आपने देखा होगा कि जब इन लोगों का राज आया तो अठ्ठाई साल के अंदर अंदर ही इन भाईयों को क्या हाल हुआ और फिर उसके बाद 1980 में हम बरसरे इकतदार आये और बड़ी ही भान से आये। अब ये भाई बुरी तरह से पजल हो रहे हैं कि अगर यहां पर समाजवाद पूरी तरह से छा गया तो हमारा क्या हाल होगा। इन्हें तो स्पीकर साहब, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये लोग दोबारा मैम्बर बन कर इस सदन में नहीं आ सकेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

आवाजें: आपका भी क्या हाल होगा, आप स्वयं भी नहीं आओगे, टिकट नहीं मिलेगी।

13.00 बजे।

डा० ओम प्रकाश भार्मा: मैं तो इस सदन में तीन बार चुनकर आ चुका हूँ। अगर हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी एम०एल०ए० बन कर यहां पर नहीं आएगा और जनता में भागे भागे फिरेंगे। स्पीकर साहब, मैंने कहा था कि डा० मंगल सैन की बात में वजन है। उन्होंने कहा कि हमारी कार्पोरेट इन टोटल फैल्योर रही है और यह एक घाटे का सौदा है। स्पीकर साहब, जहां तक पब्लिक

अंडरटेकिंगज का सवाल है इनको सोची समझी स्कीम के तहत फेल किया जा रहा है। विरोधी भाईयों का यह प्रोग्राम है कि अगर ये कामयाब हो गई तो प्राइवेट सैक्टर वाले फेल हो जाएंगे। डा0 मंगल सैन प्राइवेट सैक्टर के पूंजीपतियों के नुमांयदा है इसलिये ये पब्लिक अंडरटेकिंगज को फल करवाना चाहते हैं।

श्री राम बिला 1 भार्मा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे बुजुर्ग साथी डा0 ओम प्रका 1 जी ने कहा कि डा0 मंगल सैन पूंजीपतियों की नुमायंदगी करते हैं। यह बेसलैस है और इररैलवैंट है। इसलिये ये भाब्द एक्सपंज किये जाएं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपया बैठें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

श्री मंगल सैन द्वारा—

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। इनको भ्रम था कि हम पूंजीपतियों के रिप्रजेंटेटिव हैं। स्पीकर साहब, डा0 ओम प्रका 1 जिस इलाके में रहते हैं वहां पर इनके दोस्त देखे जाएं, वे सारे पूंजीपति हैं। उन्होंने चुनाव में इनकी मदद की। हम पर तो ये खामखाह इलजाम लगाते हैं। ये मुख्य मंत्री को निगाह में हीरो बनना चाहते हैं। (गोर)

दि हरियाणा फौरैस्ट डिवैल्पमेंट बिल 1983 (पुनरारम्भ)

डा० ओम प्रकाश भार्मा: स्पीकर साहब, प्राइवेट सैक्टर में जो अदारे हैं उनको पूंजीपति चला रहे हैं और पब्लिक अंडरटेकिंगज को सरकार चला रही है। पूंजीपतियों की यह सोची समझी स्कीम है कि सरकार की अंडरटेकिंगज को फेल कर दिया जाये। इसके लिये उन्होंने कुछ क्लबज बनाये हुए हैं। वहां पर वे हमारे अफसरों को इन्वाइट करते हैं और उनको दावतें देते हैं। वहां पर कुछ ऐसे तरीके बरते जाते हैं कि ये लोग उनको अपने कौन्फीडेंस में ले लेते हैं। (गौर) यह मैं आपको हंडर्ड परसेंट फैक्ट बता रहा हूं। उस स्कीम के तहत हमारी कार्पोरेट इंज घाटे में चल रही है वरना सिरी कार्पोरेट इन का घाटे में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह बात मैं क्लियर कर रहा हूं कि कुछ क्लब बना रखे हैं वहां बैठ कर यह सोची समझी स्कीम के तहत काम करते हैं। इन भावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और हाउस से तथा खास तौर से अपने विपक्ष के भाईयों को रिकवैस्ट करता हूं कि यह हरियाणा के और पब्लिक के इन्ट्रैस्ट में है, इसको पास किया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, जब से इस बोर्ड को कांस्टीच्यूट करने का नोटिफिकेशन हुआ तब से ही इस पर बहुत कन्ट्रोवर्सी चल रही है। मैं कहती हूं कि यह बोर्ड बना कर आप जिसका फायदा करना चाहते हो कर दो लेकिन अफसरों को क्यों विक्टेमाइज किया गया है। जो सी०सी०एफ० चौधरी

गुरनाम सिंह थे उनको आपने विकटेमाइज किया हुआ है। इस बारे में मैं जो बातें गवर्नर एड्रेस पर या बजट पर बोलते हुए कह चुकी हूँ। मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। इस बोर्ड के बनने से लाखों रुपये के प्लास्टिक के बैग खरीदे गये और झूठी हाजरियां लगाई जा रही हैं। अभी तो इस बोर्ड की स्थाना का विधयेक भी पास नहीं हुआ है, उससे पहले ही क्रॉफ़ान भुरू हो गई है। जब यह बोर्ड का बिल पास हो जाएगा तो और खुले हाथ हो जाएंगे। सो गल फोरैस्टरी के अंदर आपके पास करोड़ों रुपया आएगा, उसका मिस यूज होगा, मिस हैडलिंग होगी और उसकी ऐम्बैजलमेंट होगी। इसलिये यह बोर्ड नहीं बनना चाहिए। आपने तो अभी से ईमारनदार अफसरों को विकटेमाइज करना भुरू कर रखा है। ऐसा मत करें यह अच्छी रिवायात नहीं है। इससे नुकसान आपको भी होने वाला है। जैसे भाई बंसी लाल के साथ
 न रहे उसी रतह से भजन लाल जी
 आप के साथ भी नहीं रहेंगे। (गोर) अपने दोस्तों को खुश करने के लिये अफसरों का विकटेमाइज मत करो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष: अफसरों के नाम रिकार्ड न किये जाएं।

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द): स्पीकर साहब, अभी सदन में फोरैस्ट डिवैल्पमेंट बिल पर चर्चा चल रही थी। माननीय सदस्यों ने कई आपत्तियां उठाई सब से पहले भाई साहब सिंह सैनी ने आपत्ति उठाई कि यह बिल पे पास नहीं किया जा सकता।

उनकी बात का तो मैंने चेयरमैन साहब के सामने जवाब दे दिया था। उसके बाद सदन के पुराने सम्मानित सदस्य डा० मंगल सैन ने अपनी कलाकारी से बिल के कुछ प्रावधानों का जिक्र किया। जो तो क्रिटिसाइज करने वाली बात थी वह तो उन्होंने सदन के सामने रख दी लेकिन जो उसका जवाब देने वाली कलाज थी उसको छिपा गये। पहले उन्होंने कहा कि भारत सरकार की आरे से सरकार को डांट पडी है और फिर कहा कि यह बिल भारत सरकार के एक्ट की कंट्राडिक्शन में पे जा किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को कोई डांट नहीं पडी है। इन्होंने जो मुद्दे यहां पर उठाये मैं सबका जवाब देने की तैयारी में हूं लेकिन चूंकि यह मामला सब जूडिस है इसलिये मैं डिटेल् में जाना ठीक नहीं समझता।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जब एक मामला सबजूडिस है तो फिर यह सरकार बिल क्यों पास करवा रही है ?

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो मामला कोर्ट में है वह एग्जैक्टिव आर्डर के खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ कोई मामला कोर्ट में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक बात डा० साहब ने यह कहीं कि चुनाव में हारने वाले व्यक्ति को इस वन विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। डा० साहब, बहुत पुराने लैजिस्लेटर हैं वे खुद जानते हैं कि जब 1977 में कांग्रेस

चुनाव हार गई थी तो उस समय सारे के सारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तोड़ दिए गए थे, सारे बोर्ड तोड़ दिए गए थे और पता नहीं इन्होंने चुनाव हारने वाले कितने व्यक्तियों को और कई दूसरे आदमियों को चेयरमैन लगा दिया था। मैं डा० साहब की यह बात ठीक नहीं समझता कि चुनाव में हारने वाले व्यक्ति को बोर्ड का चेयरमैन क्यों लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बोर्ड का चेयरमैन लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा डा० साहब ने एक मामला यह उठाया है कि वन विकास बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं किया गया है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में इस बिल के अंदर लिखा हुआ है भायद डा० साहब उसे ठीक से पढ़ना भूल गए। जहाँ तक अकाउंटस का मैटर है उसको चैक करने के लिए और आडिट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंटस किसी भी आदमी को अथोराइज कर सकती है। इसके अलावा डा० साहब ने यह कहा कि इस बिल में सैक्रेटरी की सर्विस के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि उसकी क्या क्या सर्विस कंडी ांज होंगी ? अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि बिल में सारी चीजों का प्रावधान नहीं किया जाता। बिल पास होने के बाद रूलज बनते हैं और रूलज के तहत सर्विस की कंडी ांज लिखी जाती हैं। इसके अलावा डा० साहब ने एक बात यह भी कही कि ठेके देने की पावर चेयरमैन को दे दी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वन विकास बोर्ड के चेयरमैन को ठेके देने की पावर के बारे में इस बिल के अंदर

कोई धारा नहीं है। डा० साहब ने कनकरंट लिस्ट के बारे में कहा। मैंने इस बारे में पहले भी जवाब दिया था कि स्टेट ऐसा कोई एक्ट नहीं बना सकती जो केन्द्र के एक्ट के खिलाफ हो। मैं अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसे बोर्ड के बारे में आज तक कोई एक्ट नहीं बनाया है। कनकरंट लिस्ट में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को पूरा अधिकार है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि वन विकास बोर्ड को 13 टैरीटोरियल डिवीजन ट्रांसफर किए हैं, उनमें जो सैक्रेटरी तथा असिस्टेंट कंजर्वेटर से लेकर चीफ कंजर्वेटर तक लगे हुए थे उन आफिसर्स को इस बिल की सैक्शन 14 और 29 के अनुसार बोर्ड के आफिसर बनाया गया है। उनके केडर को चेंज किया गया है। इंडियन फोरैस्ट फिक्सेड ऑफ केडर, रेगुलेटिड 1966 के अनुसार आई०एफ०एस० आफिसर्स का केडर चेंज नहीं किया जा सकता। यदि उन आफिसर्स को वन विकास बोर्ड में आन डैपूटेड माना जाता है तो उन आफिसर्स की इंडियन फोरैस्ट एक्ट के रूलज के अनुसार कनसेंट लेना आवश्यक है जबकि उन आफिसर्स की कोई कनसेंट नहीं ली गई।

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आई०एफ०एस० आफिसर्स जिनकी हम सबसे ऊंची सेवा समझते हैं। उनको केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों

में कई बोर्डों के अंदर काम करने के लिए लगाया जाता है। यह कोई पाबंदी नहीं है कि उनको वन विकास बोर्ड में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री साहब सिंह सैनी ने केडर के बारे में कहा कि आई०एफ०एस० आफिसर्स का केडर चेंज हो गया है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि केडर की स्ट्रेंथ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर तथा करती हैं कि कितनी स्ट्रेंथ ट्रांसफर कहां कहां होगी इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कनकरंट लिस्ट के बारे में बता रहा था। हमने जो बिल पेश किया है या हम जो कानून बनाने जा रहे हैं। यह हम केन्द्रीय सरकार के किसी विधेयक के खिलाफ या कंट्राडिक्टरी में पास करने नहीं जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के जो पहले रूलज, एक्ट और रेगूलेटिज बने हुए हैं उन्हीं के तहत, उन्हीं को सप्लीमेंट करने के लिए और उन्हीं की और ज्यादा सहायता करने के लिये यह वन विकास विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा यह कहा गया कि इन्होंने जनरल ट्रांसफर कर दी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आप बिल को ठीक से पढ़ना भूल गए। इस बिल की धारा 26 में लिखा है कि फार दि यूज एंड मैनेजमेंट बाई दि बोर्ड” हमने उनकी ओर रिप ट्रांसफर नहीं की है। That will vest in the State Government and the whole control will remain under the supervision of the State Government.

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के मुताबिक दो

किस्म की क्वालिफाइड और अन क्वालिफाइड ट्रांसफर हो सकती है। इस विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं है कि कौन सी ट्रांसफर की गई है ? कोई भी स्टेट लैजिस्लेचर अन क्वालिफाइड ट्रांसफर नहीं कर सकती जो इस विधेयक में की गई हैं। (व्यवधान)

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, डा० साहब ने एक बात यह भी कही कि इस बिल में ऐसा प्रबंध कर दिया गया है कि अब कोई व्यक्ति विशेष वन विकास बोर्ड का चेयरमैन है, कल कोई दूसरा व्यक्ति चेयरमैन होगा, उसको हटाया भी जा सकता है। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान है कि सरकार का इस बोर्ड पर कंट्रोल रह सकता है। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि सिर्फ चेयरमैन को नहीं बल्कि बोर्ड को भी सुपरसीड किया जा सकता है, अगर उसमें राज्य सरकार कोई कमी महसूस करें। बोर्ड पर सरकार का पूरा कंट्रोल तभी हो सकेगा जब राज्य सरकार को उस बोर्ड के कार्य देखने का और उसको सजा देने का अधिकार होगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि किसी भी कान्ट्रैक्ट पर चेयरमैन साइन करेगा या वह किसी भी आफिसर को साइन करने के लिए अथोराइज करेगा। मैंने यह कहा था कि यह फैसला बोर्ड को करना चाहिए। इस बिल की सैक्शन 18 में लिखा है कि —

“Every contract shall be made in the name of the Board and shall be signed in the name of or on behalf of the

Board by the Chairman or such other officer of the Board as may be authorised by him.”

Ch. Phool Chand: In the name of Board, means that every thing is being done for and on behalf of the Board and the Board has full control and supervision on that act. अध्यक्ष महोदय, डा० साहब तो बहुत सुलझे हुए और पुराने व्यक्ति हैं। वे समझते होंगे कि कोई न कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक भोयर अर्ज करना चाहता हूँ।

न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है,

घुट कर मर जाएं यह मर्जी मेरे सैय्याद की है।

चौधरी फूल चन्द: ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बिल की धारा 20 का भी जिक्र किया कि ऐसा कौन सा काम है जो बोर्ड राज्य से बाहर करेगा ? आप इस बिल की धारा 20 पढ़ लें और फिर सब क्लोज बी पढ़ लें उसमें लिखा है -

“To market the various products both raw and refined goods; inside and outside the State of Haryana”.

That specific job and specific work has been mentioned in the bill itself. इसके अलावा इन्होंने एक बात यह कही कि जो आई०एफ०एस० आफिसर इस वन विकास बोर्ड में जाएगा वह पुलिस की पावर्ज कैसे ले सकता है ? अध्यक्ष महोदय,

मैं इनको बताना चाहूंगा कि इंडियन फोरैस्ट एक्ट की सैक्शन 2 की सब क्लॉज 2 में any person लिखा हुआ है but we have specifically mentioned Forest officer, because any person can be a peon, a chowkidar or any body else from a village. Therefore, we have mentioned Forest officer. हम तो आफिसर की ये पावर दे रहे हैं इसके अलावा डा० साहब ने एक बात यह कही कि इस बिल की सैक्शन 34 में अपील की पावर चेयरमैन को दे दी। अगर डा० साहब सैक्शन 34 की सब क्लॉज ए और बी को पढ़ें तो उसमें लिखा है –

(a) to the Chairman when the order is made by any officer of the Board; and

(b) to the Board when the order is made by the Chairman”.

इन्होंने यह भी कहा है कि बोर्ड के चेयरमैन की 30 दिन की मियाद बढ़ाने का अधिकार क्यों दे दिया ? अध्यक्ष महोदय, डा० साहब खुद जानते हैं कि और मामलों में भी मियाद बढ़ाने का हमें अधिकार है इस बिल के बारे में जितने भी एतराज उठाए गए हैं वे सब निराधार हैं वन विकास का बड़ा भारी मान हरियाणा में हुआ है। हमारे देश के मानचित्र में हरियाणा का नाम है और हम विकास की ओर अग्रसर हुए हैं, यह भी एक कदम है कि हम वन विकास की ओर बढ़ते जाएं। इन भावों के साथ मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि—

यह सदन हरियाणा फोरैस्ट डिवैल्पमेंट आर्डिनैस 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं0 4 आफ 1982) को डिसएप्रूव करता है

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि —

दि हरियाणा फोरैस्ट डिवैल्पमेंट बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

सब क्लोज (2) आफ क्लोज 1

चौधरी रोान लाल आर्य (छछरौली): स्पीकर साहब, सरकार फोरैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड के लिए एक्ट बनाने जा रही है। जो इस समय बिल हाउस के सामने पे 1 है, वह फोरैस्ट डिपार्टमेंट क स्थान लेगा। एक्ट के अनुसार सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे सरकार का कोई महकमा किसी बोर्ड में परिवर्तित हो सके। जिस ढंग से यह सरकार काम कर रही है उस तरह से तो कल को ये पुलिस के लिए भी कोई अलग से बोर्ड बना देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप सब क्लोज 2 पर ही बोलें

चौधरी रोान लाला आर्य: स्पीकर साहब, इस बिल में जितनी भी क्लोजें हैं वे सभी की सभी गुमराह करने वाली हैं। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है —

कि सब क्लोज 2 आफ क्लोज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लोज 2

श्री अध्यक्ष— प्र न है—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लोज 3

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, सदन के सामने जो विधेयक है और जो कानून का रूप लेने जा रहा है, इसके स्टेटमेंट आफ औब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्ज पर मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहले मेरे मित्रों ने इसमें यह कहा है कि It is in conformity with the new national policy but they could not describe the nation policy. They could not add the national policy with this. Next they have said that the State

Government proposed to undertake a very ambitious programme for the development of Forest resources and this calls for a substantial step up of investment in the forestry sector. इससे यह होगा कि जिन औफिसर्ज के कारण हरियाणा में वनों का विकास हुआ था अब उनका उत्साह ठंडा पड़ जायेगा। दूसरी यह समस्या होगी कि फोरेस्ट में गार्डज से लेकर औफिसर्ज तक किसके प्रति जिम्मेवार होंगे। आया वे चेयरमैन के नीचे रह कर कोई काम करेंगे या फोरेस्ट मिनिस्टर के नीचे रह कर काम करेंगे। इसी समस्या के कारण अब वनों का विकास रुकेगा। अब ये कहते हैं कि नेशनल प्रोग्राम के तहत हम यह बोर्ड बनाने जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इण्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 में बना था। क्या अब से पहले इसकी इन्हें जरूरत नहीं पड़ी, अभी इनको क्या आवश्यकता पड़ी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सैशन से कुछ समय पहले यह सरकार हरियाणा फोरेस्ट डिवेलपमेंट बोर्ड का आर्डिनेंस लेकर आयी थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब सैशन का समय नजदीक था तो इनको यह अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। सरकार यह अध्यादेश इसलिए लेकर आई थी कि भायद सैशन में इस बिल को पास करवाने में कोई खतरा न हो जायें। सरकार जो बिल पास कराने जा रही है उससे सरकार की कोई बैनिफिट होने वाला नहीं है। जिस समय यह विधेयक पेश किया जा रहा था, उस समय भी हमारी तरफ से एतराज आया था कि

इसे पे 1 न किया जाये। आई0एफ0एस0 आफिसर्ज के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: ये सारी बातें हो चुकी हैं, आप और कोई बात हो तो वह कहिए।

श्री रामबिलास भार्मा: आप कहते हैं तो मैं इस संबंध में नहीं कहता। स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब पार्लियामेंट ने पहले ही फोरेस्ट के संबंध में कानून बनाया हुआ है तो इनको अब क्या जरूरत पड गई ? स्पीकर साहब, अभी भी समय है कि इस बिल को पास न किया जाये और वापस ले लिया जाये। इतनी बातें कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 4 से 38

श्री अध्यक्ष: प्र न है —

कि क्लजिज 4 से 38 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लज 1 आफ क्लज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न है -

कि सब क्लोज 1 आफ क्लोज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है-

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हों

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है -

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी मूलचन्द): मैं प्रस्ताव करता हूँ -

कि बिल पास किया जायें

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है-

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

(2) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमेंट) बिल

1983

श्री अध्यक्ष: मुझे डा० मंगल सैन, एम०एल०ए० की ओर से महर्षि यूनिवर्सिटी (अमैंडमेंट) आर्डिनैस 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 5 आफ 1982) की डिसएप्रूवल का नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो डिसएप्रूवल के नोटिस पर और बिल की कंसिड्रे इन मो इन पर इकट्ठा विचार कर लिया जाये। डिस्क इन के बाद इनके ऊपर मो इंज पर अलग अलग मतदान होगा।

आवाजें: ठी है जी।

श्री अध्यक्ष: अब डा० मंगल सैन अपनी मो जान मूव करें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) आर्डिनैस 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 5 आफर 1982) को डिसएपूव करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) आर्डिनैस 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 5 आफर 1982) को डिसएपूव करता है।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि— दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि —

दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

डा० भीम सिंह दाहिया (रोहट): स्पीकर साहब, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 1983 सदन में आया है, इसमें कई अच्छी बातें भी हैं जो औरिजिनल एक्ट 1975 में नहीं

थी। ये बातें स्वभाव करने के लायक हैं, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई हैं। 1975 में अनफार्चुनेटली इसको अमेंड कर दिया था इसलिए इसमें अब जो त्रुटियां नजर आती हैं उनके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सदन का ध्यान क्लोज 8 की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिसमें आफिसर्ज आफ दि यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में चांसलर और वाईस चांसलर के बाद नुं 3 पर डीन आफ फैकल्टीज दिया हुआ है। इस तरह इन्होंने डीन आफ फैकल्टीज को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये इकट्ठे होने चाहिए। एक डीन ऊपर लिख दिया है और दो डीन नीचे अलग कर दिये गये हैं। यह गलत बात है। जो औरिजिनल एक्ट है उसमें डीन आफ कालेज ऊपर था और नं 2 यानी वाईस चांसलर के बाद आता था। डीन्ज के बीच में और कई आफिसर आ गये हैं ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए मेरी गुजारि है कि नं 8 और 9 पर जो डीन हैं ये नं 2 के बाद आने चाहिए। यह मेरा सुझाव है, उम्मीद है आप इसको स्वीकार करेंगे।

इसके बाद सैक्शन 9 में वाईस चांसलर की पार्वज आती है। इसमें एक प्रोवीजन उनकी टर्मज के बारे में है और इस प्रोवीजन के मुताबिक टर्मज खत्म होने के बाद भी वह 6 महीने वाईस चांसलर रह सकते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से एक अमेंडमेंट आई हुई

है और हमारा अंदाजा है कि इस अमेंडमेंट को अगर मंत्री महोदय मान लेंगे तो अच्छी बात है।

स्पीकर साहब अब मैं 9ए (5) के बारे में कहूंगा। इसके तहत वाईस चांसलर को एमरजेंसी पावर्ज दी हुई है। यह बड़ी खतरनाक क्लोज है इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इस को चेक करने की जरूरत है और इसमें प्रोवाइजों रखने की जरूरत है। कई ट्रेजरी बेंचिज के भाईयों से आज मेरी बात हुई थी। उनका ख्याल था कि चूंकि प्रैजेंट वाईस चांसलर से अगर हम खुश नहीं हैं, वह गलतियां करता है तो कोई बात नहीं कल को कोई दूसरा अच्छा वाईस चांसलर आयेगा तो अच्छी बातें हो सकेंगी, ऐसी बात नहीं है। इस क्लोज में कई लूपहोलज हैं। इसमें वाईस चांसलर की पावर्ज का मिसयूज हुआ है, अब्यूज हुआ है। केवल महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में ही नहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मिसयूज हुआ है। अगर आप इन्वैस्टिगेशन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों यूनिवर्सिटीज एमरजेंसी पावर्ज पर ही चल रही हैं एक आदमी एक्ट को एक तरफ रख कर जो मर्जी करता रहे। इसके बारे में मैंने अमेंडमेंट भी मूव की है और मैं सदन से उम्मीद करता हूँ कि डिस्पैनेट होकर इस अमेंडमेंट को कंसिडर करें और एक्सैप्ट करें।

अब मैं सैक्शन 15 पर, जिसमें में स्टैच्यूट्स के बारे में जिक्र है, बोलना चाहता हूँ। स्टैच्यूट्स कैसे बनाये जाते हैं, कैसे अमेंड होते हैं औरिजनल एक्ट 1975 में बड़ी अच्छी बात थी। सभी

यूनिवर्सिटीज के एक्टस में ऐसा है कि जो छोटी बौडी है वह प्रपोजल बनाती हैं और उस प्रपोजल को ऊंची बौडी कंसिडर कर के पास बरती है और फाइनल एप्रूवल के लिए वाइस चांसलर के पास आ जाती है, तब प्रपोजल एप्रूव होती है। अगर ऐसा न हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है और न ही इसकी कोई सैंक्टिटी रहती है क्योंकि छोटी बौडी किसी वक्त भी इसको अमेंड कर सकती है। आज महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी का इतिहास देखें, एक साल में सारे एक्ट चेंज हो जाते हैं, विधान सभा में नहीं आते। यह रूल ऐसा बना दिया है जिसके तहत वहीं बैठे बैठे जिस तरीके से चाहें, बदल लें। अगर कांस्टीच्यू इन आफ इंडिया को दस पांच आदमियों को बदलने की पावर्ज दे दी जाए तो एक साल के अंदर अंदर इसकी कायाकल्प हो जायेगी। इसके बारे में मेरा कहना यही है कि मैंने जो अमेंडमेंट दी है इसको आप कंसिडर करके मान लें।

इसके बाद डिसेंबर में स्टैच्यूटस 1 एंड 5 पर जिसमें टीचर्ज की सीनियोरिटी की बात है, के बारे में कहना चाहूंगा। वाइस चांसलर जो डिफ्रैंट बाडीज में टीचर्ज को नौमिनेट करेगा, उनकी सीनियोरिटी के मसले पर वाइस चांसलर का डिसेजन फाइनल होगा क्योंकि नौमिनेटिव अथोरिटी वाइस चांसलर है। अगर नौमिनेटिव अथोरिटी से कोई गलती हो जाए तो उसकी अपील उनके पास कभी नहीं जाती और ऐसा तो भायद ला में भी नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह पावर चांसलर के पास

जानी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है या कोई डिसप्यूट अराईज हो जाता है तो अपील वाईस चांसलर की बजाये चांसलर के पास फाइनल डिस्सिजन के लिए जानी चाहिए।

इसके बाद आता है स्टैच्यूटस 9(9) जिसमें टीचर्ज की रिप्रजेंटेशन की बात है। इस पर दो तीन पेजिज हैं, मैं इनको इकट्ठा ले लेता हूँ। इसमें मेरा कहना यह है कि जो कालेज टीचर्ज हैं उनकी रिप्रजेंटेशन कम है अगर 100 या 150 मैम्बरज की बौडी में 8 ही मैम्बर प्रतिनिध हों तो ठीक नहीं क्योंकि जिनकी संख्या अढाई हजार की हो, उनकी रिप्रजेंटेशन ज्यादा कर देनी चाहिए। अकेडैमिक कौंसिल और कोर्ट में ज्यादा रिप्रजेंटेशन किया जाना चाहिए। एग्जैक्टिव कौंसिल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और फैसले करती है उसमें कालेज टीचर्ज का रिप्रजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्राईवेट कालेज का लैक्टचरर और एक प्रिंसिपल जरूर एग्जैक्टिव कौंसिल में होता है। लेकिन यह जो अमेंडमेंट आई है यह महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के एक्ट की है और इसमें ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया।

इसलिए मैंने अमेंडमेंट मूव की है कि अढाई हजार कालेज टीचर्ज में से कम से कम दो नुमयांदे एग्जैक्टिव कौंसिल में जरूर होना चाहिए।

स्पीकर साहब, प्रोफ़ैसर ई वर सिंह जी ने जो अमेंडमेंट दी हैं, इस पर थोडा सा कहना चाहूंगा। स्टैच्यूट 13(1) (8) में लिखा है –

“प्रोफ़ैसर्ज एप्वायंटड वाई दी यूनिवर्सिटी” जो अमेंडमेंट आई है उसके द्वारा इसमें एंड प्रोफ़ैसर्ज रिकगनाईज्ड वाई दि यूनिवर्सिटी की एडी अन सजैस्ट की गई है। इसका मतलब यह है कि जो मैडिकल कालेज है वह यूनिवर्सिटी का कालेज नहीं है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। वहां पर जो प्रोफ़ैसर होते हैं वे रिकागनाईज्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी से एप्वायंटिड नहीं होते। अगर आप यह प्रोवीजन कर देंगे। अमेंडमेंट मान लेंगे तो नतीजा क्या होगा ? मैडिकल कालेज में 25 के करीब डिपार्टमेंट होते हैं और एक डिपार्टमेंट में जितने यूनिट्स होते हैं उतने ही प्रोफ़ैसर होते हैं। अगर तीन प्रोफ़ैसर होते हैं तो तीन हो जायेंगे। अगर डिपार्टमेंट्स की एवरोज 25 मान लें और प्रोफ़ैसर की एवरेज दो मान लें तो 25 इन्टू 2 तो 50 हो जायेंगे। आगे चलकर 9 टीचर्ज आलरेडी मैडिकल कालेज के इस बाडी पर हैं। इस तरह ये 59 हो जाते हैं और टोटल मिलकर 70-75 हो जाते हैं। इसके अलावा 60 कालेजिज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को ये ओवरवैल्मड कर देंगे। यह यूनिवर्सिटी बाडी है कोई मैडिकल बाडी नहीं है, इसलिए इस अमेंडमेंट को नहीं माना जाना चाहिए।

इसके अलावा एक और जरूरी बात है। स्टैच्यूटस 19 है जिसमें डीन की एप्वायंटमेंट की बात है। स्टैच्यूटस 19(1) में कहा गया है कि वाईस चांसलर हर फैकल्टी के लिए डीन की एप्वायंटमेंट करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें प्रोवाइजो दिया हुआ है। प्रोवाइजो क्या है! प्रोवाइजो यह है कि अगर प्रोफ़ेसर फैकल्टी में न हो तो वाईस चांसलर एप्वायंटमेंट करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि जो बात पहले दी गई है उसको दोहरा दें, उसको बदल दें। सवाल यहां यह नहीं कि कौन एप्वायंटमेंट करेगा, एप्वायंटमेंट की बात तो पहले ही दे चुके हैं कि वाईस चांसलर करेगा। यहां सवाल यह है कि अगर प्रोफ़ेसर न हो तो किसको एप्वायंट किया जाए। इसके बारे में प्रोवाइजो कुछ नहीं कहता। चाहे चपडासी को एप्वायंट कर दे, चाहे क्लर्क को कर दे चाहे किसी और को कर दे। असलीयत में वही करना चाहिए जो हर यूनिवर्सिटी में होता है। अगर किसी फैकल्टी में प्रोफ़ेसर नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट रीडर है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसको डीन बना दिया जाए।

स्पीकर साहब, ये कुछ एक बातें थीं जो मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता था। एक बात मैं डा0 मंगल सैन जी की अमेंडमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। प्रो वाईस चांसलर होना चाहिए, यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अमेंडमेंट में यह कहा गया है कि कोरम 25 की बजाये 10 हो जाए, यह ठीक बात नहीं है। रिक्वीकिज इन के लिए तो ठीक है 10 कर दो लेकिन

कोरम के लिए 25 जरूरी है। क्योंकि 2/3 का कोरम आम तौर पर होना चाहिए। अगर 10 का कोरम कर देंगे तो 1/4 का कोरम हो जाता है। यह अमेंडमेंट जिसमें यह कहा गया है कि कोरम 10 का कर दिया जाय, ठीक नहीं है। हां, रिक्वीजिशन के लिए 10 बे तक कर दें। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, दहिया साहब ने बड़ी काबलियत की बात की है। वे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर भी रहे हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी के कार्य संचालन का भी पूरा पूरा अनुभव है। स्पीकर साहब, रोहतक मेरा चुनाव क्षेत्र है। इस यूनिवर्सिटी का कई साल पुराना इतिहास है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उस टाइम पर रोहतक के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज लगा करती थी। जब कभी बंसी लाल जी रोहतक आया करते थे तो हम उनसे कहा करते थे कि आप इसे यूनिवर्सिटी बना दें क्योंकि रोहतक भाहर के अंदर नौ कालेजिज हैं वहां पर गवर्नमेंट कालेज, जाट इंस्टीच्यूशन और वैय कालेज आदि हैं जाट इंस्टीच्यूशन तो वहां पर बहुत ही बड़ा है जिसमें टेक्नीकल एजुकेशन और बी0एड0 वगैरह की भी क्लासिज हैं इतने कालेजिज हरियाणा में किसी भी भाहर में नहीं है। सन 1975 में सरकार ने ठीक ही फैसला लिया कि रोहतक के अंदर यूनिवर्सिटी बना दी जाये और यूनिवर्सिटी बनाते समय उसके एक्ट में बड़ा साफ लिखा है —

“to establish and incorporate a unitary teaching and residential University at Rohtak for the encouragement of interdisciplinary higher education and research with special emphasis on studies of life Sciences and environmental and Ecological Sciences.”

लेकिन स्पीकर साहब, अब ये यूनिटरी टीचिंग एंड रैजीडेंशियल यूनिवर्सिटी भावों को टीचिंग कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से सबस्टीच्यूट करते जा रहे हैं। यह इन्होंने ठीक नहीं किया। हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी ठीक जगह पर है लेकिन जो इन्होंने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में दिया है, उसमें लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हमें कहा है, इसलिए हम उसके अनुसार ही यह अमेंडमेंट करने चले हैं स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यह कहा था कि आपने जो यूनिवर्सिटी बनायी थी, उस समय एक्ट के प्रि एम्बल में डिफरेंट लिखा हुआ था लेकिन अब आप दूसरा ही कारण बता रहे हैं। अब बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में लिखा है –”The University Grants Commission laid down as one of the conditions in agreeing to declare Maharshi Dayanand University fit to receive central assistance in terms of section 12A of the University Grants Commission Act and the rules prescribed thereunder that the State Government/University amend the Act and Statutes of the University in accordance with the general observations/recommendation made by the Education Commission (1964-66)

स्पीकर साहब, इनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हमें मजबूर किया है ताकि वह हमें ग्रांट और असिस्टेंस दे सके। इसलिए ये अमेंडिंग बिल लाये हैं। इस अमेंडिंग बिल को एक सब कमेटी ने ड्राफ्ट किया है मुझे तो पता नहीं कि उस सब कमेटी में कौन कौन लोग थे ? अगर आज के वाइस चांसलर उस सब कमेटी के मैम्बर थे तो बड़ा चिन्ता का विषय है। जब से वे इस यूनिवर्सिटी में पधारे हैं तब से ही झंझट पडा हुआ है। वे इतने सज्जन पुरुश हैं कि जो भी उनका भला करता है सबसे पहले वे उन्हें ही भला बुरा कहते हैं। मैं इस बारे में आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। श्री हरद्वारी लाल ने हमारे इस हाउस के मैम्बर और जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके बारे में दुल्लत कमीशन के सामने कहा जो कि उनकी रिपोर्ट के पेज 45 पर दिया है –

“Shri Devi Lal who had not completed even his schooling and had never known a college or a University in any capacity at all, and who has also never held any ministerial post in the Government, took over as Chief Minister ?

स्पीकर साहब, इतना ही नहीं उन्होंने इतने अनचैरिटेबल रिमाकर्स दिए हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के पेज 31 पर दिया हुआ है –

“For reasons of his own, Mr. Devi Lal felt compelled in October 1977 to beg me to accept the Vice Chancellorship

at Rohtak and to request you to announce the appointment without delay”.

This was written to the Chancellor by him on 15th June, 1979.

वाइस चांसलर साहब ने देवी लाल जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने इनसे वैग किया कि आप वाइस चांसलर लग जाओ। आप इस बात से अंदाजा लगेयं कि कितना स्टैंडर्ड हाई है। इन्होंने तो मरहूम जस्टिस दुल्लत जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, को भी नहीं छोडा। उनके बारे में इन्होंने अपने पम्फलेट लैजिस्लेचर, जूडि आररी, प्रैस एंड यूनिवर्सिटीज जो परसों मैम्बर्ज में बांटा गया, के पेज 8 पर लिखा है—

“The late Justice S.S. Dulat was in extremely poor health during the two years preceding his death. To the enquiry which took 10 months to be completed he was not able to give more than 80 hours in all. The record became voluminous because apart from verbal statements there were plenty of written submissions from various quarters. Unfortunately, the Hon’ble Judge was not able to analyse the evidence before him properly, presumably owing to his ill health

At the same page in the end it has been written as under :-

“Throughout his working life he had a protected existence and he was, therefore, unfamiliar with unquiet

campuses of Indian University and the peculiar problems of Indian Vice Chancellor.

स्पीकर साहब, उन्होंने स्वर्गवासी जज की विजडम को ही चैलेन्ज नहीं किया बल्कि उनके बारे में अनचैरिटेबल रिमार्कस भी दिए हैं। उन्होंने दुल्लत कमीान के सामने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे बड़ी मजबूरी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे काम न करूं तो ठीक नहीं चल सकता। कमीान की रिपोर्ट के पेज 43 पर जो लिखा है वह भी मैं पढ़ देता हूँ –

“In a later statement filed towards the close of the present inquiry. Sh. Hardwari Lal says this :-

‘It may be emphasised that when the nominees of the Minister of the Government or of the Chancellor with low merit had to be admitted I could not possibly stick to the principle of merit at all with regard to the admission of the newly started Law Courses’.

उनसे कमीान को यह भी लिखा जो इसी पेज पर दिया है—

‘I found impossible to meet all the improper requests of the Chancellor and some of the Ministers.’”

स्पीकर साहब, उन्होंने हरियाणा के गवर्नर को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी प्रसाद दिया है। दुल्लत साहब ने अपनी रिपोर्ट में एस्टेबलिश किया है कि उनकी अप्वायंटमेंट के बारे में पालिसी बड़ी डिफैक्टिव थी। किसी भी अप्वायंटी को कंफर्म करने में वे

बडा हैरास करते थे। डाक्टर भीम सिंह दहिया को भी उन्होंने बडा हैरास किया।

आर्किटैक्टस को पैसा देने तथा यूनिवर्सिटी के फंडज के मिसयूज के बारे में पेज 38 पर दुल्लत कमी ज्ञान की आबजरवे न यह हे—

“..... I do, however, feel that Shri Hardwari Lal has in this matter acted hastily and imprudently and in the consequence placed in some jeopardy the funds of the University.”

स्पीकर साहब, इससे बढकर और क्या सबूत हो सकता है। मैं आनरेबल हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस रिपोर्ट में इररैगुलेरिटीज के बारे में, रौंग अप्वायंटमेंटस के बारे में और फेवरीटिजम के बारे में दिया हुआ है। जब कोई मौका आयेगा तो इस रिपोर्ट के ऊपर भी हम डिबेट करेंगे। इस रिपोर्ट की रोान में चौधरी भजन लाल जी बताएं। ये इंकार कर रहे थे कि उनको इन्होंने किसी डर के मारे दोबारा नहीं लगाया है। फिर किस वजह से इन्होंने उन्हें दोबारा लगाया है

श्री अध्यक्ष: वह तो इन्होंने जवाब दे दिया था कि इन कंसीक्वेंस आफ सुप्रीम कोर्ट आर्डर लगाया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब को बीच में टोकना तो नहीं चाहता था इन्होंने हरद्वारी लाल पर ही 20 मिनट लगा दिये। कोई हरद्वारी लाल एकट

तो बन नहीं रहा है। एक्ट तो यहां पर यूनिवर्सिटी का बन रहा है। दुल्त कमी इन की रिपोर्ट भी सब ने पढ़ी है और वह हाउस की टैबल पर भी आ चुकी है। जहां तक उनको वाइस चांसलर दोबारा लगाने का सवाल है, आपको भी याद होगा कि कमी इन भी हमने बिठाया था। उसको हटाने के लिये हाई कोर्ट में भी हम गये। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी गये। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही उसके हक में फ "सला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पिछली पूरी तनख्वाह दो, इनको कार दो, इनको दफतर भी पूरा दो, स्टाफ भी पूरा दो, कोठी भी इनको दो जब यह सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया।

श्री मंगल सैन: आप यह बताइये आपने उनको री इन्सटैट क्यों कर दिया ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर हसाब, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सारा कुछ कह दिया, पिछली सारी तनख्वाह उनको दे दो, कोठी उनको पूरी होगी। दफतर उनको पूरा होगा, स्टाफ उनको पूरा मिलेगा फिर रह ही क्या गया था। जब सारा कुछ ही देना है तो हमने सोचा कि अगरव हम इनको यूज न करें तो इससे स्टेट का नुकसान होगा। हम आज जो बिल द्वारा अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इसमें हमने यह किया है कि अब कोई भी वाइस चांसलर अपनी मियाद समाप्त होने के बाद वाइस चांसलर नहीं रह सकेगा। पहले ऐसा था कि यदि कोई नया वाइस चांसलर अप्वायंट न हो तो वह 6 महीने तक रह सकता था। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब अब आप समाप्त करने की कोशिश कीजिए तथा बिल पर ही बोलिए।

श्र मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। मैं इस बिल की मैरिट्स पर ही बात करूँगा। मैं इस बिल से ही रिलेटिड एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में जो महानुभाव लगे हुए हैं, इन्होंने वहाँ पर क्या हाल कर रखा था। स्पीकर साहब, वहाँ पर प्रो वाइस चांसलर मिस्टर जे०डी० सिंह होते थे। उस बेचारे को इन्होंने इतना खराब किया जिसकी कोई हद नहीं। उसको कोई काम एसाईन नहीं किया। कार भी उनको नहीं दी। टैलीफोन भी उनका कटवा दिया। वे बड़े ही लर्नड आदमी थे। कई बार वे सैमीनार में जाने के लिये पेपर तैयार करते लेकिन उनको वे जाने ही न देते। स्पीकर साहब, इन्होंने इसलिये तो वहाँ पर प्रो वाइस चांसलर का प्रोवीजन नहीं रखा है कि कोई आदमी उनके मुकाबले में नहीं होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि वहाँ पर भी प्रो वाइस चांसलर का प्रोवीजन होना चाहिये। स्पीकर साहब, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तो भायद मेरी बात चौधरी भजन लाल जी को अच्छी न लगे, लेकिन उसने टलना कभी भी नहीं है। हाई कोर्ट में जो उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दे रखी है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो हैरान रह जायेंगे। इन्होंने गवर्नर साहब तक को भी नहीं बखशा है। स्पीकर साहब, मैं इनको सावधान कर दिया है, आगे इनकी मर्जी है। मेरे लायक दोस्त मेरी बात को जरा कन्फ्यूज कर गये। मेरा

सं गोधन यह था कि मीटिंग बुलाने के लिये 25 की बजाये 10 आदमियों का प्रोवीजन होना चाहिये। इसके साथ ही मेरा सं गोधन यह भी है कि एग्जैक्टिव कौंसिल में दो विधान सभा के सदस्य भी होने चाहिये। स्पीकर साहब, इस बिल में फ़ैकल्टीज का भी जिक्र आया है। चौधरी भजन लाल जी आपने दुल्लत कमी इन की रिपोर्ट पढी नहीं है। आप अगर मुझे कहें तो हम आपको भाँट में समरी बनाकर दे दें क्योंकि आप बड़े बिजी आदमी हैं, आपको इतनी फ़ुरसत नहीं है कि पढ सकें स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने साफ माना हुआ है कि एल0एल0बी0 की एडमि इन के लिये लडकों के नम्बर पूरे नहीं थे। मैंने भर्ती कर लिये। क्योंकि मुझे मिनिस्टर्ज और चांसलर महोदय का हुकम था और मुझे वह हुकम मानना था। आप ही देखिये, वे साफ कहते हैं कि उन पर आप नाजायज दाबव डालते रहे हो। मैंने एक अमेंडमेंट यह दे रखी है कि डिप्यूल स्टैच्यूट 17 में पार्ट 7 के बाद फ़ैकल्टी आफ ला भी एड किया जाये। इसके अलावा मैं यह चाहता हूँ कि बाई रोटे इन मैडीकल कालेज का प्रोफ़ैसर एग्जैक्टिव कौंसिल में दो साल के लिये होना चाहिये। एक और सं गोधन है कि जो प्रोफ़ैसर आप अप्वायंट करते हो और जो प्रोफ़ैसर रिकोगनाईज्ड हैं, वे भी उसमें भागमिल होने चाहिये। मैं श्री जगदीश नेहरा से यह कहूँगा कि इसमें तो कोई भाक नहीं है कि वह यह बिल पास करा लेंगे लेकिन जो हमारी नसीहत है, उसको ख्याल में रखें उसको न भूलें क्योंकि वह ऐसा आदमी है जिसने कभी किसी को माफ नहीं किया।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद नेहरा): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो एम0डी0 यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आया है, उसके बारे में कई अमेंडमेंटस सदन में विचार के लिये आयी हैं। कुछ दहिया साहब ने दी हैं, कुछ डाक्टर साहब ने उ दी हैं और कुछ ई वर सिंह जी ने दी हैं। सैक नं 8 के बारे में दहिया साहब ने अमेंडमेंट दी हैं। इसमें सिर्फ नम्बरिंग के लिए इन्होंने अमेंडमेंट दी हैं कि इनकी नम्बरिंग इस प्रकार से होनी चाहिये। इससे कोई फर्क नहीं पडता। इसके आगे सैक नं 9 के बारे में ई वर सिंह जी ने अमेंडमेंट दी हैं। इसके बारे में सी0एम0 साहब ने पहले ही कह दिया है कि हम उनकी यह अमेंडमेंट मान रहे हैं। पहले जो टर्म की समाप्ति के बाद 6 महीने तक उसकी अप्वायंटमेंट को कंटीन्यू रखने का प्रोवीजन था, उसको खत्म कर रहे हैं। इस तरह से हम सैक नं 9ए (2) का दूसरा प्रोवाईजो डिलीट कर रहे हैं। इस सैक नं के बारे में डाक्टर दहिया साहब की अमेंडमेंट है जो कि वी0सी0 की कोर्ट पावर्ज के बारे में है। जो कुछ इन्होंने कहा है वह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे माना जाये। पहले भी ऐसा चलता रहा है और अब भी ऐसा चल रहा है। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है जो वी0सी0 फैसला करता है, उसको नहीं मानती तो वह एग्जैक्टिव कौंसिल के पास अपील कर सकती है। इसके बारे में अमेंडमेंट करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। यहां पर स्टैच्यूट के बारे में भी कई बातें कही गयीं। कोर्ट के जो फंक्शन हैं, उन फंक्शनों को एग्जैक्टिव कौंसिल को देने के बारे में भी अमेंडमेंट की बात कही गयी, यह

ठीक नहीं हैं इसी तरह से वी०सी० के बारे में कहा गया। किसी भी एग्रीव्ड पार्टी के बारे में जो वी०सी० का फैसला हो वह फाईनल हो, यह ठीक भी है और सही है क्योंकि यह यू०जी०सी० की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है। यू०जी०सी० की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक झगड़ों के मामले में वी०सी० का फैसला फाईनल होना चाहिए। इस बारे में जो इन्होंने अपनी अमेंडमेंट मूव की है, वह गलत है, ठीक नहीं है। कोर्ट के बारे में इन्होंने यह भी कहा है कि वहां पर 15 रैगुलर टीचर्स होने चाहिये। बिल में 8 दिये हुए हैं। इन 8 में दो स्त्रियां होंगी। यह भी इस बिल में दिया हुआ है। इसलिए इस अमेंडमेंट की कोई विशेष जरूरत नहीं है। इसी तरह से स्टैच्यूट 11 (1) बी की क्लॉज में अमेंडमेंट दी है। हमने इसमें पहले से ही दो प्रिंसीपल्स और दो टीचर्स रखे हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने स्टैच्यूट 13 (1) बी के क्लॉज (5) में 15 रैगुलर टीचर्स रखने के लिए कहा है। वहां पर आलरेडी 6 रैगुलर टीचर्स रखे हुए हैं, इसलिए इस अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 15 मिनट के लिए और
बढाया जाता है ।

दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल 1983 (पुनरारम्भ)

14.00 बजे ।

श्री जगदी ा नेहरा: इसी तरह से एग्जैक्टिव कौंसिल, एकेडेमिक कौंसिल और कोर्ट के बारे में कहा गया है। वह बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिल में वह चीज दी गई है जिससे यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। इसी तरह से इन्होंने आगे स्टच्यूट 23(1) के बाद प्रोवीजन एड करने की जो अमेंडमेंट दी है इसी भी इसलिए जरूरत नहीं है कि वाइस चांसलर किसी विजिटिंग प्राफ़ेसर को जो अच्छा हो बाहर से बुला सकता है। जिससे कि वह शिक्षा के लिए अच्छा रहे। इसी तरह से डा० मंगल सैन ने कई बातें उठाईं विशेष कर उन्होंने चौधरी हरद्वारी लाल का जिक्र किया। इसमें अमेंडमेंट वाली बात नहीं है। भायद इनको हरद्वारी लाल से ऐलर्जी है या कोई और बात है, मैं कह नहीं सकता।

श्री मंगल सैन: आपने सुना नहीं था। मुझे कोई ऐलर्जी नहीं है वह ऐसा भूत की तरह आपको चिपटेगा कि आप ढूँढें नहीं मिलोगे।

श्री जगदी ा नेहरा: मुझे तो कोई फर्क नहीं पडता मेरे ख्याल में भी और जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये उनसे काफी डरे हुए हैं क्योंकि और किसी मैम्बर ने कोई बात नहीं कही है। सिर्फ दो मैम्बर्ज ने बात कही है और मुझे ऐसा

लगता है कि वे चोधरी हरिद्वारी लाल से अफैक्टिड आदमी लगते हैं तभी उन्होंने ऐसा कहा है कि वरना किसी और मैम्बर ने किसी तरह की बात नहीं की। डा० मंगल सैन ने यूनिवर्सिटी के प्रिअम्बल के बारे में कहा कि यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड रैजीडेंसियल यूनिवर्सिटी की बजाये अब इस बिल में टीचिंग कम ऐफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी आया है और इसमें जो लाइफ साइंसिज डिलीट कर दी गई हैं। स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बिल को पढा नहीं है। यह तो सप्लीमेंटरी है। टीचिंग कम ऐफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाई गई है और यू०जी०सी० की कंडी शर्त के तहत बनाई गई है। लाइफ साइंस और जितनी दूसरी साइंसिज हैं वे आलरेडी इसमें हैं। यह जो एक्ट अब आ रहा है यह तो अमेंडिंग एक्ट है —The act is being amended and not that the existing Act is being repealed.

ऐसी कोई बात नहीं है। कमेटी के बारे में इन्होंने कहा कि कमेटी जो बनी उसमें यदि वाइस चांसलर रहे तो बहुत बुरी बात है। उनकी जानकारी के लिये मैं कह दूँ कि इस कमेटी में वाइस चांसलर थे और उन्हीं के तहत यह कमेटी बनाई है। वाइस चांसलर की भी काफी सिफारिशें हैं। और स्पीकर साहब, इन्होंने दो अमेंडमेंट्स दी हैं एक तो रिक्वीजीशन के बारे में थी। दोनों डाक्टर साहेबान ने कहा कि 25 मैम्बर्स की बजाये दस मैम्बर्स की रिक्वीजीशन होनी चाहिए। स्पीकर साहब, इसमें कोई सदाकत नहीं है। क्यों नहीं है कि पहले जो मैम्बर्स थे वे 39 थे और 39 में भी 4/5 की रिक्वीजीशन थी। अब मैम्बर्स 68 हो गए हैं। यदि

इसमें पच्चीस की रिक्वीजी इन हैं तो वह ठीक है। अगर दस की रिक्वीजी इन होगी तो उसमें काफी झगडा रहेगा। इसलिए जो पहले रिक्वीजी इन थी उसके मुकाबले अब रिक्वीजी इन ठीक है। दस की रिक्वीजी इन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे रोजाना रिक्वीजी इन पर मीटिंग होती रहेगी और यूनिवर्सिटी का जो काम टीचिंग का है वह सफर करता रहेगा। डा0 साहब ने दुल्लत कमी इन की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। एक्स चीफ मिनिस्टर के बारे में उसमें लिखा हुआ है that he has not done any schooling. He has said it very rightly. He has not said anything wrong in this. यदि सच बोलने में कोई गलत बात है तो वह बताएं। यदि स्कूलिंग की है या कालेज में गए हैं तो डा0 साहब बताएं। It is a fact that he has not gone in any college.

स्पीकर साहब, इसी तरह से डा0 साहब ने झाबवाला के लिए काफी बातें कहीं और डा0 साहब ने कहा कि हरद्वारी लाल के बारे में दुल्लत कमी इन ने कहा है कि उन्होंने हेस्टली एक्ट किया। स्पीकर साहब, हेस्ट में कोई बात की जाए तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह गलत है। Haste is always good. Sometimes some action taken in haste in good faith is also good. और उन्होंने गुड फेथ के हिसाब से हेस्ट में कार्यवाही की है। स्पीकर साहब, और भी काफी बातें कहीं गई हैं लेकिन सभी मैम्बर साहेबान चाहते हैं कि बिल को पास किया जाये। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन से अर्ज करूंगा कि इस बिल पर चौधरी ई वर

सिंह की अमेंडमेंट जो 9(1)(2) के तहत आई है उसको मान लिया जाए और बाकी बिल पास कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि -

यह सदन महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) आर्डिनैस, 1982 (हरियाणा आर्डिनैस नं० 5 आफ 1982) को डिस्पूव करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि-

दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

सब क्लोज (2) आफ क्लोज 1

श्री अध्यक्ष: सब क्लोज (2) आफ क्लोज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आवाजें: सभी क्लोजिज इकट्ठी पुट कर दी जाएं।

क्लाजिज 2 से 6

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लाजिज 2 से 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 8

Mr. Speaker: I have recieved a notice of an amendment to this clause from Dr. Bhim Singh Dahiya, which will be demed to have been read and moved together.

1. Sh. Bhim Singh Dahiya: In the proposed seciton 8, for the parts (viii) and (ix) the follwing parts be substituted after the existing art (iii), (iv) the Dean of Colleges, if any, (v) the Dean of Students Welfare, if any”, and the existing parts (iv), (v), (vi), (vii) be renumbered a parts (vi), (vii), (viii) and (ix), respectively.

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा): स्पीकर साहब, डा0 दहिया जो हमारी पार्टी के माननीय सदस्य हैं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव

दिए हैं और वे कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं और इन सुझावों से यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सुझाव स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी दोनों के हित में हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि डा० दहिया के सुझावों को मान लिया जाए।

डा० भीम सिंह दहिया (रोहट): स्पीकर साहब, मैं इनसे बैग नहीं करता। मैंने जो अमेंडमेंट्स दी हैं अगर ये उसे ध्यान से देखें और सोचें तो वह यूनिवर्सिटी के हित में हैं। लेकिन जो मिनिस्टर महोदय ने इस बारे में कहा है वह मैंने सुन लिया है। अगर ये अमेंडमेंट को नहीं मानते तो मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे तो यह यूनिवर्सिटी के हित वाली बात है।

Mr. Speaker: Question is-

In the proposed section 8, for the parts (viii) and (ix) the following parts be substituted after the existing part (iii), (iv) the Dean of Colleges, if any, (v) the Dean of Students Welfare, if any”, and the existing parts (iv), (v), (vi), (vii) be renumbered a parts (vi), (vii), (viii) and (ix), respectively.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker: I have received notices of two amendments (Nos. 2 &3) from Dr. Bhim Singh Dahiya and one amendment (No. 1) from Sh. Ishwar Singh to this clause, which will be deemed to have been read and moved together.

2. Dr. Bhim Singh Dahiya: Delete the second proviso to sub section (2) of proposed Section 9A.

3. Dr. Bhim Singh Dahiya: For the section proviso to sub section (5) of proposed section 9A, the following be substituted:-

“Provided further that the action taken by the Vice Chancellor does not adversely affect any employee of the University whose appointing authority is the Executive Council and that it does not involve amendment of any Statute or Ordinance.”

1. Ch. Ishwar Singh: In the proposed 9A(2), delete the following section proviso :-

“Provided further that in the event of expiration of his term, he shall continue to hold office, until his successor is appointed and enters upon his office, up to a maximum period of six months.”

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Now I will put the amendments to the vote of the House. Amendments No. 2 of Dr. Bhim Singh Dahiya and No. 1 of Sh. Ishwar Singh, which are identical, will be put to vote together.

Question is-

Delete the second proviso to sub section (2) of proposed Section 9A.

In the proposed 9A(2), delete the following section proviso :-

“Provided further that in the event of expiration of his term, he shall continue to hold office, until his successor is appointed and enters upon his office, up to a maximum period of six months.”

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now I will put the other amendment (No. 3) of Dr. Bhim Singh Dahiya to the vote of the House.

Question is-

For the second proviso to sub section (5) of proposed section 9A, the following be substituted :-

“Provided further that the action taken by the Vice Chancellor does not adversely affect any employee of the University whose appointing authority is the Executive Council and that it does not involve amendment of any Statute or Ordinance.”

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 9, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 10 to 14

Mr. Speaker: Question is-

That clause 10 to 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी तो रोहतक में है लेकिन यहां पंचकूला में किसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिये उसका मकान गैस्ट हाउस के लिये ले रखा है। यूं ही पैसे की बरबादी की जा रही है जबकि इस गैस्ट हाउस की पंचकूला में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे इसका बडा आबजैव न है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

Clause 15

Mr. Speaker: I have received notice of an amendment from Dr. Bhim Singh Dahiya (No. 4) which will be deemed to have been read and moved together.

“Dr. Bhim Singh Dahiya: For the proposed Section 15, the following original Section 15 be substituted: -

“15. (1) On the commencement of this Act, the statutes of the University shall be those as set out in the Schedule.

(2) The Court may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes in the manner thereafter provided in this section.

(3) The Executive Council may propose to the Court the draft or any statute to be passed by the Court and such draft shall be considered by the Court at its next succeeding meeting.

(4) The Court may approve such draft as is referred to in sub section (3) and pass the statute or may reject it or return it to the Executive Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendment which the Court may suggest. After any draft so returned has been further considered by the Executive Council it shall again be presented to the Court with the report of the Executive Council thereon, and the Court may then deal with the draft in any way it thinks fit.

(5) Every new statute or addition to the statute or any amendment or repeal of a statute shall require the previous approval of the Chancellor who may sanction, disallow or remit it for further consideration. A statute passed by the Court shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.”

(No member rose to Speak)

Mr. Speaker: Now I will put the amendment to the vote of the House.

Question is-

“For the proposed Section 15, the following original Section 15 be substituted :-

“15. (1) On the commencement of this Act, the statutes of the University shall be those as set out in the Schedule.

(2) The Court may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes in the mannere thereafter provided in this section.

(3) The Executive Council may propose to the Court the draft or any stature to be passed by the Court and such draft shall be considered by the Court at its next succeeding meeting.

(4) The Court may approve such draft as is referred to in sub section (3) and pass the statute or may reject it or return it to the Executive Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendement which the Court may suggest. After any draft so returned has been further considered by the Executive Council it shall again be presented to the Court with the report of the Executive Council thereon, and the Court may then deal with the draft in any way it thinks fit.

(5) Every new statute or addition to the statute or any amendment or repeal of a statute shall require the previous approval of the Chancellor who may sanction, disallow or remit it for further consideration. A statute passed by the Court shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.”

The motion wa lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 16 to 21

Mr. Speaker: Question is-

That clause 16 to 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमेंट) बिल 1983
(पुनरारम्भ)

Clauses 22

Mr. Speaker: I have received notices of 10 amendments i.e. 7 (Nos. 5 to 11) from Dr. Bhim Singh Dahiya, two (Nos. 1 & 2) from Sh. Mangal Sein and one (No. 2) from Sh. Ishwar Singh. These will be deemed to have been read and moved together.

Clauses 22

“The Schedule”

5. Sh. Bhim Singh Dahiya: For the proposed statute 1(5) the following be substituted –

“(5) in case of dispute regarding the seniority of teachers for nomination to the various authorities or bodies of the University, the matter will be referred to the Chancellor whose decision shall be final.”

6. Sh. Bhim Singh Dahiya: For the proposed Sub clause (ix) of clause (b) of the proposed section 9 (1) substitute –

“(ix) fifteen regular teachers (other than principal) from the affiliated colleges or maintained colleges excluding the medical college to be elected by the teachers of those colleges out of which three shall be women.”

7. Sh. Bhim Singh Dahiya: After Clause (vii) of proposed statute 11 (1) (b), insert the following clauses :-

“(viii) two teachers of the University affiliated Colleges or maintained colleges excluding the medical college to be elected from amongst themselves for a period of two years. The election shall be held by the method of proportional representation.

(ix) two Legislators of the Haryana Vidhan Sabha to be elected from amongst themselves for a period of two years.

8. Sh. Bhim Singh Dahiya: For clause (v) of the proposed statute 13(1)(b), substitute-

“(v) fifteen regular teachers other than principals from affiliated or maintained colleges, excluding medical college, out of which three shall be women, to be elected by the teachers of these colleges”.

9. Sh. Bhim Singh Dahiya: In the proposed statute 17 after item 7, insert – “(7A) Faculty of law”.

10. Sh. Bhim Singh Dahiya: For the proviso to the proposed statute 19 (1), substitute –

‘provided that where there is no professor in a faculty, the senior most reader shall be appointed the Dean of that faculty.’

1. Sh. Bhim Singh Dahiya: After the proposed statute 23(1) add the following proviso –

“Provided that the person to be appointed shall either be a retired teacher below the age of 65 or holds office in the same rank in which he is being appointed by the Executive Council:

Provided further that the demand for such appointment is initiated by the department concerned and approved by the staff Council of that Department.”

1. Sh. Mangal Sein: In Schedule, statute 10 (2), for “twenty five” substitute “ten”.

2. Sh. Mangal Sein: In Schedule, statute 17, after part (7) insert “(7) (a) Faculty of law”

3. Ch. Ishwar Singh: In the Schedule, statute 13(1) (a), for part “(vii)”, substitute-

“(viii) the Professors appointed by the University and Professors recognised by the University.”

(No members rose to speak)

Mr. Speaker: Now I will first put the amendments of Dr. Bhim Singh Dahiya to the vote of the House.

Question is -

For the proposed statute 1(5) the following be substituted -

“(5) in case of dispute regarding the seniority of teachers for nomination to the various authorities or bodies of the University, the matter will be referred to the Chancellor whose decision shall be final.”

6. Sh. Bhim Singh Dahiya: For the proposed Sub clause (ix) of clause (b) of the proposed section 9 (1) substitute

-

“(ix) fifteen regular teachers (other than principal) from the affiliated colleges or maintained colleges excluding the medical college to be elected by the teachers of those colleges out of which three shall be women.”

7. Sh. Bhim Singh Dahiya: After Clause (vii) of proposed statute 11 (1) (b), insert the following clauses :-

“(viii) two teachers of the University affiliated Colleges or maintained colleges excluding the medical college to be elected from amongst themselves for a period of two years. The election shall be held by the method of proportional representation.

(ix) two Legislators of the Haryana Vidhan Sabha to be elected from amongst themselves for a period of two years.

8. Sh. Bhim Singh Dahiya: For clause (v) of the proposed statute 13(1)(b), substitute-

“(v) fifteen regular teachers other than principals from affiliated or maintained colleges, excluding medical college, out of which three shall be women, to be elected by the teachers of these colleges”.

9. Sh. Bhim Singh Dahiya: In the proposed statute 17 after item 7, insert - “(7A) Faculty of law”.

10. Sh. Bhim Singh Dahiya: For the proviso to the proposed statute 19 (1), substitute -

‘provided that where there is no professor in a faculty, the senior most reader shall be appointed the Dean of that faculty.’

1. Sh. Bhim Singh Dahiya: After the proposed stature 23(1) add the following proviso -

“Provided that the person to be appointed shall either be a retired teacher below the age of 65 or holds office in the same rank in which he is being appointed by the Executive Council:

Provided further that the demand for such appointment is initiated by the department concerned and approved by the staff Council of that Department.”

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now I will put the amendments of Sh. Mangal Sein to the vote of the House.

Question is -

In Schedule, statute 10 (2), for “twenty five” substitute “ten”.

In Schedule, statute 17, after part (7) insert “(7) (a) Faculty of law”

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now I will put the amendment of Sh. Ishwar Sing to the vote of the House.

चौधरी ई वर सिंह (पुंडरी): चूंकि नेहरा साहब ने इस अमेंडमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और डा० भीम सिंह दाहिया साहब ने इस अमेंडमेंट के मंजूर होने पर जो

कम्पलीके रन्ज आएंगी, उनको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं अपनी अमेंडमेंट को विदङ्गा करता हूँ।

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn.

Voices: Yes.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 22 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 23

Mr. Speaker: Question is-

That clause 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow the 25th March, 1983.

14.17 hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 25th March, 1983).